वर्ष : 11, अंक : 01 जनवरी-मार्च 2026 ISSN: 3107-9733

हिन्दुस्तानी भाषा भारती

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित त्रैमासिक पत्रिका)

विशेष:

अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

'भारतीय भाषा उत्सव–2025' के कुछ चित्र

वर्ष : 11, अंक : 01 जनवरी-मार्च 2026

हिन्दुस्तानी भाषा भारती

मूल्य : 30 रुपये

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित त्रैमासिक पत्रिका)

सम्पादक मंडल

सम्पादक : **सुधाकर बाबू पाठक**
E-mail: sudhakarpathak51@gmail.com

प्रबन्ध सम्पादक : **विजय कुमार शर्मा**
E-mail: vk1949sharma@gmail.com

संयुक्त सम्पादक : **राजकुमार श्रेष्ठ**
E-mail: rajjiwanbooks@gmail.com

सह सम्पादक : **विनोद कुमार शर्मा**
E-mail: vinodparashar1961@gmail.com

उप सम्पादक : **संदीप कुमार**
E-mail: kumarsandeep05169@gmail.com

: **सुषमा भण्डारी**
E-mail: koplein@gmail.com

: **बिनीत कुमार**
E-mail: vineetpandeykavi@gmail.com

: **डॉ. वनीता शर्मा**
E-mail: vanita62happy@gmail.com

सम्पादकीय सलाहकार : **सुरेखा शर्मा**

: **सरोज शर्मा**

: **डॉ. सोनिया अरोड़ा**

: **शशि प्रकाश पाठक**

: **गरिमा संजय**

प्रकाशक :

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी ट्रस्ट

म.नं. 3675, राजा पार्क, शकूरबस्ती, दिल्ली-110034

ई-मेल : info@hindustanibhashaakadami.com
hindustanibhashabharati@gmail.com

वेबसाइट : www.hindustanibhashaakadami.com

सम्पर्क सूत्र : 09873556781, 09968097816

प्रारंभिक वर्ष: 2016 ● भाषा: हिन्दी
भारतीय भाषाओं, बोलियों और उनके साहित्य-संस्कृति की अव्यवसायिक त्रैमासिक पत्रिका

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में लेखकों के अपने विचार हैं । प्रकाशक का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है । सभी विवादों का निपटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में ही किया जाएगा । सम्पादन एवं संचालन पूर्णत: अवैतनिक और अव्यावसायिक है ।

प्रकाशक, सम्पादक व मुद्रक सुधाकर बाबू पाठक द्वारा स्वामी हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी ट्रस्ट, 3675, राजा पार्क, शकूर बस्ती, दिल्ली-110034 के लिए प्रकाशित और सन्नी प्रिन्टर्स, बी-234, नारायणा इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110028 से मुद्रित ।

विषय सूची

सम्पादकीय :
संविधान में भारतीय भाषाएँ -सुधाकर पाठक 04

रिपोर्ट :
'भारतीय भाषा दिवस' के अवसर पर 'भारतीय भाषा उत्सव-2025' का भव्य आयोजन -राजकुमार श्रेष्ठ 06

'हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान' के अंतर्गत द्वि-दिशात्मक सहयोगात्मक शिक्षण कार्यशाला 'अपने संविधान को जानें' -विनोद पाराशर 08

कार्यालयीन संदर्भ : हिन्दी में अनुवाद एवं मौलिक लेखन 11
-डॉ. श्याम किशोर पाण्डेय

हिन्दी : भारतीय संस्कृति के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में 16
-प्रो. शैलेन्द्र कुमार शर्मा

युवा मत :
हिन्दी भाषा का प्रादेशिक विकास -दीपेन्द्र कुमार 22
उच्च शिक्षा में हिन्दी की वर्तमान स्थिति -अभिषेक तिवारी 26

परिवार में रोपित करें बीज रूप में मातृभाषा का संस्कार 29
-डॉ. प्रदीप उपाध्याय

प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी की स्थिति-एक व्यापक विश्लेषण 31
-अनुज पाल 'सार्थक'

भूमंडलीकरण और बोली का अस्तित्व संकट -सरोजिनी नौटियाल 33

विलुप्त होती मातृमाषाएँ -दिनेश प्रताप सिंह 'चित्रेश' 36

बंबइया हिन्दी का इतिहास और बॉलीवुड पर प्रभाव -विजय नगरकर 38

वैश्वीकरण के दौर में मातृभाषाओं का अस्तित्व -डॉ. दीनदयाल साहू 40

रुहेलखण्ड की बोली में हिन्दी-उर्दू-ब्रजभाषा का मिश्रण: एक भाषिक मानचित्र -अनुराग शर्मा 41

नारायणी बहुभाषी संग्रहालय -डॉ. मृणालिका ओझा 44

रिपोर्ट :
हंसराज महाविद्यालय में 'अपने संविधान को जानें' परिचर्चा का आयोजन -ध्रुव शिवहरे 45

राजधानी महाविद्यालय में 'अपने संविधान को जानें' परिचर्चा का आयोजन -विजय कुमार शर्मा 47

'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' पर परिचर्चा, सरस कवयित्री सम्मेलन एवं सम्मान समारोह -डॉ. वनिता शर्मा 49

हिन्दी संस्कार की भाषा है -प्रो. रवि शर्मा 'मधुप' 50

सम्पादकीय

संविधान में भारतीय भाषाएँ

सुधाकर पाठक
सम्पादक एवं अध्यक्ष,
हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसकी संरचना में ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस आदि देशों के संविधानों से कुछ महत्त्वपूर्ण नीतियां और सिद्धांत अपनाए गए हैं, किंतु इन्हें भारतीय समाज की सांस्कृतिक विविधता, प्राचीन मूल्यों तथा वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप लिखा गया है। संविधान निर्माताओं ने विश्व के सभी ज्ञात संविधानों से श्रेष्ठ प्रावधानों का चयन कर उनका भारतीयकरण किया है। इस प्रकार, यह संविधान 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी, 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ।

भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा 'हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान' योजना के अंतर्गत देशभर में संवैधानिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों में 'अपने संविधान को जानें' शीर्षक से संविधान-केंद्रित परिचर्चाओं की श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में अब तक दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय, किरोड़ीमल कॉलेज, हंसराज कॉलेज, राजधानी कॉलेज सहित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में ये परिचर्चाएं सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुकी हैं। साथ ही, इस विषय पर केंद्रित दिल्ली-एनसीआर के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए द्वि-दिशात्मक सहयोगात्मक शिक्षण कार्यशाला भी आयोजित की गई हैं। इन आयोजनों को करने का उद्देश्य छात्रों, शोधार्थियों, शिक्षकों, भाषा प्रेमियों को संवैधानिक मूल्यों और भाषाई समृद्धि के प्रति जागरूक करना है।

भाषा मनुष्य की सर्वोत्तम खोज है। यह मानव जीवन का अभिन्न अंग है, जो समाज को एक सूत्र में बाँधे रखती है। समाज की जीवंतता भाषा के अस्तित्व पर निर्भर करती है। समाज अनेक विचारों का संगठन है और इन विचारों के सम्प्रेषण के लिए भाषा आवश्यक है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं बौद्धिक गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करने, नीतियों के निर्माण एवं प्रचार-प्रसार में भाषा की भूमिका अतुलनीय है।

संविधान में भाषाओं को लेकर स्पष्ट प्रावधान निर्दिष्ट किए गए हैं। संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है । इसी दिवस की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को 'हिन्दी दिवस' के रूप में मनाया जाता है । संविधान के भाग 17 (आधिकारिक भाषाएँ) के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं। संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएँ, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषा तथा विशेष निर्देश के रूप में इस अध्याय को चार भागों में विभाजित किया गया है । अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी है और संघ के सरकारी कार्यों के लिए देवनागरी लिपि में हिन्दी का प्रयोग किए जाने की बात की गई है। वास्तव में, राजभाषा अधिनियम 1963 (1967 में संशोधित) के माध्यम से अंग्रेजी का प्रयोग आज भी संघ के कई सरकारी कार्यों में जारी है, जिससे भाषाई संक्रमण सुगम बन रहा है।

अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग के गठन और हिन्दी की प्रगतिशील उपयोग से सम्बंधित है, तो अनुच्छेद 345 सभी राज्यों को अपनी राजभाषा चयन करने और उससे सम्बंधित कानून बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसी तरह अनुच्छेद 346 में संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी पत्राचार में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग करने की सिफारिश करता है। अनुच्छेद 347 किसी भाषा को सरकारी मान्यता देने से सम्बंधित है, तो अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा निर्धारित करता है। संसद द्वारा अन्यथा प्रावधान किए जाने तक इन न्यायालयों की कार्यवाही, विधेयक, अधिनियम आदि अंग्रेजी में होते हैं। तथापि, राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय में (निर्णय, डिग्री या आदेश को छोड़कर) हिन्दी या राज्य की राजभाषा का प्रयोग अनुमति दे सकते हैं। वर्तमान में अधिकांश उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी ही प्रमुख भाषा है, किंतु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे हिन्दी भाषी राज्यों के उच्च न्यायालयों में हिन्दी का बढ़ता प्रयोग हिन्दी की संभावनाओं को जीवंत रखे हुए हैं।

भारत एक बहुभाषी देश है । यह भाषाओं की फुलवारी है । यहाँ 123 आधिकारिक भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनमें से 22 भाषाएँ संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ 1600 से अधिक उपभाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं । हरेक भाषा की अपनी लिपि, व्याकरण, शब्द भण्डार और संरचना है । हरेक भाषा की अपनी विशेष प्रकृति है । हरेक बोली की अपनी भिन्न मिठास है ! भाषाओं के व्युत्पत्ति का इतिहास और विकास क्रम के साथ-साथ हरेक भाषा का अपना एक प्रभुत्व क्षेत्र है । हरेक भाषा की अपनी समृद्ध साहित्य परम्परा और सांस्कृतिक विरासत है । आठवीं अनुसूची का उद्देश्य राजभाषा आयोग में इन भाषाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना तथा हिन्दी के विकास में उनकी सहायता लेना है। अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 के माध्यम से इन भाषाओं को हिन्दी के समृद्धिकरण में सहयोगी बनाया गया है। सामान्यत: यह माना जाता है कि किसी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने से उसका संरक्षण और विकास स्वत: सुनिश्चित हो जाता है। किंतु व्यवहारिक रूप में यह धारणा पूर्णत: यथार्थपरक नहीं है। कश्मीरी, संथाली, सिंधी जैसी भाषाएँ आठवीं अनुसूची में सम्मिलित होने के बावजूद भाषाई संकट और उपेक्षा के दौर से गुजर रही हैं। वर्तमान में 38 से अधिक भारतीय भाषाएँ आठवीं अनुसूची में शामिल होने की प्रक्रिया में प्रतीक्षारत हैं। हमें यह समझना चाहिए कि सरकारी संरक्षण भाषा के प्रचार-प्रसार और अकादमिक कार्यों में निश्चित रूप से सहयोग कर सकता है, किंतु किसी भाषा का वास्तविक संरक्षण समाज में उसके दैनिक उपयोग, साहित्यिक सृजन और पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरण से ही संभव है।

किसी भी देश की उन्नति उसकी शिक्षा नीति पर निर्भर करती है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो न केवल समाज की बुनियादी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को भी सशक्त करती है। परंतु यह शिक्षा किस भाषा में दी जा रही है, यह प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाता है। बच्चों के मौलिक चिंतन और सृजनात्मक क्षमता के विकास के लिए मातृभाषा में शिक्षा देना आवश्यक है। मातृभाषा में शिक्षा देना न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित है, बल्कि यह सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। अनुच्छेद 350। भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में प्रदान करने की सुविधा देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भी प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर देती है तथा जहाँ तक संभव हो, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देती है।

भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए सर्वप्रथम हमें अंग्रेजी-मानसिकता से मुक्त होना होगा। अंतरराष्ट्रीय संबंधों और सूचनाओं के संग्रहण के लिए अंग्रेजी का ज्ञान निश्चित रूप से आवश्यक है, किंतु इसे जीवन का अनिवार्य अंग या श्रेष्ठ भाषा मानकर नहीं अपनाना चाहिए। अंग्रेजी को लोकाचार, सामाजिक संवाद और दैनिक पत्र-व्यवहार का प्रमुख माध्यम बनाने से बचना चाहिए। विश्व के शिक्षाविदों और भाषाविदों के अनुसार, मातृभाषा में शिक्षा देना शिक्षा का सबसे सुलभ, प्राकृतिक और प्रभावी माध्यम है। मातृभाषा हमारी सांस्कृतिक चेतना, पहचान और राष्ट्रीय उन्नति का आधार होती है। हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए तथा इस गौरव के भाव को आने वाली पीढ़ियों तक हस्तांतरित करना चाहिए। जब हम मातृभाषा के प्रति सच्चे समर्पण के साथ कार्य करेंगे, तभी हमारा देश सच्चे अर्थों में समृद्ध और आत्मनिर्भर बन सकेगा।

आज वैश्वीकरण और तकनीकी विकास के इस युग में अंग्रेजी को ज्ञान-विज्ञान और रोजगार की भाषा मानकर उसे प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि भारतीय भाषाएँ हाशिए पर जा रही हैं। यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि हमारी भाषाएँ ही हमारी संस्कृति, परंपरा और अस्मिता की संवाहक हैं। भाषा के लुप्त होने के साथ एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाता है। भारतीय भाषाओं के संरक्षण और उन्नयन के लिए उन्हें विज्ञान, गणित, अभियांत्रिकी, चिकित्सा और अनुसंधान से जोड़ना आवश्यक है। प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालयों तक मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना होगा। जब हम अपनी भाषा में शासन-प्रशासन करेंगे और दैनिक जीवन में उसे अपनाएंगे, तभी भाषाओं का स्वाभाविक विकास होगा। भविष्य में वही भाषाएँ बची रहेंगी जो आर्थिक, सूचनात्मक और प्राविधिक रूप से सशक्त होंगी। भविष्य की इन्हीं संभावनाओं को रेखांकित करते हुए हमें अपने देश को विश्व के श्रेष्ठतम स्थान पर पहुँचाने के लिए भारतीय भाषाओं का सम्मान करना होगा । इति शुभम् ।

-सुधाकर पाठक
अध्यक्ष, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

रिपोर्ट

'भारतीय भाषा दिवस' के अवसर पर 'भारतीय भाषा उत्सव-2025' का भव्य आयोजन सम्पन्न

अपनी मातृभाषा के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल वातारण बनाने और भाषाई सौहार्द विकसित करने के उद्देश्य से हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार तथा डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्त्वावधान में 'भारतीय भाषा दिवस' के उपलक्ष्य में सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025 को डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के भीम सभागार में 'भारतीय भाषा उत्सव' एवं 'मेधावी छात्र एवं भाषा गौरव शिक्षक सम्मान समारोह' का भव्य आयोजन सम्पन्न हुआ। इस समारोह में 317 विद्यालयों के 9 भारतीय भाषाओं (हिन्दी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, सिन्धी, उर्दू) के 850 भाषा शिक्षकों को 'भाषा गौरव शिक्षक सम्मान' से तथा भारतीय भाषाओं में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले 278 छात्रों को 'भाषा रत्न सम्मान' से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही भारतीय भाषाओं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 6,752 मेधावी छात्रों को परोक्ष रूप से 'भाषादूत सम्मान' से सम्मानित भी किया गया।

चार सत्रों में आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार की सचिव एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी डॉ. रश्मि सिंह मंचासीन थीं। अन्य विशिष्ट अतिथियों के रूप में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी, डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निदेशक, कर्नल आकाश पाटील, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष, सुधाकर पाठक एवं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र, राजभाषा के निदेशक डॉ. अजित कुमार मंचासीन थे। दीप प्रज्ज्वलन एवं सामूहिक राष्ट्रगान से कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका हिन्दुस्तानी भाषा भारती के 'भारतीय भाषा दिवस' विशेषांक का लोकार्पण भी किया गया।

अपने स्वागत वक्तव्य में हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक ने कहा कि 'भारतीय भाषा उत्सव' ना केवल एक वार्षिक आयोजन है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, समृद्ध और आत्मविश्वास से भरा भारत सौंपने की सतत् यात्रा है।

वर्ष 2022 से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को 'भारतीय भाषा दिवस' के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की गई थी। इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी वर्ष 2023 से भव्य रूप में भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन करती आ रही है। हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी पिछले आठ वर्षों से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों और उनके भाषा शिक्षकों को सम्मानित करती आ रही है। इस योजना के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा में किसी एक भारतीय भाषा (हिन्दी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, सिन्धी, उर्दू आदि) में 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों एवं उन्हें पढ़ाने वाले भाषा शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। अकादमी के इस महत्त्वपूर्ण वार्षिक आयोजन का उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं का प्रचार-प्रसार और उन्नयन करना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 से लेकर अब तक 1605 विद्यालयों के 4221 शिक्षकों एवं 40533 छात्रों को सम्मानित किया जा चुका है।

राजकुमार श्रेष्ठ

अपने आधार वक्तव्य में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य-सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी जी ने हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी की पहल की सराहना करते हुए कहा कि आज से कुछ वर्ष पहले सुधाकर पाठक जी जब इस आयोजन की कल्पना को लेकर हमारे पास आए थे, तो तब हमें नहीं मालूम था कि यह कल्पना इतना बड़े आन्दोलन का स्वरूप ले लेगी। पिछले 5-6 सालों में जो चौकाने वाली प्रगति इस कार्यक्रम में हुई है, वह अपने आप में आश्चर्यजनक है। हम लोग रिकार्डों में विश्वास नहीं करते, लेकिन गिनीज बुक वाले भी खुद यहाँ आकर अपना रिकॉर्ड बनाएँगे। एक और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जब सुब्रमण्यम भारती जी के जन्म दिवस पर पूरा भारत भाषा दिवस मनाता है, तो पूरे देशभर में आयोजन होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा कोई भी आयोजन पूरे देश में होता होगा। यह अपने आप में सबसे बड़ा आयोजन है। इसके साथ ही उन्होंने एआई के दौर में भारतीय भाषाओं की मौलिकता, भारतीय लिपियों और भारतीय ज्ञान पर अपनी चिंता भी व्यक्त की।

कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार की सचिव डॉ. रश्मि सिंह ने अपने उद्बोधन में मातृभाषा शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा शिक्षा को स्थान दिया गया है, किंतु अभी भी हमारे सामने बहुत-सी चुनौतियाँ हैं। मातृभाषा शिक्षा को क्रियान्वित करने के लिए हमारे पास प्रिंट और डिजिटल दोनों रूप में गुणवत्तापूर्ण पाठ्य-सामग्री का अभाव है। विद्यालयों में, सिविल सर्विस की परीक्षा में बच्चे भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं और उसमें अच्छे अंकों से पास भी हो

रहे हैं । इससे संभावनाएँ तो बढ़ रही हैं, किंतु संभावनाओं के साथ-साथ जो चुनौतियां हैं, उसमें हमें काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि अपने परिवेश से जुड़े बिना बच्चों में रचनात्मक सोच का विकास नहीं हो सकता । हम जिस मौलिक और वैज्ञानिक सोच की बात कर रहें हैं, उसके लिए भी जरूरी है कि बच्चों को अपनी मातृभाषा से जोड़ा जाए ।

उद्घाटन सत्र की समाप्ति पर मंचासीन अतिथियों एवं सभागार में उपस्थित शिक्षकों, छात्रों एवं विशिष्ट अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन देते हुए डॉ. अजीत कुमार, निदेशक (राजभाषा) इं.गां.रा.क.के. ने भाषाओं की विलुप्तिकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ सम्मिलित हैं, किन्तु उन भाषाओं में भी कई भाषाएँ लुप्त हो रही हैं । यदि हमने भाषाओं पर प्रमुखता से काम नहीं किया तो आने वाले समय में हमारी बहुत-सी भाषाएँ धीरे-धीरे लुप्त हो जाएँगी ।

कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में डॉ. सच्चिदानंद मिश्र, सदस्य-सचिव, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, प्रो. डॉ. साधना शर्मा, पूर्व प्राचार्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रो. हितेंद्र मिश्र, निदेशक, केंद्रीय हिन्दी निदेशालय, प्रो. रमा शर्मा, प्राचार्या, हंसराज महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, श्रीमती इंदिरा मोहन, अध्यक्ष, दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रो. अवनीश कुमार एवं प्रो. सत्यकेतु सांस्कृत, डीन, अम्बेडकर विश्वविद्यालय आदि उपस्थित थे ।

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद मिश्र ने अपने उद्बोधन में अंग्रेजी भाषा के प्रभाव को रेखांकित करने हुए कहा कि हमारे यहाँ अंग्रेजी भाषा का प्रभाव होने में आपत्ति नहीं है, किन्तु हमारी मातृभाषाओं का प्रभाव कम होने में बुराई है । भाषा का उद्देश्य संवाद करना है । हमें ऐसी भाषा में संवाद करना चाहिए जो हमारे मस्तिष्क में ज्यादा व्यवस्थित ढंग से संरक्षित हो । भाषा हमारे ज्ञान के लिए आधार का काम करती है । मातृभाषा के महत्त्व पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब हम चेतना अवस्था में नहीं होते तब भी वह भाषा हमारे चिंतन में, विचारों में चल रही होती है । इसलिए हम सोते समय भी अपनी भाषा में सपने देख रहे होते हैं।

अन्य मंचासीन अतिथियों ने भी सभागार में उपस्थित शिक्षकों एवं छात्रों को संबोधित करते हुए भारतीय भाषाओं, संस्कृति, सभ्यता एवं भारतीय ज्ञान परम्परा पर अपने उद्बोधन दिए । मंचासीन अतिथियों द्वारा शिक्षकों एवं छात्रों को क्रमवार रूप से सम्मानित किया गया ।

-राजकुमार श्रेष्ठ
संयुक्त सम्पादक, हिन्दुस्तानी भाषा भारती

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी की नि: शुल्क सभाकक्ष योजना

साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु नि:शुल्क 'सभाकक्ष' उपलब्धता संबंधी महत्त्वपूर्ण सूचना :-

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा लेखकों, साहित्यकारों, शिक्षाविदों, साहित्यिक/सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए साहित्यिक कार्यक्रमों जैसे पुस्तक लोकार्पण, पुस्तक परिचर्चा, काव्य गोष्ठी, विमर्श, संगोष्ठी, सम्मान समारोह आदि के लिए अकादमी का 'सभाकक्ष' नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी एक स्व-वित्तपोषित संस्था है जो अपने सीमित संसाधनों से विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करती है। अपने कार्यों को विस्तार देते हुए अकादमी ने रोहिणी, दिल्ली में एक कार्यालय बनाया है, जिसमें अन्य सुविधाओं के साथ ही 60-65 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था वाला सुसज्जित वातानुकूलित सभाकक्ष भी है। इस हॉल में मंच, पोडियम, माइक आदि की व्यवस्था है। अकादमी की केंद्रीय समिति ने निर्णय लिया है कि अकादमी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता एवं नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कार्यालय स्थित सभागार को साहित्यिक आयोजनों हेतु नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

सभाकक्ष में कार्यक्रम आयोजन हेतु सामान्य नियमावली-

1. सभाकक्ष सीमित समयावधि के लिए पूर्णतया नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा ।

2. सभाकक्ष की नि:शुल्क बुकिंग 'पहले आओ-पहले पाओ' और उपलब्धता के आधार पर की जाएगी।

3. आयोजन के लिए लिखित रूप/ईमेल द्वारा, कार्यक्रम के विवरण सहित आवेदन करना होगा तथा आयोजन अवधि में पूर्ण अनुशासन बनाये रखने की सहमति देनी होगी।

4. सभाकक्ष में केवल साहित्यिक आयोजनों की ही अनुमति होगी और अकादमी की केंद्रीय समिति का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा।

नोट : नि:शुल्क सभाकक्ष की बुकिंग के लिए संपर्क करें :-

सुधाकर पाठक

अध्यक्ष, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी
प्लॉट 19-20, पॉकेट बी-5, सेक्टर 7, रोहिणी,
(निकट रोहिणी पूर्व मेट्रो स्टेशन), दिल्ली-110085

ईमेल: hindustanibhashabharati@gmail.com
Info@hindustanibhadhaakadami.com
मोबाइल- 9873556781 / 9968097816

वेबसाइट : www.hindustanibhashaakadami.com

रिपोर्ट

केन्द्र सरकार के अभियान 'हमारा संविधान - हमारा स्वाभिमान' के अंतर्गत विद्यालयों के प्राचार्यों हेतु द्वि-दिशात्मक सहयोगात्मक शिक्षण कार्यशाला 'अपने संविधान को जानें' का सफल आयोजन सम्पन्न

डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी, दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 3 फरवरी 2026 को डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला 'अपने संविधान को जानें' सफलतापूर्वक संपन्न हुई ।

इस कार्यशाला की मूल अवधारणा 'द्वि-दिशात्मक सहयोगात्मक शिक्षण' पर आधारित थी । द्वि-दिशात्मक शिक्षण से तात्पर्य उस पद्धति से है, जिसमें ज्ञान का प्रवाह केवल वक्ता से श्रोता की ओर एकतरफा नहीं होता, अपितु संवाद, प्रश्नोत्तर, अनुभव-साझाकरण तथा सक्रिय सहभागिता के माध्यम से दोनों दिशाओं में होता है । सहयोगात्मक शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षार्थी, शिक्षक, विषय-विशेषज्ञ एवं संस्थान मिलकर सीखने की सामूहिक एवं सक्रिय प्रक्रिया में भाग लेते हैं । इस प्रकार यह कार्यशाला परंपरागत व्याख्यान-आधारित पद्धति से भिन्न, पूर्णतः सह-भागितापरक एवं अनुभव-उन्मुख शिक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण सिद्ध हुई । इसका प्रमुख लक्ष्य था कि प्रतिभागी (प्रधानाचार्य) संविधान को मात्र पाठ्यपुस्तक का विषय न समझें, अपितु उसे अपने दैनिक जीवन, समाज तथा राष्ट्र से गहराई से जुड़े एक जीवंत दस्तावेज के रूप में आत्मसात करें ।

कार्यक्रम का प्रारंभ प्रातः 10:00 बजे स्वागत एवं जलपान के साथ हुआ । तत्पश्चात् प्रतिभागियों का पंजीकरण एवं किट वितरण किया गया, जिसके माध्यम से सभी प्रतिभागियों को कार्यशाला की विषयवस्तु से संबंधित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई । दीप प्रज्ज्वलन, सामूहिक राष्ट्रगान तथा अतिथियों के सम्मान के साथ उद्घाटन सत्र का विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया । इस सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में प्रो. (डॉ.) के. जी. सुरेश, निदेशक, इंडिया हैबिटेट सेंटर, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री वी. के. शेखर, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी (सेवानिवृत्त), विशिष्ट वक्ता के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय की संविधान विशेषज्ञ एवं सहायक प्राध्यापक डॉ. सीमा सिंह, डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निदेशक श्री आकाश पाटील एवं हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक मंचासीन थे ।

अपने स्वागत उद्बोधन में हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक ने कहा कि सामान्यतः संविधान को केवल विधिवेत्ताओं, कानून के विद्वानों तथा विधि छात्रों का विषय माना जाता है । उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय संविधान में भारतीय संस्कृति, भाषा, लोक कलाएँ, ज्ञान परंपरा एवं जीवन मूल्यों का प्रत्येक कण समाहित है । इसे छात्रों तक पहुँचाने का सबसे सुगम एवं प्रभावी माध्यम विद्यालयों के प्राचार्य ही हैं, जिनसे बढ़कर कोई अन्य मार्ग नहीं हो सकता । उन्होंने भाषा, संस्कृति एवं संविधान के घनिष्ठ अंतर्संबंध पर प्रकाश डालते हुए विद्यालयी स्तर पर संवैधानिक मूल्यों के प्रसार एवं व्यावहारिक समावेश की आवश्यकता पर विशेष बल दिया ।

विनोद पाराशर

विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित दिल्ली विश्वविद्यालय की संविधान विशेषज्ञ एवं सहायक प्राध्यापक डॉ. सीमा सिंह ने अपने बीज वक्तव्य में कहा कि भारतीय संविधान कोई आयातित दस्तावेज नहीं है, अपितु यह भारतीय दर्शन, संस्कृति, ज्ञान परंपरा एवं जीवन-मूल्यों को केंद्र में रखकर लिखा गया संविधान है । हालाँकि इसमें विभिन्न देशों से कुछ अवधारणाएँ अवश्य ग्रहण की गई हैं, किंतु इन्हें भारतीय इतिहास, राजनीति, संस्कृति, परंपरा, लोक-मूल्यों तथा दर्शन के अनुरूप पूर्णतः ढाला गया है । संविधान में 'प्रजा' का अर्थ केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राष्ट्र के भीतर समाहित सभी तत्व पेड़-पौधे, नदियाँ, झरने, पहाड़, पशु-पक्षी, भाषा, कला, संस्कृति एवं रहन-सहन सभी समाविष्ट हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रति में राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, वेद, पुराण, उपनिषद् तथा महाराणा प्रताप सहित 27 ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक चित्रों का समावेश है । सुप्रीम कोर्ट का मोटो 'यतो धर्मस्ततो जयः' महाभारत से लिया गया है, तथा अद्वैतवाद की अवधारणा भी बौद्ध दर्शन के धम्म से प्रेरित है । इस प्रकार भारतीय संविधान भारत की आत्मा है । उन्होंने संविधान को मात्र एक विधिक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीवंत सामाजिक अनुबंध के रूप में प्रस्तुत करते हुए जोर दिया कि विद्यालयों में संवैधानिक मूल्यों का व्यावहारिक समावेश ही सशक्त लोकतांत्रिक नागरिकता की आधारशिला है ।

विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित श्री वी. के. शेखर, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी (सेवानिवृत्त), संविधान विशेषज्ञ, ने अपने उद्बोधन में संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की समसामयिक प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला । उन्होंने प्रधानाचार्यों से अपेक्षा की कि वे विद्यालयों को केवल परीक्षा-केंद्रित ना रखकर मूल्य-आधारित शिक्षा के सशक्त केंद्र बनाएँ ।

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रो. (डॉ.) के.जी. सुरेश, निदेशक, इंडिया हैबिटेट सेंटर ने अपने संबोधन में संविधान, नागरिक जिम्मेदारी तथा नेतृत्व के अंतर्संबंध पर गहन विचार व्यक्त किए । उन्होंने कहा कि संविधान को पढ़ा जाना चाहिए, तभी हम अपने संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को पूर्णत: समझ पाएँगे । समाज में एक बड़ा वर्ग अभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित है । किसी के अधिकारों का उल्लंघन होने पर उनकी रक्षा करना भी हमारा सामूहिक दायित्व है । आज के सोशल मीडिया युग में समाज में ध्रुवीकरण एवं विघटनकारी विचारधारा सबसे अधिक हावी हो रही है । संविधान के निर्माण में बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया, जिसमें समाज के सभी वर्गों, धर्मों, संप्रदायों, जातियों एवं समुदायों की सहभागिता रही । संविधान अकेले बाबासाहेब ने नहीं लिखा, बल्कि यह सभी भारतीयों के सामूहिक प्रयासों से गढ़ा गया है । संविधान सभी भारतीय नागरिकों के लिए सर्वोच्च एवं सबसे महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है। गीता, कुरान, वेद, उपनिषद आदि हमारे आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों को निर्देशित करते हैं कि व्यक्ति का आचरण एवं लोक व्यवहार कैसा होना चाहिए, किंतु संविधान स्पष्ट रूप से नागरिकों, सरकार, न्यायपालिका तथा विधायिका की जिम्मेदारियाँ निर्धारित करता है । उन्होंने आगे जोड़ा कि भारतीय संविधान में वर्णित सुशासन, समता, पंचायती राज एवं गणराज्य की अवधारणाएँ भारतीय इतिहास, दर्शन, वेदों तथा लिच्छिवी गणराज्य काल से प्रेरित हैं ।

प्रश्नोत्तर सत्र में विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं विभागाध्यक्षों ने अपनी जिज्ञासाएँ व्यक्त कीं। मंचासीन अतिथियों ने अत्यंत विनम्रता एवं स्पष्टता से उनके प्रश्नों का उत्तर दिया तथा सभी प्रतिभागियों का ज्ञानवर्धन किया । दोपहर 1:00 से 2:00 बजे तक भोजन अवकाश रहा, जिसमें प्रतिभागियों के बीच अनौपचारिक संवाद एवं विचार-विनिमय हुआ । समापन सत्र दोपहर 2:00 बजे आरंभ हुआ । इस सत्र में स्वागत उद्‌बोधन डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निदेशक श्री आकाश पाटील द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने केंद्र की शैक्षणिक पहलों एवं संविधान जागरूकता अभियानों की रूपरेखा प्रस्तुत की ।

विशिष्ट वक्ता के रूप में वरिष्ठ पत्रकार सुश्री रीमा गौतम ने मीडिया, लोकतंत्र एवं संवैधानिक मूल्यों के अंतर्संबंध पर विचार व्यक्त करते हुए युवाओं में संवैधानिक समझ विकसित करने हेतु शिक्षा संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया । विशिष्ट अतिथि प्रो. नीलम गोयल, प्राचार्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा एवं विद्यालयी शिक्षा के मध्य संवैधानिक मूल्यों के सतत सेतु की आवश्यकता पर प्रकाश डाला ।

समापन सत्र में प्रधानाचार्यों एवं विभागाध्यक्षों ने अपने-अपने संक्षिप्त विचार साझा किए । तत्पश्चात् सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान किए गए। कार्यक्रम का समापन औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुआ ।

यह कार्यशाला न केवल एक शैक्षणिक आयोजन थी, अपितु विद्यालयी नेतृत्व के माध्यम से संविधान को जीवंत एवं व्यावहारिक अनुभव में रूपांतरित करने की एक गंभीर एवं संगठित पहल सिद्ध हुई । प्रतिभागियों ने इसे अत्यंत उपयोगी, प्रेरणादायक एवं व्यवहारिक बताया तथा भविष्य में ऐसे और कार्यक्रमों के आयोजन की अपेक्षा व्यक्त की।

दोपहर 1:00 से 2:00 बजे तक भोजन अवकाश रहा, जिसके दौरान प्रतिभागियों के बीच अनौपचारिक संवाद एवं विचार-विनिमय हुआ । समापन सत्र दोपहर 2:00 बजे आरम्भ हुआ। इस सत्र में स्वागत वक्तव्य डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निदेशक श्री आकाश पाटील द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने केंद्र की शैक्षणिक पहलों एवं संविधान जागरूकता अभियानों की रूपरेखा प्रस्तुत की । विशिष्ट वक्ता के रूप में वरिष्ठ पत्रकार सुश्री रीमा गौतम ने मीडिया, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के संबंध पर विचार रखते हुए युवाओं में संवैधानिक समझ विकसित करने में शिक्षा संस्थानों की भूमिका पर बल दिया । विशिष्ट अतिथि प्रो. नीलम गोयल, प्राचार्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, ने उच्च शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा के मध्य संवैधानिक मूल्यों के सतत् सेतु की आवश्यकता पर प्रकाश डाला । समापन सत्र में प्रधानाचार्यों एवं विभागाध्यक्षों ने अपने-अपने संक्षिप्त विचार साझा किए। तत्पश्चात प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान भेंट किए गए । कार्यक्रम का समापन औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ ।

यह कार्यशाला न केवल एक शैक्षणिक आयोजन थी, बल्कि विद्यालयी नेतृत्व के माध्यम से संविधान को जीवन्त अनुभव में रूपांतरित करने की एक गंभीर और संगठित पहल सिद्ध हुई । प्रतिभागियों ने इसे अत्यंत उपयोगी, प्रेरणादायक एवं व्यवहारिक बताया तथा भविष्य में ऐसे और कार्यक्रम आयोजित करने की अपेक्षा व्यक्त की ।

-विनोद पाराशर
उप सम्पादक, हिन्दुस्तानी भाषा भारती

'हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान' हेतु द्वि-दिशात्मक सहयोगात्मक शिक्षण कार्यक्रम के कुछ चित्र

कार्यालयीन संदर्भ : हिन्दी में अनुवाद एवं मौलिक लेखन

डॉ. श्याम किशोर पाण्डेय

सरकारी कामकाज में सरल हिन्दी का प्रयोग विषय पर विचार करते समय सबसे पहले मन में यह प्रश्न उठता है कि सरकारी कामकाज में ही सरल हिन्दी का प्रयोग क्यों करें, तो इसका उत्तर भी उसके साथ ही जुड़ा है । चूँकि यह विषय आम आदमी से संबंधित है, इसलिए ऐसी हिन्दी होनी चाहिए जो सभी की समझ में आ जाए और विषय समझने के लिए अधिक माथापच्ची न करनी पड़े और वही हिन्दी सरल हिन्दी है । पर, इसके साथ ही एक प्रश्न और जुड़ा हुआ है कि सरकारी कामकाज है क्या और सरल हिन्दी से हमारा आशय क्या है ? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ही इस विषय का मुख्य प्रतिपाद्य है । हम यहाँ पर सरकारी कामकाज से केंद्र सरकार के कार्यालयों, भारत सरकार के स्वामित्व में आने वाले संगठनों, कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, प्रतिष्ठानों आदि का ही संदर्भ लेंगे । ये कार्यालय, संगठन, संस्थाएं ऐसी हैं जिनका विस्तार देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ है, जिनमें हिन्दी भाषी राज्यों, हिन्दीतर भाषी राज्यों और ऐसे कई राज्य भी शामिल हैं जिनकी राजभाषा बोलचाल की भाषा भले ही हिन्दी न हो पर उनकी भाषा हिन्दी से बहुत हद तक मिलती-जुलती है; जैसे महाराष्ट्र, गुजरात एवं पंजाब, केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ । अब जब हम सरकारी कामकाज में सरल हिन्दी के प्रयोग की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत भारत का सुविस्तृत भू-भाग आ जाता है । इस विषय से जुड़ा एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि सरकारी कामकाज के अंतर्गत वे कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र आते हैं, जहाँ पर हिन्दी के सरल रूप का प्रयोग करने की अपेक्षा है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के कार्यालयों-स्वामित्व में आने वाले संगठनों आदि में हिन्दी के प्रयोग से वे सभी क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो सरकार की राजभाषा नीति अर्थात् अधिनियम, नियम और उन पर जारी सरकारी निर्देशों के अधिकार क्षेत्रों के तहत आते हैं, उदाहरणार्थ, पत्राचार, संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ, प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियाँ, करार, संविदाएं, निविदा प्रारूप, विभिन्न समितियों की बैठकों की कार्य सूची एवं कार्यवृत्त, अनुदेश पुस्तिकाएँ, कोड, कार्यालय से संबंधित विषयों पर मौलिक पुस्तक लेखन, प्रशिक्षण सामग्रियाँ, कार्यालय आदेश, गृह पत्रिकाओं में हिन्दी खंड, नाम-पट्ट, सूचना पट्ट, द्विभाषी रबड़ की मोहरें, पत्र शीर्ष, लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख, लेखन-सामग्री की अन्य मदें , विजिटिंग कार्ड, सभी प्रकार के कंप्यूटरों में हिन्दी में कार्य करने की सुविधा, वेबसाइट की सभी सामग्रियों की हिन्दी में उपलब्धता आदि तमाम मदें शामिल हैं ।

उपर्युक्त क्षेत्रों में जब हम सरल-सहज हिन्दी के प्रयोग की बात करते हैं, तो हमें हिन्दी भाषा के गद्य की प्रकृति तथा उसकी व्याकरणिक बारीकियों को गंभीरता से समझना होगा, क्योंकि भाषारूपी महल को स्थायित्व प्रदान करने में शब्द-संपदा एवं व्याकरणिक आधार स्तंभों की भूमिकाएं अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं । इस दृष्टि से दुनिया में प्रचलित कामकाजी भाषाओं, यथा- अरबी, फारसी, चीनी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी आदि तमाम भाषाओं के गद्य का अनुशीलन करके इसे समझा जा सकता है । सरकारी कामकाज में सरल हिन्दी का प्रयोग करने में कहाँ सुगमता होती है और कहाँ कठिनाई होती है, इस विषय पर कई दृष्टियों से विचार करना आवश्यक है । हमारे देश में यह सामान्य धारणा है कि हिन्दी भाषी प्रदेशों, यथा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की शत-प्रतिशत जनता को हिन्दी आती है तथा देश की बाकी लगभग 70% जनता हिन्दी समझती है । कुछ हद तक यह बात सही भी है, पर यह भी वास्तविकता है कि आबादी का एक बड़ा वर्ग हिन्दी की तुलना में अपनी स्थानीय बोलियों तथा भाषाओं में सरकारी कामकाज को किया जाना अधिक पसंद करता है । साथ ही, उनके द्वारा प्रयुक्त गद्य रूपों में भी उनकी बोलियों, भाषाओं का प्रभाव देखा जा सकता है । भाषाविद् इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि कोई भाषा बोलने में जितनी सरल होती है, लिखने में वह वैसी ही नहीं होती। उच्चरित एवं लिखित भाषा के इस स्वरूपगत अंतराल को समझे बिना हिन्दी पर क्लिष्ट होने का तोहमत मढ़ दिया जाता है । इससे जुडा एक भाषा वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि वाणी की तुलना में लिपियाँ अधिक संकोची होती हैं और किसी संगठन द्वारा जब कोई पत्र-प्रलेख आदि लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उस संगठन के, संबंधित विषय के शब्द विशेष (पारिभाषिक शब्द) अपने आप लिखित भाषा में शामिल हो जाते हैं । यही कारण है कि किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल द्वारा जारी कागजातों की भाषा वही नहीं होती जो सुरक्षा विभाग, रिफायनरी या बैंकों के ऋण विभागों आदि द्वारा जारी प्रलेखों की होती है । एक उदाहरण देखें:

"पारंपरिक ऋण मूल्यांकन के मामले में उधार दाता सामान्यत: अपने द्वारा दिए गए ऋण की चुकौती की संभावना को आँकता है और तदनुसार ऋण देने संबंधी निर्णय लेता है ।

"(In a conventional term loan appraisal the lender generally weighs only the probability of repayment of the loan provided by him and takes a credit decision accordingly)"

इन दोनों भाषाओं (हिन्दी-अंग्रेजी) के वाक्यों को पढ़ने से स्पष्ट होगा कि हिन्दी भी उतनी ही सहज एवं सरल है जितनी अंग्रेजी । हिन्दी में मूल रूप से कार्यालयों में काम करने के संबंध में इस ऐतिहासिक तथ्य को भी समझने की जरूरत है कि मूल रूप से हिन्दी में काम करने की शुरुआत राजभाषा नियम 1976 के लागू होने के बाद से ही हुई है (अपवाद हो सकते हैं) जबकि कार्यालयीन भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग, देश का भाषाई आधार पर किसी प्रकार का

वर्गीकरण (क, ख, ग क्षेत्र) किए बगैर लगभग दो सौ वर्षों से भी अधिक अवधि से अबाध गति से हो रहा है । साम, दाम ,दंड, भेद आदि सभी नीतियों का सुचारू रूप से उपयोग करते हुए इतनी लंबी अवधि से प्रचलन में होने के कारण कार्यालयों में कार्य करनेवालों के लिए अंग्रेजी के वाक्य सहज एवं सरल लगते हैं, भले ही, वे कितने ही कठिन एवं दुरूह क्यों न हों । हर स्तर से भारतीय भाषाओं के प्रयोग संबंधी प्रवचन देने के बावजूद, आज भी भारत के सुप्रीम कोर्ट और लगभग सभी हाई कोर्टों तथा अधिकांश जिला कोर्टों की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी ही है । ऐसी स्थिति में, कुछ अपवादों को छोड़कर, कार्यालयीन कार्यों में प्रयुक्त होने वाली हिन्दी की भाषा अनुवाद की ही भाषा है । जहाँ अनुवादक सक्षम है, विषय का जानकार है, स्रोत एवं लक्ष्य भाषा पर पकड़ मजबूत है, वहाँ पर प्रयोग की जानेवाली हिन्दी सरल, सहज एवं बोधगम्य होती है और जहाँ ज्ञान और अनुभव की दृष्टि से अनुवादक अपेक्षाकृत कमजोर है वहाँ पर प्रयुक्त होने वाली भाषा क्लिष्ट तथा बोझिल हो जाती है और कई बार अर्थ का अनर्थ भी कर देती है । कुछ अटपटे एवं गलत वाक्यों का उदाहरण देखिए: "मंच पर उन्हें आमंत्रण देकर उनके विचार सुनकर उन्हें अपनी महत्ता को महसूस करवा सकते हैं ।" "दावा की रकम बैंक को अदा की जाएगी ताकि वह बकाया ऋण रकम में इसका समायोजन किया जा सके ।" (The claim amount will be paid to the bank to adjust the outstanding loan amount)

कार्यालयीन कामकाज में प्रयोग की जाने वाली हिन्दी सरल एवं सटीक हो, इसके लिए आवश्यक है कि विषय के जानकार व्यक्ति जो विभागों में कार्यरत हैं, वे वैसे ही हिन्दी में भी लिखें जैसाकि अंग्रेजी में लिखते हैं । यदि सभी कर्मचारियों का धीरे- धीरे ही सही मूल रूप से हिन्दी में कार्य करने का अभ्यास हो गया तो कालांतर में हिन्दी अनुवादकों की वैसे ही जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे कि आज अंग्रेजी अनुवादकों की नहीं पड़ती । सरकारी कार्यालयों की भाषा सरल एवं सहज हो इसके लिए यह आवश्यक है कि कार्यालयों में कार्यरत अनुवादकों-अधिकारियों के मामले में यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी निम्नलिखित विषयों पर पकड़ मजबूत हो :

(क) विषय संबंधी :

कार्यालय का हर कार्य उद्देश्यपरक होता है, अत: जिस विषय का अनुवाद करना हो उसके बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए । उदाहरण "Stand by letters of credit" के मामले में "आयात के लिए उद्यत साख पत्र" लिखना गलत है । इसी तरह से "The mañimum ceiling is the same irrespective of whether any one of the couple or both of them undergo the tests"

अधूरा अनुवाद: "उच्चतम सीमा वही होगी चाहे पति या पत्नी या दोनों स्वास्थ्य परीक्षण करवाते हों"

सटीक अनुवाद: "उच्चतम सीमा वही रहेगी, भले ही, दंपति में से कोई एक स्वास्थ्य परीक्षण करवाए या दोनों ही परीक्षण करवाएं ।"

(ख) भाषा संबंधी :

1. वर्तनी : हिन्दी लिखते समय प्राय: वर्तनी की गलतियाँ होती हैं । यह गलती आनुपातिक रूप से कमोबेश हिन्दी भाषी और हिन्दीतर भाषी दोनों जगहों के लोग करते हैं । कई महत्त्वपूर्ण प्रलेखों में भी ऐसी गलतियाँ देखने को मिलती हैं; जैसे ,पी पी एफ की पासबुक में : "किसी भी एक लेखा कार्यालय से दुसरे लेखा कार्यालय में" यहाँ दूसरे की जगह 'दूसरे' मुद्रित है । भारतीय डाक की बचत बैंक की पासबुक में उदहरणार्थ, 2 वर्षों का सावधि जमा खाता 2 वर्षों के लिए स्वत: ही नवीकृत हो जाएगा । परिपक्वता के दिन लागु ब्याज की दर लागू होगी।" यहाँ उदाहरणार्थ की जगह उदहरणर्थ लिखा है । एक ही पंक्ति में लागु लिखा है तो दूसरी जगह लागू लिखा है । 1, 2, 3, एवं 5 वर्षीय सावधि जाम । जमा की जगह 'जाम' लिखा है । एक ही पृष्ठ में तीन-चार वर्तनी दोषों का मिलना गंभीर लापरवाही का उदाहरण है । ऐसा कोई भी Spelling Mistakes अंग्रेजी पाठ में नहीं मिलेगा, हिन्दी में इस तरह की या इससे भी महत्त्वपूर्ण स्थानों पर वर्तनी की गलतियाँ इसलिए मिलती हैं कि हिन्दी लिखते समय कोई जिम्मेदारी का भाव नहीं निभाया जाता और गलती के लिए किसी को उत्तरदायी बनाने का नियम भी नहीं है, जबकि अंग्रेजी में गलत लिखनेवालों को जिम्मेदार ठहराने का नियम है । हिन्दी में इस तरह के मात्रा दोष न हो, यह भी एक गंभीर विचारणीय विषय है ।

2. केंद्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रकाशित 'मानक हिन्दी वर्तनी' नामक पुस्तिका में दिए गए निर्देशों का अनुसरण करके वर्तनी में होने वाली गलतियों से यथासंभव बचा जा सकता है । इस पुस्तिका में संयुक्ताक्षर बनाने का ढंग, विभक्ति चिह्नों का प्रयोग, क्रिया पदों का प्रयोग, हाइफन का प्रयोग, अनुस्वार-अनुनासिकता, विदेशी ध्वनियों को लिखने का ढंग, श्रुतिमूलक य, व के प्रयोग संबंधी निदेश, स्वन परिवर्तन, पूर्वकालिक प्रत्यय, शिरो रेखा, पूर्ण विराम आदि के बारे में वैज्ञानिक ढंग से सुविस्तृत जानकारी दी गई है । साथ ही, अंकों की मानक वर्तनी भी दी गई है । इसमें उल्लिखित निदेशों का अनुपालन देवनागरी लिपि के लेखन में उपजी अराजकता को कम करने में तो मददगार होगा ही, वर्तनी की एकरूपता की दृष्टि से भी यह एक प्रभावी कदम होगा ।

3. व्याकरण : भाषा का प्राण है, व्याकरण। कार्यालयीन हिन्दी लिखनेवालों में / अनुवादकों में व्याकरण का अच्छा ज्ञान और उसके प्रयोग के मामले में अच्छी समझ का होना बहुत जरूरी है । इन पंक्तियों के लेखक ने केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरों, विभिन्न बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत अनुवादकों-अधिकारियों से जुड़े विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान व्याख्यान देते हुए यह अनुभव किया है कि अनुवादकों-कर्मचारियों की जितनी बढ़िया पकड़ अंग्रेजी व्याकरण की होती है, उतनी ही अच्छी पकड़ हिन्दी व्याकरण की नहीं होती । कई बार यह भी अनुभव हुआ है कि कर्मचारियों ने Wren and Martin, J C Nesfield का अंग्रेजी व्याकरण तो काफी ध्यान से पढ़ा है, पर हिन्दी का व्याकरण उन्होंने कब पढ़ा था, किस

पुस्तक से पढ़ा था, इसका भी उन्हें स्मरण नहीं होता । यही कारण है कि सामान्य, अंग्रेजी जानने वाला अंशकालिक कर्मचारी भी, कभी भी, भूलकर भी, एक व्यक्ति के लिए "You is coming" नहीं बोलता, जबकि विद्वान राजभाषा अधिकारी भी "मैंने जाना है", "मैंने क्या करना" जैसे वाक्यों को बोलते हुए मिल जाएँगे ।

सुनने, पढ़ने में भले ही यह छोटी बात लगती हो, परंतु भाषा के महत्त्व को समाज किस तरह से अंगीकार करता है, उसे समझने के लिए ऐसे उदाहरणों के तह में जाकर इनकी गंभीर पड़ताल करने की जरूरत है । संस्कृत में विद्वानों के बीच यह कहावत बहुत प्रचलित है कि "किसी वैयाकरण के मुख से मात्रा के प्रयोग में हुई एक गलती को भी दूसरे वैयाकरण इतनी बड़ी खुशी मानते हैं मानों उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई हो ।" यह उदाहरण यूँ ही नहीं है, अपितु यह बताने के लिए पर्याप्त है कि संस्कृत भाषा का प्रयोग करते समय कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है । व्याकरण का सम्यक् ज्ञान न होने से अनुवाद करते समय मूल रूप से लिखते समय तो कठिनाई आती ही है, भाषा की प्रांजलता, अर्थवत्ता और उसकी रवानगी पर भी इसका असर पड़ता है । अत: जरूरी है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक (चिह्न), काल, लिंग, वचन, संधि, समास, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय (कृदंत और तद्धित), विराम चिह्न, मुहावरों, वाच्य, शब्द शक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि प्रमुख व्याकरणिक अंगों के बारे में सम्यक् जानकारी प्राप्त की जाए तथा निरंतर अभ्यास द्वारा इसे हस्तामलक भी किया जाए । इनमें भी काल, कारक चिह्नों, लिंग निर्धारण तथा वाच्यों के प्रयोग के बारे में विशेष जानकारी का होना आवश्यक है । गंभीर तकनीकी विषयों पर अंग्रेजी में लिखे लंबे एवं संश्लिष्ट वाक्यों को तोड़कर हिन्दी के छोटे-छोटे वाक्यों को बनाते समय व्याकरण के इस ज्ञान की गंभीर परीक्षा होती है । साथ ही, इस बात को भी ध्यान में रखना है कि वाक्य बनाते समय अंग्रेजी वाक्यों की संरचना का अंधानुकरण न हो, क्योंकि अंग्रेजी में चेंपअम अवपबम में लिखे लंबे वाक्य जैसे सहज एवं बोधगम्य लगते हैं, वैसे ही, हिन्दी में कर्तृ वाच्य में लिखे छोटे-छोटे वाक्य अर्थवान एवं सरल लगते हैं । एक और बात ध्यान में रखने की है कि अंग्रेजी भाषा की शैली समष्टिपरक है अर्थात् पाँच-छह पंक्तियों के वाक्य, यहाँ तक की दस-दस पंक्तियों के वाक्य भी वहाँ सहज लगते हैं, जबकि व्यष्टिपरक भाषा होने के कारण हिन्दी में छोटे-छोटे वाक्य ही सटीक एवं सहज लगते हैं । एक उदाहरण देखें :

"कार्यालय ने श्री एक्स के आवेदन प्राप्त कर लिया है ।"

इस वाक्य में 'ने' विभक्ति चिह्न का गलत प्रयोग है । साथ ही, कर्मवाच्य में वाक्य बनाने की कोशिश करने से वाक्य संरचना गलत हो गई है ।

"इसकी प्राप्ति के उपरांत जेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी अलग पॉलिसियाँ जारी करेगी"

उपर्युक्त वाक्य में 'से' विभक्ति चिह्न छूट जाने से अर्थ भ्रम होने की गुंजाइश बढ़ गई है ।

व्याकरण के सही प्रयोग के साथ-साथ बिना अर्थ वाले वाक्यों, शिथिल वाक्यों, जटिल वाक्यों, द्विरुक्तियों आदि के दोष वाले वाक्यों के प्रयोग से कैसे बचना है , इसके बारे में भी सुस्पष्ट जानकारी होनी चाहिए । उपर्युक्त उदाहरण बड़े सामान्य उदाहरण हैं, गंभीर विषयों एवं लंबे संश्लिष्ट अंग्रेजी के वाक्यों को तोड़कर हिन्दी में छोटे-छोटे अर्थवान एवं सटीक वाक्यों की रचना करते समय अनुवादकों के दाँत से भी पसीना निकलने लगता है ।

4. शब्दावली : कार्यालयीन कामकाज में उस संगठन / संस्थान द्वारा निर्धारित की गई या भारत सरकार द्वारा बनाई गई शब्दावलियों का ही प्रयोग होता है /किया जाना चाहिए । सामान्य प्रशासनिक कार्यों से जुड़े दैनंदिन पत्राचारों में भी प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए; जैसे Yours Faithfully के लिए "भवदीय" Yours Sincerely के लिए "आपका" आदि। प्रशासनिक विषयों के अतिरिक्त, अन्य विषयों के मामले में कार्यालय की प्रकृति के अनुरूप तकनीकी शब्दों का प्रयोग होता है; जैसे निलंबन, परिसर, आवंटन, पदच्युति, पदावनति, नैतिक अधमता, निष्पादन, मूल्याँकन, अधिवर्षिता आदि । कार्यालयीन कार्यों में अंग्रेजी के कुछ शब्द विशेष प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होते हैं, अत: सटीक शब्दों का चयन अत्यंत सावधानी से करना चाहिए; जैसे Drder- आदेश, Direction- निदेश, Sanction- स्वीकृति, Approval- अनुमोदन आदि । अंग्रेजी के दो-तीन शब्दों के लिए हिन्दी में जहाँ एक ही शब्द से काम चल जाता हो और वह शब्द सबकी समझ में आनेवाला हों तो ऐसे शब्दों का अधिक-से-अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए; जैसे Devoted to Duty- कर्तव्य पारायण Good luck- सौभाग्यवश, As far as Possible- यथासंभव, Above Mentioned- उपर्युक्त, As may be necessary- यथावश्यक, the result- फलस्वरूप इत्यादि। भारत सरकार के शब्दावली आयोग द्वारा कई प्रकार की शब्दावलियाँ बनाई गई हैं जिनमें विधि से जुड़े विषयों के लिए विधि शब्दावली काफी उपयोगी है । इसी तरह से बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग शब्दावली बनाई है । हिन्दी लिखते समय मनमानी शब्दों का प्रयोग करने के बजाय इन शब्दावलियों की अधिक-से-अधिक मदद ली जानी चाहिए ।

5. अनुवाद: सरकारी हिन्दी के क्लिष्ट होने का दारोमदार बहुत हद तक हिन्दी का अनुवाद की भाषा होना भी है । पर, सच यही है कि सरकारी कामकाज में प्रयोग की जानेवाली हिन्दी आज भी अधिकांश मामलों में अनुवाद की ही भाषा है । वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए अभी काफी समय तक अनुवाद की जरूरत पड़ेगी । इसका मुख्य कारण यह है कि अभी भी बहुत सारे प्रलेख मूल रूप से अंग्रेजी में ही हैं और आज भी मूल ड्राफ्ट पहले अंग्रेजी में ही तैयार किए जाते हैं । अब समय आ गया

है कि हिन्दी में ही मूल ड्राफ्ट तैयार किए जाएँ और अपेक्षानुसार उनके अंग्रेजी अनुवाद कराए जा सकते हैं । साथ ही, विधि की भाषा तथा सुप्रीम कोर्ट और अधिकांश हाईकोर्टों की भाषा केवल अंग्रेजी होने के कारण मूल रूप से कार्य अंग्रेजी में ही किया जाता है और उसका आवश्यकतानुसार हिन्दी में अनुवाद कर लिया जाता है । पिछले कुछ वर्षों से इन संस्थाओं में छिटपुट प्रयास मूल रूप से हिन्दी में लिखने के भी किए जाने लगे हैं, पर वे ऊँट के मुँह में जीरा से अधिक कुछ नहीं हैं। हिन्दी मे मूल लेखन के इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ भगीरथ प्रयास किया जाना शेष है । हिन्दी में अनुवाद करते समय अंग्रेजी के वाक्य संरचना की सामासिक प्रकृति का मोह त्यागकर यदि हिन्दी वाक्य संरचना की व्यष्टिपरक शैली को अपनाते हुए हिन्दी में अनुवाद किया जाए तो हिन्दी सहज एवं सरल होगी तथा अर्थ भ्रम की भी गुंजाइश नहीं रहेगी । एक उदाहरण देखिए–

"The public sector banks may evolve their own schemes of Hindi training either individually or collectively and should themselves decide the mode of training, aiming at equipping the employees with functional Hindi which could be used by them in the working of the banks-

बिना पूर्ण विराम वाली उपर्युक्त तीन पंक्तियाँ अंग्रेजी की समष्टि मूलक प्रकृति का एक उदाहरण है । इसका अनुवाद करते समय इसे तीन पंक्तियों में तोड़कर यदि लिखा जाए तो अर्थ भी स्पष्ट होगा और हिन्दी का स्वरूप भी सहज एवं सरल होगा । हिन्दी पाठ देखें :

"सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अकेले या सामूहिक रूप से हिन्दी प्रशिक्षण की अपनी योजनाएँ तैयार करनी चाहिए । उन्हें स्वयं ही प्रशिक्षण के तरीके के बारे में निर्णय करना चाहिए । प्रशिक्षण का लक्ष्य यह होना चाहिए कि कर्मचारियों को ऐसी कामकाजी हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाए जिसका वे बैंकों के कामकाज में उपयोग कर सके।"

उपर्युक्त हिन्दी पाठ में अंग्रेजी के बिना विराम वाले तीन संश्लिष्ट वाक्यों को अर्थवान दृष्टि से तोड़कर तीन अलग-अलग वाक्य बनाए गए हैं, जो हिन्दी भाषा की प्रकृति के अनुरूप हैं तथा सरल भी हैं। इस तरह के वाक्यों की संरचना उन संदर्भों में भी की जानी चाहिए जहाँ पर अंग्रेजी के वाक्य काफी लंबे होते हैं तथा पारिभाषिक शब्दों से भरे हुए होते हैं । विधि, वाणिज्य, जोखिम प्रबंधन, वसूली, औद्योगिक संबंध, कंप्यूटर तकनीक, विज्ञान, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स आदि विषयों से जुडे प्रसंगों में पारिभाषिक / तकनीकी शब्दों की भरमार तो होगी ही, परंतु यदि अनुवादित हिन्दी की वाक्य संरचना सरल-सहज होगी तब हिन्दी पर क्लिष्ट होने का आरोप भी नहीं लगेगा और हिन्दी पढ़नेवालों को सुकून भी मिलेगा । यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि पारिभाषिक शब्द वाक्य को बोझिल या असहज नहीं बनाते, अपितु गलत एवं जटिल वाक्य संरचना भाषा को बोझिल और अबूझ जरूर बना देती है ।

एक ऐसे ही जटिल एवं अबूझ/गलत अनुवाद का उदाहरण देखिए:

"मिसाल के लिए रिगेल महोदय सूचित करते हैं कि वे फर्में जिनके पास ऐसे कार्यक्रम होते हैं, यह विश्वास करती हैं कि ऐसे कार्यक्रम वर्तमान कार्य पालन तथा पर्यवेक्षण के सभी स्तरों को समुन्नत करते, फर्मव्यापी समस्याओं को अवगति प्रदान करते, पर्यवेक्षकों को बेहतर कृत्य संपादित करने में सहायता प्रदान करते, मूर्द्धन्य कार्यपालों के अवसर पर लगनेवाले धक्के को कम करते तथा अंतर प्रजनन के दोषों को फर्म के अंदर से ही प्रोन्नयन करके दूर करते हैं । वे श्रेष्ठतर संभाव्य को परिभाषित करने में सहायता प्रदान करते और इस प्रकार प्रोन्नयन को समुन्नत करते हैं ।" (डेल थोडर की पुस्तक 'पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस' का बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी द्वारा अनुवादित पुस्तक 'कार्मिक प्रबंध तथा औद्योगिक संबंध' से साभार)

उपर्युक्त अनुच्छेद इतना हास्यास्पद एवं विचित्र है कि इससे विषय का अर्थ बोध तो बिल्कुल भी नहीं होता पर इतना जरूर होता है कि इस तरह के वाक्यों के कारण हिन्दी पर कठिन और अबूझ होने का लांछन जरूर लग जाता है । यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि हमारे कार्यालयों में आज भी विक्टोरिया युगीन अंग्रेजी के प्रचलन का बोलबाला है, जिसको अभी तक सरल करने की दिशा में बहुत कम प्रयास हुए हैं । एक उदाहरण देखिए:

"No persons shall be entitled to attend or vote of the meeting as a duly authorised representative of a company or any body corporate which is a shareholder of the bank, unless a copy of the resolution appointing him@ her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the bank at Chennai not later than four days before the date of the Annual General Meeting i-e-on or before the closing hours of 7th January 2025"

यह बिना पूर्ण विराम का छह पंक्तियों का जटिल वाक्य अंग्रेजी की प्रकृति को बताने के लिए बानगी मात्र है, ऐसे असंख्य अनुच्छेदों की लंबी शृंखला है जिनका अनुवाद करके हिन्दी में उपलब्ध कराया जाता है । जिस संस्था का अनुवादक सुयोग्य है वहाँ तो सहज-सरल हिन्दी उपलब्ध हो जाती है, परंतु जिस संस्था का अनुवादक उतना सक्षम नहीं है, या राजभाषा अधिकारी-हिन्दी अनुवादक के सिर पर हिन्दी अनुवाद जल्दी-से-जल्दी पूरा करने की तलवार लटकी हुई है (यह सोचे-समझे बगैर कि मूल अंग्रेजी ड्राफ्ट के लिए जब इतना लंबा समय दिया गया, तो अनुवाद के लिए भी युक्तियुक्त समय तो मिलना ही चाहिए) वहाँ गलत और उबड-खाबड़ अनुवाद तैयार कर दिया जाता है और यही हिन्दी प्रचारित-प्रसारित हो जाती है तथा बाद में हिन्दी के ऊपर कठिन एवं बोझिल होने का ठीकरा मढ़ दिया जाता है ।

एक उदाहरण द्रष्टव्य है जहाँ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होने के बावजूद भाषा में रवानगी है, सरलता एवं सहजता है :

"ऑनलाइन खरीदारी करते समय हमेशा सुरक्षित ब्राउजर का इस्तेमाल करें । सुरक्षित ब्राउजर सिक्योरसॉकेट्स लेयर (एस एस एल) जैसे संरक्षा मानकों का इस्तेमाल करते हैं । यही नहीं खरीदारी जानी-मानी कंपनियों से ही करें । यदि किसी ऑनलाइन विक्रेता के संपर्क में पहली बार आएँ, तो उसकी सेवाओं और सामान के बारे में जानकारी देने वाले ब्रोशर या केटलॉग की माँग अवश्य करें । संतुष्ट होने के बाद ही ऑनलाइन खरीदारी का निर्णय लें । क्रय आदेश से पूर्व कंपनी की सामान लौटाने और धन वापसी संबंधी नीति का भली-भाँति अध्ययन कर लें ।" (स्रोत : भा.स्टे.बैं- 'प्रयास' पत्रिका से साभार)

कार्यालयीन हिन्दी के सहज-सरल होने के मार्ग में कई बार हिन्दी के शब्दों / वाक्यों का मानकीकरण न होना भी कठिनाई पैदा करता है । जैसे 'Joining Time' को 'कार्यग्रहण अवधि'लिखने के बजाय 'पदग्रहण काल' लिखना, Closing Allowance के लिए 'लेखा बंदी भत्ता' लिखने के बजाय 'संवरण भत्ता' लिखना, 'Satisfactorily' के लिए 'संतोषजनक' के बजाय 'समाधानप्रद' रूप में लिखना, आदि जैसे असंख्य पदों, पद बंधों, वाक्यों का प्रयोग कार्यालयीन कामकाज में होता है । आज जरूरत इस बात की है कि हिन्दी में सामान्य तौर पर प्रयोग में आने वाले पदों, वाक्यांशों एवं वाक्यों का उसी तरह से मानकीकरण किया जाए जैसा कि अंग्रेजी में किया गया है । इससे एक तरफ जहाँ अर्थ भ्रम की गुंजाइश नहीं होगी, वहीं दूसरी तरफ हिन्दी पर क्लिष्ट होने का लांछन भी कम लगेगा।

आज जरूरत है कि सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारियों/ अधिकारियों/ वरिष्ठ कार्यपालकों आदि सभी को हिन्दी भाषा के कामकाजी स्वरूप एवं व्यावहारिक अनुवाद का गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाए । उनसे आग्रह किया जाए कि वे सीखी हुई हिन्दी का अपने दैनंदिन कामकाज में उपयोग करें । साथ ही, संगठन से संबद्ध विषयों का प्रशिक्षण भी हिन्दी माध्यम से प्रदान किया जाए और इसे मात्र खाना पूर्ति के रूप में आयोजित न करके उद्देश्यपरक ढंग से आयोजित किया जाना चाहिए और उतनी ही गंभीरता और गहनता से आयोजित किया जाना चाहिए जैसा कि अंग्रेजी माध्यम के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किया जाता है । इन पंक्तियों के लेखक का अनुभव है कि कई बार इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आने वाले संकाय सदस्य स्वयं ही हिन्दी में व्याख्यान देने में सक्षम / अभ्यस्त नहीं होते और जब पारिभाषिक / तकनीकी शब्दों से युक्त विषय को हिन्दी में स्पष्ट करने की बात आती है तो वे लड़खड़ा जाते हैं और अपने पद-प्रतिष्ठा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा व्याख्यान अंग्रेजी में ही देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं । इन पंक्तियों के लेखक ने एक उच्च एवं प्रतिष्ठित संस्थान में हिन्दी माध्यम से बैलेंस शीट के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान यह अनुभव किया कि एक अति वरिष्ठ फैकल्टी जब "रेशियो एनॉलिसिस" पर व्याख्यान देने के लिए आए, तो वे संबंधित विषय पर चार लाइन भी ढंग से हिन्दी में नहीं बोल पाए और प्रशिक्षणार्थियों से क्षमा माँगते हुए उन्होंने घंटा भर अंग्रेजी में ही अपना व्याख्यान दिया । इससे आँकड़ा जुटाने के लिए हिन्दी माध्यम से संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य तो पूरा हो जाता है पर स्थितियाँ वही ढाक के तीन पात वाली ही रह जाती हैं ।

हिन्दी प्रशिक्षण से जुड़ा एक गंभीर मसला विभिन्न संस्थानों की प्रशिक्षण सामग्रियों का हिन्दी में उपलब्ध न होना/अद्यतन न होना भी है । अधिकांश संस्थान यह घोषित करते हैं कि उनकी सभी प्रशिक्षण सामग्रियाँ हिन्दी में भी हैं, पर वास्तविकता यह है कि उस हैंड आउट के हिन्दी पाठ को न तो संबंधित विषय का प्रशिक्षक पढ़ता है और न ही उसका इस्तेमाल वह अपने व्याख्यान नोट में करता है और न ही व्याख्यान के दौरान करता है । कारण यह है कि प्रशिक्षण सामग्रियों का अनुवाद कार्यालय का राजभाषा अधिकारी / अनुवादक करता है और वह भी उस विषय पर लिखे गए अंग्रेजी के किसी पुराने हैंड आउट से, क्योंकि उसे तो मात्र संख्या पूर्ति के लिए ही अनुवाद करना है। ऐसी स्थिति में, अनुवाद का यह हिन्दी पाठ संबंधित संकाय के लिए बोझिल होने के साथ-साथ अनुपयुक्त भी होता है, क्योंकि अनुवादित सामग्री काफी पुरानी हो चुकी होती है और अनवरत आधार पर अद्यतन नहीं किए जाने के कारण वह प्रशिक्षणार्थियों के लिए अनुपयोगी हो जाती है, जबकि अंग्रेजी पाठ निरंतर अद्यतन किया जाता है । विदेशी विनिमय जैसे विषयों से जुड़े मामलों में तो सत्र वाले दिन भी यदि कोई महत्त्वपूर्ण सूचना आई है तो सजग फैकल्टी उसे भी अपने नोट / हैंड आउट में समाविष्ट कर लेते हैं । ऐसी स्थिति में, संबंधित विषय से जुड़ा कोई भी फैकल्टी अद्यतन सूचना से रहित पुराने हिन्दी हैंड आउट के भरोसे प्रबुद्ध प्रशिक्षणार्थियों के समक्ष डेढ़ घंटे का व्याख्यान हिन्दी में नहीं दे सकता और प्रशिक्षणार्थियों के सामने अपनी फजीहत भी नहीं करा सकता, क्योंकि इससे उसकी पद-प्रतिष्ठा जुड़ी होती है । इसलिए वह बीच-बीच में हिन्दी बोलता जरूर है (क्योंकि प्रशिक्षण हिन्दी माध्यम का है) पर, विषय की गहराई का स्पष्टीकरण वह अंग्रेजी में और केवल अंग्रेजी में ही करता है और यहीं से हिन्दी पीछे छूटते-छूटते छूट जाती है ।

सरल हिन्दी के लिए आवश्यक है कि ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में विषय से जुड़े विद्वानों के द्वारा मूल रूप से हिन्दी में पुस्तकें लिखी जाएँ। भारत सरकार की "हिन्दी में मूल पुस्तक लेखन योजना" के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएँ प्रचलन में तो जरूर है, परंतु विषय के विद्वान लेखकों का योगदान इस क्षेत्र में बहुत ही कम है । जो पुस्तकें लिखी भी जा रही हैं क्या वे पढ़ी भी जा रही हैं ? या केवल संख्या गिनाने तक ही उनकी स्थिति रह गई है, इस पर उपयोगकर्ताओं का फीडबैक लिया जाना चाहिए और इनकी गहन समीक्षा भी की जानी चाहिए। विषय के विशेषज्ञ, विशिष्ट विद्वानों द्वारा जब तक इस क्षेत्र में गहन योगदान नहीं किया जाता तब तक उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती, जिसके लिए "हिन्दी में मूल पुस्तक लेखन" जैसी योजना तैयार की गई है । अत: जरूरत है कि इस योजना का पुनरीक्षण करके उसे लचीला और मौद्रिक शेष पृष्ठ संख्या 21 पर

हिन्दी : भारतीय संस्कृति के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में

प्रो. शैलेन्द्र कुमार शर्मा

भारतीय चिंतनधारा में संस्कृति की संकल्पना अत्यंत व्यापक है। हमारे यहाँ संस्कृति को पूर्णता का पर्याय माना गया है। संस्कृति महज कल्चर नहीं है, इसकी अवधारणा कल्चर की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक और युक्तिसंगत है। इसमें परम्परा, भाषा, साहित्य, नाट्य, कला और शिल्प से लेकर विज्ञान, मूल्य और दर्शन तक सब अंतर्भुक्त हो जाते हैं। संस्कृति एक अखंड और सार्वभौमिक है, किंतु उसकी साधना के अलग-अलग मार्गों के रहते वह अलग-अलग जानी-समझी जाती है। इसी दृष्टि से भारतीय संस्कृति को संस्कृति की अनवरत यात्रा में भारतीय मार्ग के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय संस्कृति अनेक सहस्राब्दियों से विश्व-संस्कृति के मूलाधारों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। सुदूर अतीत से लेकर अब तक संस्कृति की साधना द्वारा मनुष्य अपनी अपरिमित संभावनाओं को मूर्त करता आ रहा है। भाषा, साहित्य और विविधविध कलाओं के सरोकार संस्कृति की आधारभूमि पर पल्लवित-पुष्पित होते हैं। संस्कृति किसी भी राष्ट्र के जन-समुदाय की आत्मा होती है। संस्कृति यदि उच्चतम चिंतन का मूर्त रूप है तो भाषा उसका माध्यम है। विश्वभाषा हिन्दी सही अर्थों में भारतीय संस्कृति और परम्पराओं की समर्थ संवाहिका है। संस्कृत सुदूर अतीत से हमारी संस्कृति को आधार देती आ रही है, आज उसी की सहज उत्तराधिकारिणी के रूप में हिन्दी अपनी समर्थ भूमिका का निर्वाह कर रही है।

भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है, उसकी लोकव्याप्ति। भारतीय संस्कृति को गढ़ने में विविध शास्त्रों के साथ यहाँ की लोक-संस्कृति और लोक भाषाओं को अपनी परिव्याप्ति में सहेजती हुई हिन्दी अहम भूमिका निभा रही है। भारत के अधिकांश अंचलों में शास्त्र, जातीय स्मृतियों, इतिहास और संस्कृति के साथ लोक की अंत:क्रिया सहस्राब्दियों से जारी है, जिसे मजबूती देने में हिन्दी और उसकी विविध बोलियों का जीवंत योगदान है। यह बात भारत की सीमाओं से परे विश्व के तमाम देशों में पहुंची हिन्दी और उसके नव विकसित रूपों में देखी जा सकती है। हिन्दी विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, दर्शन और परंपरा की संवाहिका के रूप में प्रभावी भूमिका निभा रही है। मॉरीशस, सूरीनाम, फिजी जैसे अनेक देशों में हिन्दी मात्र एक भाषा नहीं, भारतीय संस्कृति का पर्याय है। नूतन परिप्रेक्ष्य में हिन्दी विश्व और भारतीय संस्कृति के परस्परावलंबन की पहचान और उनकी भावी संभावनाओं की तलाश बेहद जरूरी है।

किसी भी राष्ट्र और उसमें बसने वाले समुदायों की सही पहचान भाषा और संस्कृति के बिना संभव नहीं है। एशियाई-अफ्रीकी राष्ट्रों, विशेष तौर पर भारत को देखें तो हम पाते हैं कि यहाँ की संस्कृति और सभ्यता न जाने किस सुदूर अतीत से आती हुई परम्पराओं पर टिकी हुई है। भारतीय संस्कृति के निर्माण में अज्ञात अतीत से सक्रिय विविध जनसमुदायों की सहभागी भूमिका चली आ रही है। भारत की विविध भाषाएँ और बोलियाँ संस्कृति का संवर्धन करती हुई एक-दूसरे के हाथों में हाथ डाले इस तरह से खड़ी हैं कि उन्हें एक-दूसरे से विलग किया जाना संभव नहीं है। इनके बीच मेल-मिलाप का सिलसिला पुरातन काल से चला आ रहा है। भारतीय संस्कृति का यह विराट और समावेशी स्वरूप आज विश्व-संस्कृति का अनिवार्य अंग बन गया है और इसके साथ अनेकानेक भाषाओं और बोलियों का साहचर्य लिए हिन्दी विश्व के सम्बन्धों का नैरन्तर्य बना हुआ है। सुदूर अतीत से भारतीय संस्कृति का दूर देशों की संस्कृतियों के साथ इस तरह का संगम होता आ रहा है कि उसमें से यह पहचान पाना मुश्किल है कि उनका कितना अंश भारतीय है और कितना गैर-भारतीय। भारतीय संस्कृति के इसी अभिलक्षण को जीवन्त करता है- हिन्दी विश्व।

दुनिया के तमाम देशों में बसे तीन करोड़ से अधिक भारतवंशी हिन्दी को किसी न किसी रूप में- परस्पर सम्पर्क, सूचना, संस्कृति, शिक्षा, मनोरंजन, व्यापारव्यवसाय, राजकाज आदि का माध्यम बनाए हुए हैं। जनभाषा से विश्वभाषा तक संचरणशील हिन्दी ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में हिन्दी का स्वरूप निरंतर बृहत्तर हो रहा है। सम्प्रति विश्व फलक पर हिन्दी के साथ अन्य भारतीय भाषाओँ की भी अहम भूमिका दिखाई दे रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली चालीस भाषाओं में एक चौथाई भाषाएँ भारतीय ही हैं। दुनिया का हर पाँचवाँ व्यक्ति किसी न किसी भारतीय भाषा का प्रयोक्ता है और हर छठा व्यक्ति हिन्दी जानता-समझता है। ऐसे में हिन्दी विश्व की सुदृढ़ता सुस्थापित तथ्य बन चुकी है। वस्तुत: हिन्दी के साथ विभिन्न भारतीय भाषाओं की एकता और परस्पर संवाद से विश्व में जारी महज कुछ भाषाओं के साम्राज्यवाद से मुक्ति की राह खुल सकती है।

हिन्दी विश्व की निर्मिति में दुनिया के कोने-कोने में डेढ़ सौ से अधिक देशों में बसे भारतीय समुदाय, संस्थाओं और व्यक्तियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। शेष विश्व के साथ भारतीयों का रिश्ता सुदूर अतीत से बना हुआ है। ईसा के पांच सौ साल पहले भारतीय धर्म-संस्कृति के प्रचार के लिए एशिया और यूरोप के बहुत बड़े भूभाग तक पहुंचे थे। मध्यकाल में असंख्य भारतीयों ने दक्षिण एवं मध्य एशिया के अनेक देशों के साथ सांस्कृतिक-राजनीतिक संबंध बनाए, जिनकी निरंतरता आज भी बनी हुई है। यह सिलसिला अलग-अलग कालों में किसी न किसी रूप में जारी रहा। इधर पराधीन भारत में बड़ी संख्या में भारतीय शर्तबंदी के तहत अथवा बहला-फुसलाकर मॉरीशस, गयाना, फिजी, बारबाडोस, दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों तक पहुंचे। फिर भारत के स्वाधीन होते-होते और बाद में लाखों भारतीय यूरोप, आस्ट्रेलिया, अमेरिका और खाड़ी के देशों में गए। इनमें से अधिकांश अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म को सुरक्षित रखते हुए भारतीय बने हुए हैं। हिन्दी ऐसे तमाम लोगों के लिए अपनी संस्कृति और परम्पराओं के साथ आत्मीय लगाव और रिश्ते को मजबूती देने का माध्यम रही है। एक दौर में देशखदेशांतर में स्थापित आर्य समाज, सनातन धर्म सभा जैसी संस्थाओं ने अपने मूल उद्देश्यों के साथ हिन्दी प्रचार और संवर्धन का लक्ष्य रखा था, जिसके परिणामस्वरूप अनेक पीढ़ियाँ भारतीय जड़ों से जुड़ी रहीं। कालांतर में हिन्दी के प्रसार की बागडोर साहित्यिक-सांस्कृतिक संगठनों, हिन्दी सेवी संस्थाओं, हिन्दी सेवियों

और सर्जकों, पत्र-पत्रिकाओं और तदनंतर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने संभाली, जिनके अथक प्रयासों से हिन्दी भारतीय संस्कृति के संवहन के साथ कई नए क्षेत्रों और दिशाओं में गतिशील दिखाई दे रही है। आज विश्व के प्राय: सभी प्रमुख देशों में इस प्रकार की संस्थाएँ, समुदाय और लोग सक्रिय हैं।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत की सीमा से परे दुनियाभर में फैले प्रवासी भारतीयों ने हिन्दी के प्रति निरंतर अपनत्व एवं भारतीयता के प्रति अनुराग का परिचय दिया था। स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने स्वाधीनता संघर्ष की शुरूआत ही रंगभेद से पीड़ित अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के बीच की और सत्याग्रह की अवधारणा को नया परिप्रेक्ष्य देते हुए उसे वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाई। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज तथा आजाद हिन्द सरकार की स्थापना दक्षिण-पूर्व एशिया में की थी। ऐसे अनेक नायकों की माध्यम भाषा हिन्दी ही थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो विदेशों में बसे भारतवंशी हिन्दी को परस्पर संपर्क के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान की भाषा बनाए हुए हैं। यह आवश्यक नहीं कि उनकी हिन्दी परिनिष्ठित हो। कनाडा, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या अन्य स्थानों में बसे ऐसे लाखों भारतीय, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, हिन्दी को ही सांस्कृतिक संबंध और संपर्क की भाषा के रूप में प्रयुक्त करते हैं।

हिन्दी जिस तरह भारत भर के विभिन्न भाषा भाषियों के बीच सांस्कृतिक सेतु बनी हुई है, ठीक उसी प्रकार की भूमिका यह भारत की सरहद के पार निभाती आ रही है। यह सिडनी, सिंगापुर, बैंकॉक, दुबई से लेकर इटली, लन्दन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को तक दुनिया के तमाम नगरों-महानगरों में भारतवंशियों के बीच सांस्कृतिक मेलजोल और वैचारिक आदान-प्रदान की भाषा बनी हुई है, वहीं दक्षिण एशिया के लाखों पर्यटकों के मध्य सूचना-संचार की भाषा के रूप में उनके दैनन्दिन जीवन से लेकर व्यवसाय को भी आधार दे रही है। भारत से बाहर जिन देशों में हिन्दी का व्यवहार विचार-विनिमय की भाषा से लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों और अध्ययन-अध्यापन में होता आ रहा है, उन्हें हम पाँच प्रवर्गों में बाँट सकते हैं। पहला प्रवर्ग जहाँ भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जैसे- अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव आदि। दूसरा प्रवर्ग भारतीय संस्कृति से गहरे प्रभावित दक्षिण पूर्वी एवं मध्य एशियाई देशों का है, जैसे- इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, चीन, मंगोलिया, कोरिया, जापान आदि। तीसरा प्रवर्ग उन देशों का है, जहाँ उपनिवेशकाल में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों को ले जाया गया, जैसे मॉरीशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो, सेशल्स आदि। इन लोगों ने अपनी परंपरा और संस्कृति का संरक्षण इसी भाषा के माध्यम से किया। रामचरितमानस और अन्य धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने अपनी भाषा को जीवंत रखा। चौथा प्रवर्ग उन देशों का है जहाँ हिन्दी को विश्व की एक आधुनिक भाषा के रूप में अपनाया जा रहा है, जैसे अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस और इंग्लैंड सहित यूरोप के कई देश। पाँचवें प्रवर्ग में अरब और अन्य इस्लामिक देश रखे जा सकते हैं, जहाँ बड़ी संख्या में भारतवंशी विभिन्न सेवाओं में हैं, जैसे- संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, कतर, मिस्र, ओमान, कुवैत, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि। इन सभी क्षेत्रों में हिन्दी की महत्ता रोजमर्रा के कामकाज से लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों और अन्य प्रयोजनों में बनी हुई है। भारत में बोले जाने वाले नए बोली रूप, यथा मुंबईया, कलकतिया हिन्दी की तरह हिन्दी के कई नए बोली रूप देश की सीमा से परे विकसित हुए हैं, जिनके पीछे विशिष्ट सांस्कृतिक और भाषाई आधार रहे हैं। इन नवविकसित बोली रूपों में उल्लेखनीय हैं- मॉरीशसी हिन्दी, सरनामी हिन्दी, फिजीबात, नैताली हिन्दी, सिंगापुरी हिन्दी, अरबी हिन्दी, लन्दनी हिन्दी, नेपाली हिन्दी आदि। उजबेकिस्तान और तजाकिस्तान में बोली जाने वाली श्पार्याश भी हिन्दी की ही एक भाषिक शैली है, जिसके लिए 'ताजुज्बेकी हिन्दी' नाम भी सुझाया गया है। हिन्दी के ऐसे अनेक बोली रूप दुनिया के कोने-कोने में विकासमान हैं, जिनमें स्थानीय संस्कृति, भाषा और बोलियों का जैविक संयोग हो रहा है। हिन्दी की ये नई बोलियाँ विश्व-आँगन से लेकर लोक व्यवहार तक अटखेलियाँ कर रही हैं।

भारतीय संस्कृति की सुवास दुनिया के अनेक देशों में परिव्याप्त है। सुदूर अतीत में संस्कृत, पालि और प्राकृत के माध्यम से सांस्कृतिक उपादान और संकल्पनाएँ तमाम देशों तक पहुँचीं, जिनकी जीवन्त छाप आज भी वहाँ मौजूद है। इसी तरह ब्राह्मी और उसकी विभिन्न शैलियों से कई देशों की लिपियों के विकास की राह सुगम हुई। थाईलैंड यात्रा के दौरान मैंने अनेक स्तरों पर भारत की प्रतिध्वनियों और प्रतिबिम्बों को अनुभव किया था। इसी प्रकार की स्थितियाँ कम्बोडिया, म्यांमार, मलेशिया, इण्डोनेशिया, वियतनाम, श्रीलंका सहित एशिया के अनेक देशों में देखी जा सकती है। सांस्कृतिक सेतु का जो कार्य कभी संस्कृत सहित प्राचीन भाषाएँ करती थीं, वही कार्य आज हिन्दी कर रही है। आधुनिक दौर में मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, जमैका, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों में किसान और श्रमिक नई संभावनाओं की तलाश में गए, तब से वे हिन्दी और उसके विविध बोली रूपों की गंध को आज भी जीवन्त बनाए हुए है। इस दृष्टि से हिन्दी की वैश्विक महत्ता भारतीय संस्कृति, परम्परा और जीवन मूल्यों को विस्तारित करते हुए तमाम देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों को मजबूती देने में है।

दूर देशों तक पहुँचे श्रमिकों, किसानों, कारीगरों और बहला-फुसलाकर बंधक बनाये गए भारतीयों के साथ हिन्दी सदियों से उनकी संस्कृति और धर्म के साथ गहरा अनुराग और रिश्ता कायम रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। जो लोग पिछली लगभग दो सदियों में भारत से बाहर गए थे, उनके पास तुलसी कृत रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, सुखसागर, आल्हा, महाभारत, गीता आदि सुरक्षित रहे। भारतीय संस्कृति और मूल्यों के वैश्विक विस्तार में रामकथा की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। सुदूर अतीत में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ एशिया के अनेक देशों तक पहुंचे और वहाँ काव्य और कला परम्पराओं के उपजीव्य बने थे, ठीक वही स्थिति पिछली शताब्दियों में रामचरितमानस के साथ बनी। आज परिवार जीवन से

लेकर विश्व फलक पर रामकथा में निहित मूल्यों का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। अखंड मानवता और विश्व शांति की पक्षधरता इस महान कथा को विलक्षण बनाती है। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया से लेकर मॉरीशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद तक इस कथा की काव्य, नाट्य, नृत्य, रामचरितमानस पाठ, चित्र, शिल्प आदि कई रूपों में अभिव्यक्ति के साथ हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं का सीधा रिश्ता रहा है। आज इस रिश्ते को और मजबूत बनाने की जरूरत है, तभी हम भारत की सीमाओं से परे बसे 'लघु भारत' को अपने मूल रूप में चरितार्थ कर सकेंगे।

तुलसी कृत रामचरितमानस भारत से बाहर लगभग तीन करोड़ लोगों की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जीवंत है। सूरीनाम जैसे कई देशों में दशहरे के पहले खेली जाने वाली रामलीला की प्रदर्शन शैली काशी के रामनगर की प्रसिद्ध रामलीला से अनुप्रेरित है। इसी तरह संत कबीर के आंतर-बाह्य परिवर्तनकामी स्वर की अनुगूँज अनेक देशों के भारतवंशी समुदायों में आज भी सुनाई देती है। इन लोगों ने रासलीला, नौटंकी, बिरहा, फगवा जैसी अनेक लोक विधाओं को आज भी जीवंत रखा है। विवाह सहित विविध संस्कारों, व्रत-पर्व-उत्सवों और अनुष्ठानों में भारतीयता का रंग और हिन्दी की बोलियों का माधुर्य आज भी उनके सिर चढ़कर बोलता है। स्पष्ट है कि भारतवंशियों की इस यात्रा में उनकी अनेक पीढियां गुजर गयीं, फिर भी वे हिन्दी के साथ भारतीय संस्कृति-धर्म-दर्शन, परम्पराओं और रीति-रिवाजों से स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनकी यह निरंतर कोशिश रहती है कि भारतीय चिंतन और मूल्य पद्धति को अपनाए रखें और उसका अपनी नई पीढ़ी में हस्तांतरण भी करें।

भारत के आधुनिक पुनर्जागरण, स्वतंत्रता और नवनिर्माण में हिन्दी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक उसी तरह विश्व फलक पर हिन्दी भारतीय संस्कृति के संरक्षण के साथ भारतीयों की जातीय अस्मिता और स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती आ रही है। फिजी के विवेकानन्द शर्मा इस बात को स्वीकार करते हैं, "दुनिया भर में अपने धर्म, जाति, संस्कृति व भाषा की रक्षा के लिए किए जाने वाले अनेक संघर्षों की दास्तानें आप लोगों ने सुनी-पढ़ी होंगी, लेकिन प्रवासी भारतीयों ने अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा की कड़ी लड़ाई जीती तो केवल हिन्दी भाषा के हथियार से ही। पराजय और निराशा की चरम स्थितियों में उन्हें साहस और सांत्वना देने का महान कार्य तुलसीदास की रामायण ने ही किया था, जिसे मैं हिन्दी भाषा का हिमालय कह दूँ तो अत्युक्ति न होगी। जिस तरह हिमालय भारत माँ का अडिग प्रहरी है, उसी तरह गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस हमारे देश में प्रवासी भारतीयों की भाषा, धर्म, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करने वाला प्रहरी है।" फीजी में लाखों लोगों द्वारा हिन्दी बोली और समझी जाती है। रेडियो स्टेशन हैं, अखबार हैं, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में हिन्दी निर्धारित है। इधर फिजी को स्वतंत्र हुए कई दशक हो चुके है। वहाँ हिन्दी की उन्नति और संवर्धन के लिए अनेक प्रकार के कदम उठाए गए हैं। इसी तरह रैंडाल बूटीसिंह गुयाना के बहुसांस्कृतिक समाज के सामाजिक- सांस्कृतिक जीवन में हिन्दी की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं। उनके अनुसार, "गुयानी जीवन में हिन्दी कई रूपों में अस्तित्वमान है। मुख्य रूप से यह हिंदुओं के गहरे धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाजों एवं परम्पराओं के महत्त्व से जुड़ी हुई है। हिन्दी उनके लिए महज रोजी-रोटी की भाषा नहीं है। यहाँ हिन्दी कविता ने एक अभिप्रेरक के रूप में भारतीय चेतना को जीवंत रखने के माध्यम का काम किया है। भारत से आए थोड़े से लोग ही पढ़े लिखे थे, जो धार्मिक ग्रंथों को अपने साथ लेकर आए थे। उनमें हिन्दी में रची रामायण सर्वाधिक मूल्यवान थी। इसके बहुत से श्रोता निरक्षर थे, लेकिन उन्होंने रामायण की कथा को अपने मनोमस्तिष्क में जिंदा रखा। इसके बाद हनुमान चालीसा और दानलीला भी उनके बीच लोकप्रिय थीं।" रैंडाल जी ने हिन्दी के जरिये सभी गुयानावासियों की राष्ट्रीय एकता को मजबूती देने की सम्भावनाओं पर भी मंथन किया है। जाहिर है इस दिशा में निरन्तर नवाचारी प्रयत्नों से सम्भावनाओं के नए द्वार खुल सकते हैं।

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक-साहित्यिक विरासत के संवहन की दृष्टि से हिन्दी का महत्त्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में धार्मिक अध्ययन विभाग की वरिष्ठ व्याख्याता, कबीर प्रेमी विदुषी और लेखिका डॉ लिंडा हेस 1960 के दशक से निरंतर भारत यात्रा और अध्ययन कर रही हैं। 1970 के दशक से उन्होंने कबीर वाणी का अनुवाद प्रारम्भ किया। इस बात से वे गहरे प्रभावित हुईं कि वर्तमान सदी में देश के अनेक हिस्सों में कबीर गायन किया जाता है। तब उन्होंने अपना ध्यान उत्तर भारत में कबीर की मौखिक और संगीत परंपरा पर केंद्रित किया। आज वे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जारी कबीर और निर्गुणी गायन की परम्परा और विश्व मानवता के हित में उसकी महिमामयी उपस्थिति को विश्व मंच पर रेखांकित करने में सन्नद्ध हैं। इस तरह के प्रयासों से हिन्दी की व्याप्ति और विस्तार की नई दिशाएँ खुल रही हैं। साथ ही कबीर की मौखिक परंपराओं और उत्तर भारत में उसके क्रियात्मक संसार से साक्षात्कार का नया सिलसिला शुरू हो सका है।

हिन्दी दुनिया के तमाम देशों के लोगों के लिए भारत को जानने और उससे अनुराग का महत्त्वपूर्ण साधन बन चुकी है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारत के प्रति रुचि की जड़ें गहरी और पुरानी हैं, जिसे हिन्दी का आधार मिल रहा है। सदियों से भारतविद्या के प्रचार के साथ हिन्दी का प्रसार जुड़ा रहा है। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, देशज ज्ञान-विज्ञान, ज्योतिष, कर्मकांड आदि सहित विविध क्षेत्रों में भारतीय ज्ञान के प्रसार में हिन्दी ने सशक्त भूमिका निभाई है। भारत की बहुवर्णी सांस्कृतिक परम्पराओं, कला रूपों, जीवन-मूल्यों, और पर्यटन के प्रति रुचि रखने वाले मनीषी इस बात को स्वीकार करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के हिन्दी प्राध्यापक डॉ पीटर फ्रीडलैंडर हिन्दी में अंतर्निहित बहुसंस्कृतिवाद को इसकी शक्ति मानते हैं, जिसके कारण यह दुनिया भर में स्वीकार्य बनी हुई है। इसके साथ ही उनकी स्पष्ट मान्यता है कि "एक भारतीय भाषा के द्वारा हम गहराई से भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश कर सकते हैं। मैं लगभग 40 सालों से इस रास्ते पर यात्रा कर रहा हूं कि मैं हिन्दी के द्वारा भारतीय संस्कृति को समझूँ और

मैंने बहुत कुछ देखा जो सिर्फ अंग्रेजी भाषा के माध्यम से नहीं देख पाता।" संघर्षमय इतिहास के बीच पले-बढ़े इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय के पूर्वी एशिया अध्ययन विभाग के प्रोफेसर, समर्पित शिक्षाविद् एवं इसराइल में हिन्दी के अनन्य सेवी डा. श्लोम्पर गेनादी ने उनके भारत आगमन पर एक साक्षात्कार में मुझे बताया था कि इसराइल देशवासियों को हिन्दी से गहरा प्रेम है। वे स्वीकार करते हैं कि भारत यात्रा में हिन्दी का ही प्रयोग करता हूँ। अन्य भाषाओं की तुलना में हिन्दी सीखना ज्यादा आसान है। वे बताते हैं कि इसराइल की आबादी लगभग 80 लाख है। भारतीय संस्कृति को जानने लाखों लोग हर वर्ष भारत भ्रमण पर आते हैं।

वस्तुत: भाषा और संस्कृति का गहरा रिश्ता है। भाषा सीखने के लिए संस्कृति जानना जरूरी है और संस्कृति को जाने बिना भाषा का अच्छा ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी दृष्टि में हिन्दी इसराइलवासियों के लिए भारतीय संस्कृति का द्वार खोल रही है। वे बताते हैं कि छोटे से देश इसराइल की सड़कों पर घूमें, तो उतनी सारी भाषाएँ और बोलियाँ सुनने में आ जाएँगी, जितनी कि अमरीका, रूस या भारत सरीखे बहुजातीय और बहुभाषीय देशों में ही गूँजती हैं। ये भाषाएँ विदेशी यात्रियों की नहीं, वरन् इसराइल के उन नागरिकों की हैं जो यहाँ विश्व के कोने-कोने से आ बसे हैं। इसराइल में भारतीय मूल के लगभग सत्तर हजार लोग रहते हैं। उनमें से अधिकांश महाराष्ट्र से आये हुए हैं और मराठी उनकी मातृभाषा है। वे हिन्दी भी अच्छे से जानते-समझते हैं। अश्दोद, दीमोना, राम्ला जैसे शहरों में भारतवंशियों की संख्या काफी बड़ी है। वहाँ जगह-जगह पर हिन्दुस्तानी ढंग के रेस्तराँ और दुकानें हैं, जहाँ भारतीय खाना मिलता है। भारतीय फिल्मों और संगीत के सी.डी. बिकते हैं।

भारतीय संस्कृति के ज्ञान और मनोरंजन की दृष्टि से हिन्दी की असरकारक भूमिका किसी से छुपी नहीं है। फिल्म, टेलीविजन, एफ एम चैनल के जरिए हिन्दी भाषी ही नहीं, हिन्दीतर भाषी भी बड़ी संख्या में भारतीय संस्कृति और कला परम्पराओं से जुड़े रहे हैं। फिजी, सूरीनाम, मॉरीशस जैसे कई देशों में हिन्दी के संरक्षण में भारतीय संगीत और नृत्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत एवं नृत्य से लेकर आधुनिक सिने संगीत और नृत्यों के माध्यम से बड़ी संख्या में दुनिया भर में फैले भारतवंशी जुड़े हुए हैं, जिन्हें हिन्दी मजबूत आधार दे रही है। आधुनिक युग में वैश्विक स्तर पर हिन्दी की स्वीकार्यता और लोकप्रियता के लिए हिन्दी सिनेमा का महत्त्वपूर्ण योगदान है। वह भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार में विशिष्ट योगदान देता आ रहा है और दूर देशों में उसने अपना बहुत बड़ा दर्शक वर्ग तैयार कर लिया है। हिन्दी सिनेमा और सिनेगीतों के कारण हिन्दीतर भाषियों की प्रवृत्ति हिन्दी सीखने की ओर बढ़ी है। मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, श्रीलंका जैसे कई देशों में हिन्दी गानों, फिल्मों, धारावाहिकों तथा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से हिन्दी के प्रति आकर्षण चरम पर दिखाई देता है। फिजी, सूरीनाम सहित कई देशों के प्रमुख नगरों में शायद ही कोई ऐसा सिनेमाघर होगा, जहाँ हिन्दी फिल्म न दिखाई जाती हो। फिजी में बसे भारतीय लोगों के अतिरिक्त अन्य भाषा-भाषी तथा काईबीती लोगों में भी, जो फिजी के मूल निवासी हैं, हिन्दी फिल्में देखने का बड़ा शौक है। एक समय सभी लोग अपने-अपने टेलीविजन पर वीडियो फिल्म देखते थे। हिन्दी वीडियो फिल्म यहाँ सर्वाधिक देखी जाती थीं। कभी स्थान-स्थान पर हिन्दी वीडियो फिल्में किराए पर देने वाली दुकानें थी, अब उनकी जगह इंटरनेट माध्यम ने ले ली है। सिने निर्माताओं की आय का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों में फिल्म के वितरण अधिकार देने से प्राप्त हो रहा है। हाल में सफल हुई हिन्दी की अनेक फिल्मों ने इसके माध्यम से बहुत बड़ी पूँजी जुटाई है। यही वजह है कि हिन्दी की बड़े बजट की फिल्में मुंबई, दिल्ली के साथ लन्दन, न्यूयार्क सहित दुनिया के तमाम शहरों में सबसे पहले प्रदर्शित की जाती हैं। यूरोप, अमेरिका सहित कई देशों में हिन्दी और हिन्दीतर भाषी परिवारों के लिए हिन्दी फिल्में भारत से जुड़ने के एक सशक्त साधन के रूप में देखी जा सकती हैं। वहाँ भारत से जुड़ाव के लिए हिन्दी फिल्मों के अतिरिक्त टी.वी. धारावाहिकों, समाचार चैनलों और क्रिकेट का भी अहम योगदान रहा है।

दुनिया के तमाम देशों से अलग-अलग प्रयोजनों से भारत आने वाले लोगों के लिए हिन्दी सदियों से भारतीय संस्कृति और परम्पराओं का प्रवेश द्वार रही है। यूरोपीय देशों से आए अनेक प्रवासियों ने पन्द्रहवीं-सोलहवीं सदी में भारत के साथ नए रिश्ते की शुरुआत की थी, तब उन्होंने भारतीय संस्कृति की पहचान के लिए हिन्दी सहित विभिन्न भाषाओं के प्रति अपना गहरा लगाव दिखाया था। इसी की फलश्रुति के रूप में उस दौर की हिन्दी के अनेक व्याकरण, शिक्षण सामग्री और शब्दकोश अस्तित्व में आए थे। इन्हीं की नींव पर यूरोपीय देशों में भारतीय संस्कृति और हिन्दी के अध्ययन-अनुसंधान का नया सिलसिला शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। विदेशी मूल के अनेक लेखकों, विद्वानों ने भारतीय संस्कृति और हिन्दी के प्रति आत्मीय जुड़ाव के साथ इनके विविधायामी विकास में अविस्मरणीय योगदान दिया है। जॉन जोशुआ कैटेलर, डॉ. कैलाग, दीमशित्स, वारान्निकोव, डॉ. लोथर लुत्से आदि का कार्य आज भी मील का पत्थर बना हुआ है।

दुनियाभर में फैले प्रवासी भारतीयों के लिए हिन्दी भाषाई-सांस्कृतिक पहचान को रूपायित करने के साथ अपनी संवेदना, अनुभव और विचारों को अभिव्यक्त करने का समर्थ माध्यम रही है। वर्तमान दौर में सक्रिय कई प्रवासी साहित्यकार, ब्लॉगर, पत्रकार, संस्कृतिकर्मी आदि इसी रूप में हिन्दी को आत्माभिव्यक्ति का माध्यम बनाये हुए हैं। हिन्दी विश्व के विस्तार में प्रवासी साहित्य की अविस्मरणीय भूमिका रही है, इसे लेकर वरिष्ठ समालोचक डॉ. कमल किशोर गोयनका ने सार्थक टिप्पणी की है, "प्रवासी साहित्य ने हिन्दी को वैश्विक रूप प्रदान किया है। हिन्दी का प्रवासी साहित्य भारतेतर देशों को भारत से जोड़ने का एक सेतु बनाता है, जिसके मूल में भारतवंशियों के स्वदेश-प्रेम, भाषा-प्रेम संस्कृति-प्रेम, उनकी संलग्नता, सहभागिता एवं सहयोग अटूट रूप में संबद्ध है। यह सेतु विश्वव्यापी हिन्दी साहित्यिक समाज का निर्माण करता है, विभिन्न देशों के हिन्दी-लेखक एवं हिन्दी-समाज भारत के हिन्दी-समाज से जुड़ते हैं और परस्पर एक दूसरे के निकट आकर हिन्दी-विश्व को स्थायित्व

प्रदान करते हैं। भारतेत्तर देशों में भारतवंशियों के इस हिन्दी साहित्य ने अपना एक भरा-पूरा संसार निर्मित किया है। इस प्रवासी हिन्दी साहित्य ने परदेश में रहते हुए स्वदेश को देखने का दृष्टिकोण बदला है और वहां की परिस्थितियों, जीवन-संघर्ष आदि को देखने, समझने, जीने के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी रूप से उद्वेलन एवं परिवर्तन उत्पन्न किया है। विदेशों में बसे ऐसे अनेक प्रवासी साहित्यकारों को विशिष्ट पहचान मिलने लगी है। हाल ही में कुछ विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में देशांतर में हिन्दी की व्याप्ति के साथ हिन्दी डायस्पोरा को शामिल किया गया है। मॉरीशस से अभिमन्यु अनत (कथा साहित्य), अमरीका से सुषम बेदी (कथा साहित्य), सुधा ओम ढींगरा (कहानी), सुदर्शन प्रियदर्शिनी (उपन्यास, कहानी और कविता), अनिल प्रभा कुमार (कहानी और कविता), ब्रिटेन से मोहन राणा (कविता), जकिया जुबैरी (कहानी), तेजेन्द्र शर्मा (कहानी), दिव्या माथुर (कहानी), डेनमार्क से अर्चना पैन्यूली (उपन्यास), शारजाह से पूर्णिमा वर्मन (कविता), सिंगापुर से श्रद्धा जैन (गजल) जैसे कई लेखक अध्ययन-अध्यापन के अंग बने हैं, वहीं प्रवासी साहित्य पर अनुसन्धान की नई राह खुल गई है। विगत दशकों में अनेक लेखकगण दुनिया के तमाम देशों में सृजनरत रहे हैं। इनमें उल्लेखनीय हैं- सोमदत्त बखोरी, मुनीश्वर चिंतामणि, प्रो. वासुदेव विष्णुदयाल, पूजानन्द नेमा, रामदेव धुरंदर, राज हीरामन, राजरानी गोबिन (मॉरीशस), पं. कमलाप्रसाद मिश्र, जोंगिदरसिंह कँवल, विवेकानंद शर्मा (फिजी), सुरेशचन्द्र शुक्ल शरद आलोक (नॉर्वे), कविता वाचक्नवी (यूके), स्नेह ठाकुर (कनाडा), अनीता कपूर, अंजना संधीर (यूएसए) आदि। वस्तुतः देश दुनिया के कई विश्वविद्यालयों की पाठ्यचर्या और शोध की दृष्टि से हिन्दी में जारी प्रवासी लेखन को लेकर पैदा हुए नए रुझान और सक्रियता को शुभ संकेत माना जा सकता है, जो भारतीय संस्कृति और हिन्दी विश्व को नूतन परिप्रेक्ष्य दे रहा है।

विदेशों में भारतीय संस्कृति, धर्म और जीवन मूल्यों के प्रति अनुराग के साथ हिन्दी शिक्षण के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रवृत्त हैं, लेकिन उनके लिए स्तरीय और पर्याप्त पाठ सामग्री की उपलब्धता समस्या पैदा कर रही है। विदेशों में हिन्दी शिक्षण से जुड़े पाठ्यक्रमों में हिन्दी की सहज सम्प्रेषण क्षमता और समृद्ध साहित्यिक विरासत को समाहित करने के साथ ही भारतीय संस्कृति के साथ उसके तादात्म्य को साकार करने के लिए विशेष प्रयत्न जरूरी हैं। भाषा, लिपि और संस्कृति का गहरा संबंध होता है। मुश्किल यह है कि कुछ देशों में हिन्दी को रोमन लिपि में लिखा-समझा जा रहा है, यद्यपि यह एक दौर की बाध्यता भी रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार के साथ आज यह कोई समस्या नहीं है। इस दृष्टि से उन देशों में हिन्दी के लिए देवनागरी जैसी अत्यंत वैज्ञानिक और स्वाभाविक लिपि के प्रयोग का वातावरण बने, यह जरूरी है। इस प्रकार के प्रयत्नों से हिन्दी के सभी शिक्षार्थी भारत की जड़ों और संस्कृति को सहज ही आत्मसात कर सकेंगे, चाहे वे भारतवंशी हो फिर विदेशी मूल के।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशन और दूतावास हिन्दी की वैश्विक प्रतिष्ठा में विशिष्ट भूमिका निभाते आ रहे हैं। हिन्दी और भारतीय संस्कृति के संरक्षण-सम्प्रसार में विदेश मंत्रालय के अंतर्गत क्रियाशील भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा स्थापित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र और हिन्दी पीठ भी सक्रिय बने हुए हैं। जहाँ भारतवंशी बड़ी संख्या में बसे हुए हैं, ऐसे सभी देशों में इन केन्द्रों और पीठों को स्थापित करते हुए गहरे दायित्वबोध के साथ क्रियाशील किया जाना चाहिए। एक दौर में श्रीलंका में हिन्दी सिने गीतों से आकर्षित होकर वहाँ के लोगों में हिन्दी सीखने की ललक जागी थी, तब वहाँ के दूतावास ने हिन्दी शिक्षण में प्रभावी योगदान दिया था। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय राजनयिक, विशेष तौर पर भारतीय संस्कृति को आत्मसात किए हुए देशों में, सांस्कृतिक रिश्तों को सुदृढ़ बनाने के साथ हिन्दी के प्रसार में प्रभावी भूमिका निभाएँ। तब हिन्दी विश्व के साथ भारतीय संस्कृति के परस्परावलंबन की नई राह खुल सकेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी की प्रतिष्ठा दिलाना महज राजनैतिक प्रश्न नहीं है, यह विश्व मंच पर सांस्कृतिक बहुलता और वैविध्य को प्रतिनिधित्व दिलाने की दृष्टि से बेहद जरूरी है। यूएनओ में वर्तमान में जो भाषाएँ आधिकारिक बनी हुई हैं, उनके माध्यम से एशिया की बहुत बड़ी जनसंख्या और समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, इसकी पूर्ति यूएनओ में हिन्दी की स्वीकार्यता से ही संभव होगी। इस दिशा में भारतीय मिशन और दूतावास की सक्रियता से यूएन में हिन्दी की मान्यता के लिए जरूरी समर्थन जुटाने में सरकार के प्रयासों को समर्थ आधार मिल सकेगा। हिन्दीं मात्र सूचना, मनोरंजन या सृजन की भाषा ही न रहे वह ज्ञान, विज्ञान, विचार और संस्कृति की संवाहिका के रूप में स्थापित हो, तब हिन्दी विश्व की नई संभावना के द्वार सहज ही खुल जाएंगे।

हिन्दी और भारतीय संस्कृति मॉरीशस, सूरीनाम, फिजी, गुयाना जैसे देशों में कठिन संघर्षों के बीच पली-बढ़ी है, उनका संघर्ष काल अब बीत चुका है। इन देशों में भारतवंशी बड़ी संख्या में हैं, वहीं राजनैतिक दृष्टि से प्रभावी भी हैं। समस्या यह है कि जिस तरह भारत में बसा प्रभुत्वशाली वर्ग पश्चिमाभिमुख होने को तत्पर है, लगभग वही स्थिति इन देशों में दिखाई दे रही है। नए दौर की चुनौतियाँ जैसी भारत में है, वैसी वहाँ भी है, जैसे आत्महीनता, कथित गुलाम मानसिकता, आधुनिक सभ्यता के दबाव, पराई भाषा और संस्कृति के प्रति अविचारित आसक्ति आदि। इनसे मुक्ति की राह भारतीय संस्कृति और हिन्दी सहित भारतीय भाषाओं के प्रति गहरे स्वाभिमान और व्यापक व्यवहार से ही संभव है। हिन्दी विश्व की स्वीकार्यता को भारतीय संस्कृति और अस्मिता के साथ जोड़कर देखने के साथ ही उनके बीच मौजूद जैविक रिश्ते को और सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। नए दौर में विश्व संस्कृति को आधार देने में भारतीय संस्कृति की भूमिका को नए सिरे से पहचानना होगा। सूचना-संचार क्रांति के दौर में दुनिया के तमाम देशों के लोग, भाषाएँ और सांस्कृतिक परम्पराएँ परस्पर निकट आ रही हैं। ऐसे में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारतीय संस्कृति, भाषा, कला और जीवन मूल्यों के प्रसार के साथ ही वहाँ के सांस्कृतिक उपादानों से अंतःसंवाद और परस्परावलम्बन का नया सिलसिला प्रारम्भ हो, तभी वसुधैव कुटुम्बकम् का प्रादर्श मैदानी सच्चाई बन सकेगा और हिन्दी विश्व की पहचान को नया परिप्रेक्ष्य सहज ही मिल जाएगा।

पृष्ठ संख्या 15 का शेष

तथा अन्य सुविधाओं की दृष्टि से अधिक आकर्षक बनाया जाए ताकि इस क्षेत्र में अधिक-से-अधिक विषयों से जुड़े सम्मानित विद्वज्जनों का सहयोग प्राप्त हो सके । इन पंक्तियों के लेखक ने अपने जर्मनी प्रवास के दौरान अंग्रेजी से जर्मन में अनुवादित/मूल रूप से जर्मन में लिखित पुस्तकों की गुणवत्ता एवं सहजता के बारे में जब जानकारी प्राप्त की तो मालूम हुआ कि जर्मन में जो अंग्रेजी की पुस्तकें अनुवादित होकर आती हैं वे या तो मूल रूप से जर्मन विद्वानों द्वारा लिखी जाती हैं या वे उन विद्वानों द्वारा लिखी जाती हैं जो मूल रूप से जर्मन हैं, उनकी मातृभाषा जर्मन है पर विज्ञान, इंजीनियरिंग, मेडिसिन आदि की पढ़ाई-लिखाई के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में / या किन्हीं अन्य कारणों से वे यूएस गए और वहीं पर बस गए । वे विषय के विद्वान होने के साथ-साथ अंग्रेजी और जर्मन दोनों भाषाओं में भी निष्णात होते हैं । भारत सरकार को भी चाहिए कि ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद कराते समय या मौलिक पुस्तक लिखने की अनुमति देते समय ऐसे विषय विशेषज्ञों का हिन्दी भाषी प्रदेशों में निवास या हिन्दी भाषा में उनकी सुदक्षता के बारे में पर्याप्त जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें ।

उपर्युक्त विचारों के आलोक में बस इतना ही कहना है कि कार्यालयों की विषय-वस्तु के सापेक्ष में भारत सरकार के / स्वामित्व में आनेवाले प्रत्येक कार्यालय में कार्यरत हर कर्मचारी के मन में हिन्दी के प्रति ललक हो, हिन्दी में काम करने का जज्बा हो, प्रोत्साहन मिले और दृढ़ निष्ठा के साथ यदि वह हिन्दी में ही कार्य करें तो कार्यालयीन हिन्दी भी सहज-सरल हो जाएगी और गुणवत्ता के लिहाज से भी वह अंग्रेजी से किसी भी मायने में कम नहीं होगी।

-डॉ. श्याम किशोर पांडेय
पूर्व सहायक महाप्रबंधक (केनरा बैंक)
फ्लैट नं ए- 510, नंदी वुड्स अपार्टमेंट, येल्लन हल्ली
ऑफ बनेरघट्टा रोड, बेंगलूरु-560076

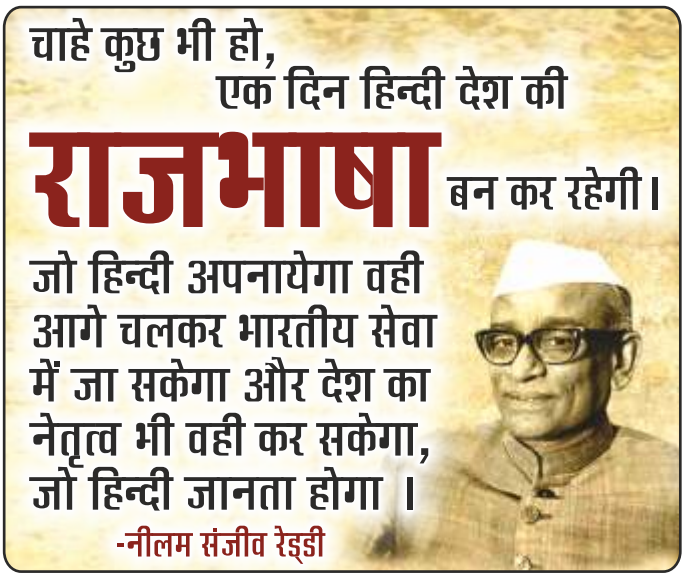

सन्दर्भ:

1. डॉ. शैलेंद्रकुमार शर्मा (संपा): देवनागरी विमर्श, मालव नागरी लिपि अनुसंधान केंद्र, उज्जैन 2003 ई.

2. डॉ विवेकानन्द शर्मा का आलेख, गगनांचल, जनवरी-मार्च 1996, उद्धृत literature@824@hindi&in&fiji&vivekanand &sharma-html

3. डॉ. शैलेंद्रकुमार शर्मा का आलेख 'अधुनातन जनसंचार माध्यम और हिन्दी की व्याप्ति', हिन्दी के नए चरण, मालव लोक संस्कृति प्रतिष्ठान, उज्जैन, 2011 ई.

4. डॉ. शैलेंद्रकुमार शर्मा का भूमिका आलेख 'भूमंडलीकरण के दौर में हिन्दी का वैश्विक स्वरूप' एवं आलेख 'वेब मीडिया के विस्तार में विश्व भाषा हिन्दी की भूमिका', विश्व पटल पर हिन्दी: सफलता एवं संभावनाएँ, रंग प्रकाशन, इंदौर, ISBN 978-81-88423-40-8, 2015 ई.

5. डॉ कमल किशोर गोयनका: प्रवासी साहित्य: जोहान्सबर्ग से आगे, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2015 ई.

6. डॉ. शैलेंद्रकुमार शर्मा का आलेख 'हिन्दी पत्रकारिता एवं जनसंचार में भाषा की शुद्धता', हिन्दी जगत विस्तार और संभावनाएँ, 10 वें विश्व हिन्दी सम्मेलन (10-12 सितंबर 2015) का प्रतिवेदन, संपा गिरीश्वर मिश्र, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, 2016 ई.

7. डॉ. शैलेंद्रकुमार शर्मा, 'वैश्विक परिदृश्य में हिन्दी पत्रकारिता एवं जनसंचार के नूतन आयाम' (भूमिका), राष्ट्रभाषा संचेतना, उद्योग नगर प्रकाशन, गाजियाबाद, पृष्ठ 13-978-93-85146-44-2 2017 ई

8. साक्षात्कार : श्लोम्पर गेनादी, इसराइल, डॉ सुरेशचन्द्र शुक्ल, ओस्लो, नॉर्वे, जय वर्मा, ब्रिटेन, स्नेह ठाकुर, कनाडा।

9. http%@@hindinest-com@features@f38-htm

10. http%@@www-hsumauritius-org@hi@story/ मॉरीशस -हिन्दी-साहित्य/मॉरीशस-हिन्दी/मॉरीशस-में-हिन्दी

11. Randall Butisingh] The Hindi language पद multicultural Guyana] randallbutisingh-wordpress-com

-प्रो शैलेंद्र कुमार शर्मा
आचार्य एवं अध्यक्ष, हिन्दी अध्ययनशाला और कुलानुशासक
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (मध्य प्रदेश) भारत-456010

युवा मत

हिन्दी भाषा का प्रादेशिक विकास

दीपेन्द्र कुमार

हिन्दी भाषा भारत की राजभाषा है और यह भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह सरकारी प्रणाली एवं सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त किए जाने के साथ भारतीय जनता की लगभग 43 फीसदी आबादी की प्रायौगिक भाषा है। वैश्विक स्तर की भाषाओं के संदर्भ में बात की जाए तो विश्व की यह तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। इसकी व्यापकता के कारण ही भारत के सभी प्रदेशों में प्रचलित अन्य भाषाओं का इसके साथ अंत: संबंधा है। हिन्दी भाषा भारत के ग्यारह राज्यों तथा तीन संघ शासित क्षेत्रें में भी प्रमुख राजभाषा है जिसके कारण इन राज्यों की भाषाओं के साथ हिन्दी का अंत: संबंध स्थापित है। हिन्दी भाषा की कई बोलियाँ 'उपभाषाएँ' हैं, जिन्हें मुख्य रूप से पाँच वर्गों में विभाजित किया गया है-पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी, पहाड़ी हिन्दी और बिहारी हिन्दी। पश्चिमी हिन्दी-इसमें खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली शामिल हैं। पूर्वी हिन्दी-इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल हैं। राजस्थानी-इसमें मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, आदि शामिल हैं। पहाड़ी हिन्दी-इसमें कुमाउँनी, गढ़वाली आदि शामिल हैं। बिहारी हिन्दी-इसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि शामिल हैं।

बीज शब्द- हिन्दी, भाषा, प्रादेशिक, सांस्कृतिक, प्रयोजनों, माधयमों, कामकाजों, भाषाई, साहित्यिक, पर्यटन, वैवाहिक, सरकारी

आलेख- भारत की राजभाषा हिन्दी को देशभर के प्रदेशों की भाषाओं में समन्वय स्थापित करना होता है। इसकी भाषिक व्यवस्था इस प्रकार है कि प्रदेशों की स्थानीय भाषाओं के बीच अपनी स्थिति और उपस्थिति को बनाए रखता आवश्यक है। हिन्दी भाषा के भारत के सभी राजकीय कार्यों के लिए हिन्दी को मान्यता प्राप्त है। भारत देश के विभिन्न राज्यों की अपनी-अपनी भाषाएँ हैं, जैसे-राजस्थान की राजस्थानी, महाराष्ट्र की मराठी, उड़ीशा की उड़िया, पंजाब की पंजाबी आदि इन सभी भाषाओं के रहते हुए हिन्दी भाषा का ज्ञान होना भी इन प्रदेश के वासियों के लिए हिन्दी के अपनी भाषाओं के साथ प्रयोगों के संबंधों पर निर्भर होता है। भारतीय भाषाओं के साथ हिन्दी के आंतरिक संबंधों को और अधिाक प्रगाढ़ता निम्न कारणों से प्राप्त होती है-

* **सांस्कृतिक प्रयोजनों के माध्यम से**- भारत की विभिन्न संस्कृतियों में अपना-अपना रहन-सहन व त्योहार आदि का सांस्कृतिक बजूद मौजूद हैं। इन संस्कृतियों में भारतीय जनता के लोग उनके सभी पर्वों एवं कार्यक्रमों में मिलजुल कर मनाते है। ऐसे में किसी भी दूसरे राज्य या प्रांत से आये व्यक्ति या परिवार के सदस्यों के साथ नई संस्कृति में प्रवेश करना न केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम है अपितु भाषाई संबंधों में निकटता एवं घनिष्टता को बढ़ावा देने वाला होता है।

* **भाषाई प्रयोजनों के माध्यम से**- भारत देश की विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों की एकुजटता ही हिन्दी भाषा को बल प्रदान करती है। हिन्दी भारत की राजभाषा इसलिए भारत के सभी राज्यों में हिन्दी भाषा के जानकार उपलब्ध हैं। स्पष्ट है कि भारतीय के सभी राज्यों में किसी न किसी प्रतिशत में भाषाई दृष्टि से हिन्दी भाषी जन-समुदाय मौजूद है। जो वहाँ की स्थानीय भाषाओं व जनता के साथ आम बोली में हिन्दी व हिन्दी के शब्दों को प्रयोग में लाते हैं। जिससे वहां के लोगों को हिन्दी के शब्दों की जानकारी होने लगता है और साथ ही वह स्वयं भी दूसरी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने लगता है। इसका दूसरा एक प्रमुख कारण हिन्दी भाषा की अधिकता है जो कि आज राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि प्राप्त कर रही है।

* **साहित्यक प्रयोजनों के माध्यम से**- भारतीय संस्कृति में साहित्य का मिश्रण विश्व में एक अलग पहचान के लिए जाना जाता है। यहां विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में एक दूसरे की संस्कृति के साहित्य के प्रति लगाव एवं गायन, नृत्य, वादन आदि कार्यक्रमों को मनोरंजन के लिए पंसद किया जाना भी है। भारतीय आबादी एक दूसरी भाषाओं के कार्यक्रमों, संगीत, फिल्मी गानों आदि को गाते-गुनगुनाते एवं सुनते हुए भी देखे जा सकते हैं। भारतीय लोगों द्वारा भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं की धार्मिक कथाएँ और फिल्में भी देखी जाती हैं। रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, गीता आदि हिन्दी भाषा के साथ-साथ भारतीय अन्य भाषाओं में भी प्रसारित एवं अनुवादित होकर उपलब्ध हुई हैं। इसके साथ भारतीय हिन्दी भाषा सभी जगह पर अपनी भाषाओं के प्रसार करने एवं साहित्य लेखन को निरंतर प्रसारित करते हैं जो कि हिन्दी के प्रादेशिक भाषाओं अंतरसंबंधों को बढ़ावा देता है।

* **पर्यटन प्रयोजनों के माध्यम से**- पर्यटन की दृष्टि से भारतीय प्रदेशों में हिन्दी की स्थिति मजबूत होती है। क्यों कि भारतीय जनता के पर्यटक लगी सभी राज्यों में घूमते हैं। जैसे-उड़ीसा में उड़िया भाषा को जोर है और कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख मंदिर हैं- लिंगराज मंदिर (भुवनेश्वर), जगन्नाथ मंदिर (पुरी), और कोणार्क सूर्य मंदिर. लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, और कोणार्क सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। इन मंदिरों के अलावा, अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में मुद्रेश्वर मंदिर और परशुरामेश्वर मंदिर शामिल हैं। अब उत्तर प्रदेश के लोग उड़ीसा जाते हैं और वहां के धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, हालांकि इन पर्यटकों को उड़ीसा भाषा नहीं आती है, लेकिन वहां के मंदिर के आस-पास के लोगों-होटल, दुकानदार, ऑटो-टैक्सी आदि वालों को हिन्दी भाषा का ज्ञान होता है। वे लोग

इन पर्यटकों को सभी जानकारी देते हैं। यदि किसी को हिन्दी नहीं आती है तो वहां के लोगों में कोई भी इस समस्या को मध्यस्थता कर सुलझा देता है। ऐसा ही संपूर्ण भारत के राज्यों में होता है। भारत में हिन्दी भाषा बोलने वाले की अधिकता है। अत: भारत के पर्यटन अपनी हिन्दी भाषा को लेकर सभी राज्यों व प्रदेशों में घूमते रहते हैं। ऐसे में उनके साथ हिन्दी के आवागन से दूसरे राज्यों की भाषाओं के मिलन का प्रभाव अन्य भाषाओं के अंत: संबंधों को प्रभावित करता है। कई-कई दा संस्कृति समन्वय के कार्यक्रम भी सरकारों एवं गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाते हैं। जो दूसरे राज्यों की भाषा व संस्कृतियों को आपस समझते एवं स्वीकारते हैं। जिसके कि हिन्दी और हिन्दी संस्कृति से जुड़े संबंधों प्रगाढ़ता होती जाती है।

* **वैवाहिक प्रयोजनों के माध्यम से**- भारत के राज्यों में युवक-युवतियों के शादी विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों से दो राज्यों की संस्कृति का संगम तो होता ही है साथ ही वहां के रीति-रिवाज एवं भाषाओं के ज्ञान एवं लय का भी पारस्परिक विस्तार होता है। क्योंकि उन से उत्पन्न होने वाली संस्तार की भाषा माता-पिता के भाषाओं से मिश्रित होती है। यदि माता उड़ीसा की है और पिता राजस्थान का तो उसे बालक को उड़िया भाषा का ज्ञान और राजस्थानी भाषा के शब्दों की पहचान तो होगी ही, साथ-साथ दोनों ही स्थानों पर हिन्दी भाषा को भी प्रयोग में लाने के कारण हिन्दी का भी ज्ञान होगा। और ऐसे में तीनों ही भाषाओं की जानकारी होने के साथ संस्कृति के तीज-त्यौहार में रमा होता है।

* **सरकारी कामकाजों के माध्यम से**- भारतीय व्यवस्था में सरकारी कामकाजों हिन्दी और अंग्रेजी भाषा को प्रधानता रहती है। ऐसे में व्यक्ति को सरकारी कार्यों से संबंधित लेखन में प्राय: हिन्दी का कार्य किया जाता है, जबकि ऐसे राज्य जहां पर हिन्दी नहीं है व्यक्ति अंग्रेजी के माध्यम से अपना कार्य करता है अथवा किसी और के माध्यम से करवाता है। जिसे हिन्दी का ज्ञान हो। क्योंकि वहां के स्थायी निवासी कर्मचारी को हिन्दी इतनी अधिक नहीं आती, लेकिन सरकारी तंत्र में होने कारण वह हिन्दी को स्वीकारता है। लेकिन समझने के अभाव में वह अपनी भाषा के उस व्यक्ति को जिसे हिन्दी अथवा अंग्रेजी आती हो, से सहायता प्राप्त करता है। साथ ही हिंदी भाषा को भी अपने दिमाग में बैठाने का काम शुरू कर देता है।

* **रोजगार प्रयोजनों के माध्यम से**- परिवार के जीवन यापन एवं रोजगार हेतु व्यक्ति अपने शहर एवं राज्य से दूसरे क्षेत्रों में पलायन करने के साथ-साथ आता जाता भी रहता है। जब व्यक्ति रोजगार के कारण दूसरे राज्य में स्थापित होता है तो उसके परिवार पर इन क्षेत्रों का भाषाई प्रभाव रहता है अथवा दूसरी भाषा से प्रभावित होता है। क्योंकि उसे वहां की दूसरी भाषा के माध्यम से वहां पर अपने को स्थापित करने के साथ-साथ अपनी जरूरतों एवं संप्रेषण की पूर्ति करनी होती है। जैसे आगरा का रहने वाला दिल्ली में जाता है तो वहां दिल्ली में हरियाणा के लोगों का भी निवास अधिक है। ऐसे में वह हरियाणवी का ज्ञान धीरे-धीरे संचित करता है और हिन्दी का भी ज्ञान उसे है। अत: वह दिल्ली में हरियाणवी एवं हिन्दी के माध्यम से काम करता रहेगा।

* **सरकारी सेवा प्रयोजनों के माध्यम से**- भारतीय व्यवस्था में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के कई ऐसे विभाग एवं अनुभाग अथवा केंद्र होते हैं। जिनमें कार्मिकों को वहां से स्थानांतरण एवं व्यवस्था दुरुस्त करने आदि कारणों से हिन्दीतर प्रदेशों राज्यों एवं स्थानों पर जाना होता है। ऐसे में वह वहां की भाषाओं में धीरे-धीरे अपनी मूल भाषाओं मिश्रित व विलय कर भाषाई संप्रेषण को सांकेतिक मिश्रित प्रयोगों के माध्यम से प्रभावी बनाता है। ऐसे में वह मुख्य रूप से प्रयोग में लाये जाने वाले शब्दों को स्मरण में रखता जाता है। यदि ऐसे कार्मिक का दो-चार स्थानों तबादला हो जाता है तो वह दूसरे राज्यों के मुख्य-मुख्य शब्दों को प्रयोग करना सीख जाता है। साथ ही हिन्दी को भी दूसरे राज्यों में न चाहते हुए प्रसारित कर देता है। क्योंकि जिन लोगों की भाषाओं के शब्दों ग्रहण करता है उन्हें अपने शब्दों का अर्थ पूछने के लिए बताना ही होता है। ऐसी सेवाओं में शिक्षण कार्यक्रम से जुड़े लोग, सुरक्षा कार्यों के कार्मिक एवं बैंक के कर्मचारियों एवं चुनाव आदि कार्मिकों का कार्य अधिक होता है क्योंकि वे भारत के विभिन्न राज्यों में सरकारी सेवाओं के कारण से जाते रहते हैं।

* **शिक्षा प्रयोजनों के माध्यम से**- शिक्षा के कारणों से छात्रों को अपने घर से दूर-दराज के राज्यों एवं विदेशों तक में जाना एवं पढ़ना होता है। ऐसे में छात्रों की मूल भाषा तो हिन्दी होती है, लेकिन उसे देश-राज्य की भाषा को भी स्वीकार्यता और प्रयोग करने लगता है। इस प्रकार से उसकी भाषा में हिन्दी का एक अन्य भाषा के साथ आंतरिक संबंध स्थापित हो जाता है। यही छात्र फिर पुन: नई जगह पर जाता है तो वह एक अतिरिक्त भाषा को भी ग्रहण कर लेता है। यह हिन्दी के लिए एक नया प्रायोगिक स्थान बनने के साथ-साथ उस छात्र के मन में हिन्दी के आंतरिक संबंधों में एक तीसरी भाषा को जोड़ने का कार्य करता है। जिसका प्रायोगिक ज्ञान सदैव के लिए उसके साथ व मन में रहता है।

* **समाचार-पत्रों के प्रयोजनों के माध्यम से**- हिन्दी राज्य व स्थान के किसी क्षेत्र में होने वाली किसी घटना व अन्य संबंधित समाचार व सूचना को विस्तारिक रकने के लिए समाचार-पत्रों के माध्यम से निविदाएं सूचना प्रसारित की जाती है। जैसे-निविदा, रिक्तियों, कुटेशन, प्रवेश सूचनाएं, आवश्यकता, पूर्ति आदि। ऐसी सूचनाओं को मुख्यत: हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में प्रयोग में लाया जाता है। क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति को सीधे-तौर पर जोड़ने या सूचना प्रदान करने का माध्यम होता है। संपूर्ण भारत में प्रसारित होने वाली सूचनाओं को समाचार-पत्रों इन्हीं दो भाषाओं में प्रमुख रूप से रखा जाता है। क्योंकि हिन्दी भाषा की जैसे पहुंच सभी जगह है, लेकिन स्थानीय भाषाओं कुछ तबके वहीं अंग्रेजी को भी सभी जगह महत्वपूर्ण मानते हैं।

*** टी.वी./रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से**- टी.वी. व रेडियो के माध्यम से आज भी किसानों के लिए खेती, चिकित्साओं, धार्मिक कथाओं आदि के कार्यक्रम को प्रसारित किया जाता है, जो हिन्दी भाषाओं में प्रसारित होता है। भारतीय प्रदेशों में जहां विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव होता वहां पर भी हिन्दी के इस प्रकार के कार्यक्रम हिन्दी को मजबूती प्रदान करते हैं। जिससे हिन्दी का भारत के सभी प्रदेशों में समानांतर प्रभाव जाता रहता है। हालांकि हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोग इसके प्रधानता एवं वरीयता दिखाते हुए स्वीकारते हैं, जबकि हिन्दीतर क्षेत्रों के लोग अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के अनुवाद को प्राथमिकता प्रदान करते हैं।

*** बैंक प्रयोजनों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से**- भारतीय मुद्राओं में हिन्दी का प्रयोग होता है, हालांकि इसके शपथ को भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं के साथ दिया जाता है, किंतु बड़े तौर पर हिन्दी और अंग्रेजी को प्रधानता दी जाती है। नोटों के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक हिन्दी और अंग्रेजी में लिखा जाता है, गिनती भी हिन्दी और अंग्रेजी में होती हैं। बैंक के राजभाषा अधिकारी होते हैं जो कि हिन्दी के प्रचार व प्रसार के कार्य को क्रियान्वित करते हैं। बैंकों द्वारा समय-समय पर ग्राहकों हेतु सूचना एवं योजनाओं को प्रसारित करने के लिए भी मुख्य रूप से हिन्दी को प्रथम भाषा के रूप में प्राथमिकता दी जाती है साथ ही द्वितीय भाषा यहां भी अंग्रेजी होती है। उसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं को प्रयोग में लाया जाता है। हिन्दी के इस प्रकार से प्रयोग एवं महत्व से हिन्दी बैंकों के माध्यम से विभिन्न राज्यों की भाषाओं में अंत:संबंध स्थापित करने का कार्य करती है।

*** शिक्षण संस्थानों के माध्यम से**- हिन्दीत्तर भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के लिए शिक्षण संस्थाएं, अध्यापकों को तैयार करने के साथ-साथ शैक्षिक सामग्री व विभिन्न कार्यक्रम को तैयार करने का कार्य करती हैं। यह संस्थाएं सरकारी-गैर-सरकारी माध्यमों से कार्य करती हैं, जिन्हें सरकारी सहयोग व आर्थिक मदद भी दी जाती है। ताकि हिन्दी के प्रसार-प्रचार की योजनाओं को अपने लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके। भारत सरकार की प्रमुख शिक्षण संस्थानों में केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विवि, वर्धा हैं। केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा भारत के विभिन्न राज्यों में स्थापित अपने आठ विभिन्न केंद्रों के माध्यम से हिन्दी अध्यापकों को तैयार करने के साथ-साथ नवीकरण आदि कार्यक्रमों को संचालित करता ही है। साथ ही वैश्विक स्तर पर हिन्दी को पहुंचाने के उद्देश्य से विदेशी विद्यार्थियों के हिन्दी शिक्षण का कार्य भी करता है। जबकि केंद्रीय हिन्दी निदेशालय, दिल्ली द्वारा हिन्दी को भारतीय एवं वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु हिन्दी लेखकों, साहित्यकारों आदि की हिन्दी की पुस्तकों के निर्माण के साथ-साथ उन्हें हिन्दीतर राज्यों में हिन्दी विद्यार्थियों हेतु नि:शुल्क रूप में वितरित करने की योजना चलाई जाती है। साथ ही हिन्दी की पुस्तक व सामग्री वितरण एवं निर्माण का भी कार्य किया जाता है। हिन्दी निदेशालय अहिन्दी एवं हिन्दीतर भाषी क्षेत्रें के प्रारंभिक हिन्दी शिक्षण के उद्देश्य विद्यालय खोलने हेतु योजना एवं अनुदान देने की योजना को भी चलाता है। जिससे हिन्दी का भारत के सभी राज्यों की प्रादेशिक भाषाओं अंत:संबंध प्रगाढ़ होता जा रहा है।

*** देवनागरी लिपि प्रयोजन के माध्यम से**- देवनागरी लिपि की मुख्य भाषा संस्कृत से हिन्दी एवं प्रादेशिक भाषाओं का जन्म हुआ है। देवनागरी लिपि की प्रमुख भाषा संस्कृत से अवरित भाषाओं की प्रमुख भाषा हिन्दी भाषा है। हिन्दी भाषा वर्ण के समतुल्य अन्य प्रादेशिक भाषाओं की लिपियों में समीपता देखी जा सकती है। देवनागरी को भारत और नेपाल में संस्कृत, मराठी, हिन्दी, मध्य भारतीय-आर्य भाषाओं, कोंकणी, बोरो और विभिन्न नेपाली भाषाओं को लिखने के लिए व्यापक रूप से अपनाया गया है। संस्कृत, पालि, हिन्दी, मराठी, कोंकणी, सिन्धी, कश्मीरी, हरियाणवी, बुंदेली भाषा, डोगरी, खस, नेपाल भाषा तथा अन्य नेपाली भाषाएँ, तमांग भाषा, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली, संताली, राजस्थानी भाषा, बघेली आदि सैकड़ों भाषाएँ और स्थानीय बोलियाँ भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। जो हिन्दी भाषा को इनके प्रादेशिक क्षेत्रों से अंत:संबंध स्थापित होने का प्रमुख कारण है। देवनागरी लिपि से उत्पन्न एक भारतीय भाषा का उदाहरण निम्न है-

अ आ इ ई उ ऊ
ऋ ॠ ऌ ॡ
ए ऐ ओ औ
क ख ग घ ङ
च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ ण
त थ द ध न
प फ ब भ म
य र ल व
श ष स ह

*** लोक, कहानी कथाओं एवं संगीतों के माध्यम से**- भारतीय संस्कृति से जुड़ी कहानियों एवं किदवंतियों को परंपराओं के साथ प्रसारित होना समय के साथ लोक समाज के द्वारा होता रहा है। इन्हीं कहानियों जैसे रामायण की कहानी जो कि संस्कृत भाषा से हिन्दी, तमिल, बांग्ला आदि अन्य भाषाओं में प्रसारित हुई। लोक कथाओं एवं यह कहानी पीढ़ीगत लोगों को सुनाई जाती रहीं। हिन्दी भाषा के माध्यम से श्रीरामचरितमानस की कथा ने व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त की। तुलसी की इस रामकथा को जनमानस में उनकी विरक्त मनोभाषिकता के कारण ही लोकप्रियता प्राप्त हुई है। जिसके कारण तुलसी की हिन्दी रामकथा को अन्य प्रदेशों की भाषाओं के अनुवादित करने एवं हिन्दी में पढ़ने का क्रम भी हिन्दी के भाषाई अंत: संबंधों का एक आधार है। कहीं-कहीं पर ऐसी कहानियों व कथाओं को लोक नृत्य व संगीतों की प्रस्तुति आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। जो कथा एक ही होता है और उसकी प्रस्तुति दूसरे राज्यों व अहिन्दी क्षेत्रों की भाषाओं में होती है। जिसकी प्रस्तुति को सभी

अपनी-अपनी भाषाओं में समझ सकते हैं। लेकिन मूल आधार में उनकी रचना भारतीय भाषा संस्कृत व हिन्दी से उत्पन्न है।

* **ऑनलाइन माध्यम से प्रयोजन के माध्यम से**- आज इंटरनेट के इस युग में किसी भी भाषा को किसी भी रूप में देखा जा सकता है। हिन्दी को बड़े व्यापक स्तर पर पहुँच होने और राज्यों की अन्य भाषाओं का इतनी अधिक व्यापकता ने होना भी हिन्दी के प्रयोग एवं उपयोग का कारण है। भारतीय प्रदेशों के लोग आज इंटरनेट के माधयम से सरलता से अपनी भाषा को हिन्दी में अनुवादित एवं प्रस्तुत कर अपनी बात को न केवल प्रस्तुत कर सकते हैं। अपितु इंटरनेट के माध्यम से संसारभर में प्रसारित कर सकते हैं। दूसरी ओर हिन्दी राज्यों के व्यक्ति भी दूसरी भाषाओं को अपनी भाषा में डाउनलोड कर सकते हैं और उसका उपयोग अपने लिए कर सकते हैं।

* **व्यापारिक प्रयोजनों के माध्यम से**- व्यापार को विस्तारित करने के लिए एवं एक राज्य को दूसरे राज्य में अपने प्रोडक्टर को स्थापित करने के लिए कंपनी को अपने सामान को दूसरी भाषाओं में नाम के साथ हिन्दी भाषाओं अथवा अंग्रेजी को भी जोड़ना होता है। जिससे कि उसकी जानकारी को उपभोक्ता आसानी उस सामान के विषय में पूरा विवरण एवं जानकारी हासिल कर सकें। ऐसे में उस कंपनी को दूसरे राज्यों में अपने हिन्दी के जानकारी एवं योग्य मैनेजर व अनुवादकों को भी नियुक्त करना होता है, जो हिन्दी को उनकी भाषा के माध्यम से गहराई तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही वहां के सेल्स-मैनों को भी ऐसे लोगों के अधीन रखा जाता है जो द्विभाषिये की भूमिका का निवर्हन कर सकें। क्योंकि उपभोक्ताओं की जरूरतों को कंपनी तक पहुंचाने के लिए दूसरे राज्य की भाषाओं का हिन्दी के साथ कार्ययोजित होना अति आवश्यक होता है। ऐसे में हिन्दी का प्रादेशिक भाषाओं के साथ संबंध शनैःशैने स्थापित होता जाता है।

इसके अतिरिक्त और भी ऐसे अन्य कारण व प्रयोजनों हैं जो कि हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में संबंधा स्थापित करने का कार्य करते हैं व आधाार स्थापित होते हैं।

निष्कर्ष - अतः उक्त के आधाार पर कहा जा सकता है कि हिन्दी भाषा का भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं के साथ एक मजबूत अंतःसंबंध स्थापित होता रहा है और भविष्य में भी यह संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। जिसमें भारत सरकार की सरकारी प्रणाली के साथ-साथ एक आमजन का भी अपना स्वस्तरीय योगदान समाहित होता है।

संदर्भः

6. आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्रोत : डॉ. केशरी नारायण शुक्ल, सरस्वती मंदिर, काशी, सं. 2004, प्रथम संस्करण

7. आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और मनोविज्ञान : डॉ. देवराज उपाध्याय, साहित्य भवन, प्रा.लि. इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 1956ई.

8. आधुनिक साहित्य : आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी, भारतीय साहित्य भण्डार, इलाहाबाद, तृतीय संस्करण

9. आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना : डॉ. वासुदेव नंदन प्रसाद, 22वाँ संस्करण, भारतीय भवन, पटना

10. ऋग्वेद संहिता (हिन्दी टीका) : प्रथम संस्करण, 1933 ई., अनु.पं. देवानंद झा एवं पं. अयोधया प्रसाद, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कलकत्ता

11. एतरेय उपनिषद : 1949, कल्याण उपनिषद अंक में प्रकाशित

12. काव्य दर्शन : डॉ. हरद्वारीलाल शर्मा, प्रथम संस्करण, उमेश प्रकाशन, दिल्ली

13. काव्य और कला तथा अन्य निबंध : जयशंकर प्रसाद, चतुर्थ संस्करण, 2010 वि., भारती भंडार, लीडर प्रेस, प्रयाग

14. काव्यालंकार : भामह (प्रथम संस्करण, 1985), चौखम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस

15. तुलसीदास : डॉ. माता प्रसाद गुप्त, विश्वविद्यालय, हिन्दी परिषद, 1942-53 ई.

16. तुलसी पंयशती : स्मृति परिजात ग्रंथ

17. बाल्मीकीय रामायण (हिंदी भाषांतर सहित) : श्री नारायण शास्त्री, गीता प्रेस, गोरखपुर

18. भारतीय शैली विज्ञान, वि. कृष्णस्वामी अय्यंगर ग्रंथ - शैली और शैली विज्ञान, केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, 1976

19. भाषा और साहित्य : अशोक राव केलकर (आलेख) ग्रंथ - शैली और शैली विज्ञान, संपादक, सुरेश कुमार व रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, प्रथम संस्करण, 1976, केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा

20. भाषा और संस्कृति : डॉ. भोलानाथ तिवारी, प्रथम संस्करण, 1984, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली

-दीपेन्द्र कुमार
पीएच.डी. शोधार्थी, हिन्दी विभाग
मणिपुर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, मणिपुर (इंफाल)

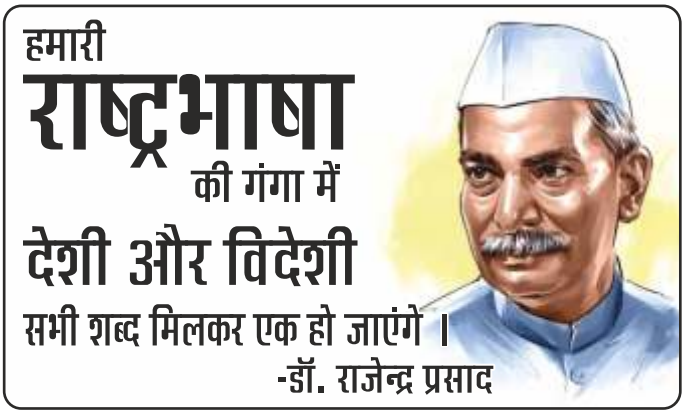

युवा मत

उच्च शिक्षा में हिन्दी की वर्तमान स्थिति

अभिषेक तिवारी

भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, यह विचार, ज्ञान, पहचान और शिक्षा से जुड़ा एक शक्तिशाली उपकरण है । भारत में हिन्दी न केवल सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, बल्कि यह कई राज्यों में मातृभाषा के रूप में और सामाजिक-राजनीतिक संवाद में भी अग्रणी है । भारत एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक देश है, जहाँ भाषाई विविधता न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का आधार है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका गहरा प्रभाव है । हिन्दी, जो देश की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, संवैधानिक रूप से उसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है । 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की लगभग 44% जनसंख्या हिन्दी को अपनी मातृभाषा के रूप में प्रयोग करती है। हिन्दी का विकास खड़ी बोली, अवधी, ब्रज और अन्य क्षेत्रीय बोलियों के मिश्रण से हुआ है । मध्यकाल में, भक्ति और सूफी कवियों; जैसे कबीर, तुलसीदास और मलिक मुहम्मद जायसी ने हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया । स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, हिन्दी को राष्ट्रीय एकता और स्वदेशी भावना के प्रतीक के रूप में प्रचारित किया गया । महात्मा गाँधी और अन्य नेताओं ने हिन्दी को जन-जन की भाषा के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया ।

ब्रिटिश काल में उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को विशेष स्थान मिला। 1835 में लॉर्ड मैकाले की "Minutes on Indian Education" ने अंग्रेजी को शिक्षा का प्रमुख माध्यम मान लिया । इसका उद्देश्य था आधुनिक विज्ञान और प्रशासन की शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में स्थान देना, जिससे भारतीय भाषाएँ उच्च शिक्षा में पीछे धकेल दी गईं । अंग्रेजी शासन के दौरान उच्च शिक्षा की पूरी संरचना अंग्रेजी भाषा पर आधारित थी । हिन्दी साहित्य और भाषा के अध्ययन के लिए अलग से विभागों की स्थापना 19वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई । 1868 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिन्दी की पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन यह केवल साहित्य और व्याकरण तक सीमित रही । नागरी प्रचारिणी सभा (1893) जैसी संस्थाओं ने हिन्दी के प्रसार और मानकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने आगे चलकर उच्च शिक्षा में हिन्दी की नींव मजबूत की । महात्मा गाँधी, राजेंद्र प्रसाद और पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने शिक्षा में मातृभाषा के प्रयोग पर जोर दिया । 1920 में काशी विद्यापीठ और 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में हिन्दी को महत्त्वपूर्ण स्थान मिला । हिन्दी को 'राष्ट्रीय एकता की भाषा' के रूप में देखने का दृष्टिकोण मजबूत हुआ, जिससे विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभागों का विस्तार हुआ ।

स्वतंत्रता के बाद, 1949 में संविधान सभा ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपनाया और अंग्रेजी को सह-राजभाषा के रूप में 1965 तक सीमित करने का प्रावधान रखा । 1953 में केंद्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में हिन्दी का प्रचार-प्रसार था । 1968 की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया । 1960 और 1970 के दशक में कई विश्वविद्यालयों ने हिन्दी माध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए । हालांकि, विज्ञान, तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा अब भी अंग्रेजी-प्रधान रही। 1986 की नीति ने भी इस विचार को आगे बढ़ाया, लेकिन व्यावहारिक क्रियान्वयन प्रथम प्राथमिकता नहीं बन पाया ।1990 के दशक में उदारीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में बढ़ते कदमों ने अंग्रेजी की उपयोगिता को नई ऊँचाइयों पर पहुंचाया । उच्च शिक्षा, शोध, तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में अंग्रेजी ही वर्चस्व में रही । भारतीय भाषाओं, विशेष रूप से हिन्दी, उच्च शिक्षा में एक सीमित विकल्प बनकर रह गई । उच्च शिक्षा में भाषा का महत्त्व केवल अभिव्यक्ति का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह ज्ञान के सृजन, प्रसार और संरक्षण का भी प्रमुख साधन है । लंबे समय तक भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजी-केंद्रित रही, जिसके कारण हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को अपेक्षित स्थान नहीं मिल पाया। हालांकि, पिछले कुछ दशकों में भाषा-नीति और शिक्षा-नीति में बदलावों के चलते हिन्दी का स्थान मजबूत करने के प्रयास हुए हैं । नई शिक्षा नीति-2020 ने मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं में उच्च शिक्षा के विस्तार पर विशेष जोर दिया, जिससे हिन्दी को संस्थागत समर्थन मिला है ।

हिन्दी-पट्टी के अनेक राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान के कार्यक्रम लंबे समय से हिन्दी माध्यम में चलते आए हैं । UGC की रिपोर्ट (2023) के अनुसार, भारत में लगभग 100+ विश्वविद्यालय ऐसे हैं, जो हिन्दी माध्यम में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं । हिन्दी माध्यम के छात्रों में लगभग 60% छात्र कला संकाय से हैं, जबकि 25% शिक्षा और सामाजिक विज्ञान से हैं । उच्च शिक्षा में हिन्दी का उपयोग मुख्य रूप से मानविकी, सामाजिक विज्ञान और कला जैसे विषयों में देखा जाता है । विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हिन्दी साहित्य, इतिहास, दर्शनशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे विषयों में हिन्दी में पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है । कई विश्वविद्यालय, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हिन्दी माध्यम में स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध कार्यक्रम प्रदान करते हैं । हालांकि, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों; जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी का उपयोग लगभग नगण्य है । इसका कारण यह है कि इन क्षेत्रों में अंग्रेजी को वैश्विक भाषा के रूप में प्राथमिकता दी जाती है और अधिकांश पाठ्यपुस्तकें, शोध-पत्र और तकनीकी सामग्री अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। यह स्थिति हिन्दी माध्यम के छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती

बनती है, क्योंकि उन्हें इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता होती है ।

भारत सरकार ने हिन्दी को उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं । राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है । इस नीति के तहत, उच्च शिक्षा में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है । केंद्रीय हिन्दी निदेशालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) जैसे संगठन हिन्दी में पाठ्य सामग्री और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं । इस नीति के तहत, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में हिन्दी को शामिल करने की योजनाएँ बनाई गई हैं । उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चिकित्सा और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों को हिन्दी में शुरू करने के लिए पायलट परियोजनाएं शुरू की गई हैं । इसके अलावा, हिन्दी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 'भारतवाणी' और 'स्वयं' (SWAYAM) जैसे पोर्टल विकसित किए हैं । केंद्रीय हिन्दी निदेशालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) जैसे संगठन हिन्दी में पाठ्य सामग्री और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं । SWAYAM और NPTEL प्लेटफॉर्म पर 200 से अधिक कोर्स हिन्दी में उपलब्ध हैं । Coursera और मकग जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अब कुछ कोर्स हिन्दी उपशीर्षक के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं । तकनीकी शिक्षा के नियामक निकाय AICTE ने 2021 से यह पहल तेज की कि इंजीनियरिंग सहित तकनीकी शिक्षा भारतीय भाषाओं में भी दी जा सके । इसी क्रम में, AICTE ने 'अनुवादिनी' और 'UDAAN' जैसे AI-संचालित अनुवाद टूल विकसित किए, जिनका उद्देश्य है कि कोर इंजीनियरिंग एवं व्यावसायिक पाठ्य-पुस्तकों/सामग्री का भारतीय भाषाओं-हिन्दी सहित में त्वरित व गुणवत्तापूर्ण रूपांतरण संभव हो ।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने JEE@NEET] CUET (UG@PG प्रवेश) और UGC&NET जैसी परीक्षाओं में हिन्दी विकल्प को शामिल किया है । यह कदम भाषा से जुड़े सामाजिक असमानताओं को कुछ हद तक दूर करता है । IIT BHU और NIT Bhopal ने इंजीनियरिंग के कुछ विषयों के लिए बाइलिंगुअल (हिन्दी + अंग्रेजी) लेक्चर और नोट्स शुरू किए हैं । इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र भी तकनीकी शिक्षा आसानी से समझ सकें। IGNOU जैसे बड़े मुक्त विश्वविद्यालयों ने भी अपने व्यावसायिक/प्रबंधन कार्यक्रमों में हिन्दी माध्यम के विकल्प जोड़े हैं- उदाहरण के लिए 2025 में IGNOU ने AICTE के साथ मिलकर हिन्दी और ओड़िया में MBA कार्यक्रम आरंभ करने की घोषणा की, जिसके अध्ययन-सामग्री द्विभाषिक/बहुभाषिक रूप में उपलब्ध कराई जा रही है । अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश सरकार ने MBBS प्रथम वर्ष की तीन आधारभूत विषय-पुस्तकों (एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकैमिस्ट्री) के हिन्दी अनुवाद का शुभारंभ किया और हिन्दी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा की दिशा में कदम उठाया । यह पहल ऐतिहासिक कही गई, पर तीन वर्षों के भीतर विभिन्न मीडिया रिपोर्टों/समाचारों में यह भी सामने आया कि व्यापक स्तर पर छात्रों ने परीक्षाएँ हिन्दी में नहीं दीं अथवा स्वीकार्यता सीमित रही । इसका कारण था- गुणवत्तापूर्ण और अद्यतन हिन्दी मेडिकल किताबों का अभाव, तकनीकी शब्दों की कठिनाई और अंग्रेजी माध्यम में आगे की पढ़ाई या नौकरियों के अवसर ज्यादा होना । यह उदाहरण हमें बताता है कि केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति और किताबों का अनुवाद काफी नहीं है; इसके लिए पूरे इकोसिस्टम में बदलाव चाहिए । जैसे- शिक्षक-प्रशिक्षण, द्विभाषिक मूल्यांकन, शब्दावली मानकीकरण और उद्योग से तालमेल ।

हिन्दी माध्यम क्रियान्वयन निदेशालय, हिन्दी माध्यम में शिक्षण सामाग्री उपलब्ध करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है । यह भारत सरकार का एक प्रमुख संगठन है, जो केंद्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा, प्रशासन और तकनीकी क्षेत्रों में हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्य करता है । इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) तथा राजभाषा विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करता है । इसका मुख्य कार्य विज्ञान, तकनीकी, विधि और प्रबंधन जैसे विषयों की उच्चस्तरीय पाठ्यपुस्तकें हिन्दी में तैयार करवाना, मौजूदा अंग्रेजी पाठ्यसामग्री का उच्च-गुणवत्ता वाला हिन्दी अनुवाद कराना । विभिन्न विषयों के लिए तकनीकी और पारिभाषिक शब्दावली तैयार करना और उसे मानकीकृत रूप में उपलब्ध कराना । राजभाषा नीति के तहत, उच्च शिक्षा संस्थानों में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की निगरानी करना । मंत्रालयों और शैक्षणिक संस्थानों को समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना । शिक्षकों, अनुवादकों और शोधार्थियों के लिए हिन्दी माध्यम में शिक्षण और लेखन पर कार्यशालाएँ आयोजित करना आदि है ।

उच्च शिक्षा में हिन्दी की स्थिति समझने के लिए केवल कक्षा-कक्ष नहीं बल्कि शोध-प्रणाली, शोध-प्रकाशन और ज्ञान-संप्रेषण की भाषा भी निर्णायक है । हर वर्ष लगभग 5,000+ पीएचडी शोधप्रबंध हिन्दी भाषा या हिन्दी माध्यम में पूरे होते हैं (Shodhganga पोर्टल के अनुसार)। यदि हम देखें, तो यह संख्या इंगित करती है कि अनुसन्धानकर्ता हिन्दी माध्यम में शोध कर रहे हैं, खासकर मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में । नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के बाद उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं-विशेषकर हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत, संस्थागत और तकनीकी स्तर पर कई पहलें हुई हैं । फिर भी, अकादमिक संचार, शोध-प्रकाशन, पाठ्य-पुस्तक उपलब्धता और रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में हिन्दी की भागीदारी तथा स्वीकार्यता का परिदृश्य मिश्रित है- जहाँ एक ओर विस्तार और संस्थागत समर्थन दिखता है, वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता, मानकीकरण, अनुवाद-व्यवस्था और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय दृश्यता जैसी ठोस चुनौतियाँ मौजूद हैं। चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विधि, प्रबंधन, डेटा साइंस, जैव-प्रौद्योगिकी

जैसे उभरते/विशेषज्ञता क्षेत्रों में अद्यतन, समकालीन और समीक्षित हिन्दी पाठ्यसाहित्य सीमित है । यह कमी हिन्दी माध्यम के व्यापक क्रियान्वयन में वास्तविक अवरोध बनती है, मध्य प्रदेश के डठठै उदाहरण में यही चुनौती निर्णायक रही । विज्ञान/चिकित्सा/तकनीक की पारिभाषिक शब्दावली का एकरूप व प्रचलित मानक अभी निर्माणाधीन है; अनेक बार छात्र/शिक्षक अंग्रेजी शब्दों/ट्रांसलिटरेशन पर निर्भर रहते हैं । AI-आधारित टूल (Anuvadini, UDAAN) इस अंतर को कम कर रहे हैं, पर अकादमिक समुदाय-आधारित मानकीकरण और क्षेत्रविशेष विशेषज्ञों की भागीदारी अनिवार्य है । JEE@NEET जैसे प्रवेश-परीक्षाओं का बहुभाषिक होना एक सकारात्मक संकेत है, इससे हिन्दी-माध्यम छात्रों की उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ती है । परंतु, प्रवेश के बाद पाठ्य-सामग्री और अध्यापन में यदि पर्याप्त हिन्दी संसाधन न मिलें तो सीखने के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं ।

उच्च शिक्षा में हिन्दी की स्थिति को प्रभावित करने में छात्रों की प्राथमिकता और सामाजिक धारणा भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है । कई छात्र और अभिभावक अंग्रेजी को बेहतर भविष्य और वैश्विक अवसरों का प्रतीक मानते हैं । इसके विपरीत, हिन्दी को अक्सर कम प्रतिष्ठित माना जाता है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में । ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ हिन्दी अधिक प्रचलित है, वहाँ भी संसाधनों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी हिन्दी माध्यम के छात्रों के लिए चुनौती बनती है । नई शिक्षा नीति-2020 ने भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया है । इसका उद्देश्य है कि भाषा किसी भी छात्र की उच्च शिक्षा की राह में बाधा न बने । यह नीति कहती है कि अगर छात्र अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ते हैं, तो वे विषय को अधिक अच्छी तरह समझ पाते हैं और अपने विचार बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकते हैं । यह सोच सही भी है, क्योंकि शोध और मनोविज्ञान बताते हैं कि प्रारंभिक व उच्च शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग सीखने की गहराई को बढ़ाता है । नीति के इस सकारात्मक रुख के बावजूद, वास्तविकता में परिवर्तन की गति धीमी है । अधिकांश तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम अब भी अंग्रेजी माध्यम में ही चलते हैं । कारण यह है कि वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी को 'ज्ञान की भाषा' माना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों, उद्योग और शोध में इसका वर्चस्व है । इसलिए नीति-निर्माताओं के सामने चुनौती यह है कि हिन्दी में शिक्षा का विस्तार करते हुए छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से भी जोड़ा जाए ।

AICTE और UGC जैसे संस्थानों ने हाल के वर्षों में भारतीय भाषाओं के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं । इंजीनियरिंग, प्रबंधन और अन्य तकनीकी विषयों की किताबें हिन्दी में अनुवादित करने के प्रयास हुए हैं । 'अनुवादिनी' और 'UDAAN' जैसे AI-आधारित टूल इसी दिशा में बनाए गए हैं, ताकि अंग्रेजी सामग्री को तेजी से हिन्दी में बदला जा सके । IGNOU ने MBA जैसे कोर्स हिन्दी माध्यम में शुरू किए हैं, जो व्यावसायिक शिक्षा में एक नया कदम है। लेकिन इन प्रयासों में कुछ मूलभूत कठिनाइयाँ हैं । अनुवादित किताबें कई बार शब्दावली के मामले में असंगत होती हैं । तकनीकी शब्दों के लिए एक मानक शब्द-संग्रह की कमी है, जिसके कारण अलग-अलग किताबों में अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं। यह छात्रों के लिए भ्रम पैदा करता है । इसके अलावा, केवल अनुवादित सामग्री पर्याप्त नहीं होती-जरूरत है मौलिक हिन्दी पाठ्यसामग्री की, जिसे विषय-विशेषज्ञ खुद हिन्दी में लिखें । उच्च शिक्षा में हिन्दी की सबसे बड़ी समस्या है- अद्यतन और समीक्षित पाठ्यसामग्री की कमी। विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में हिन्दी में आधुनिक और विश्वसनीय किताबें लगभग नहीं के बराबर हैं । अक्सर जो किताबें उपलब्ध हैं, वे या तो पुरानी हैं या उनका अनुवाद इतना जटिल है कि छात्र मूल अंग्रेजी पाठ ही पढ़ना पसंद करते हैं । दूसरी बड़ी चुनौती है-शब्दावली का मानकीकरण । एक ही तकनीकी शब्द के लिए अलग-अलग किताबों में अलग शब्द प्रयोग हो रहे हैं। इससे न केवल छात्रों में भ्रम पैदा होता है, बल्कि परीक्षाओं और शोध में भी असंगति आती है । AI आधारित टूल इस समस्या को कुछ हद तक हल कर सकते हैं, लेकिन अंतिम समाधान तभी संभव है जब विषय-विशेषज्ञ मिलकर एक मानक टर्म-बैंक तैयार करें । डिजिटल तकनीक हिन्दी के लिए नए अवसर लेकर आई है । Shodhganga, SWAYAM और NPTEL जैसे प्लेटफॉर्म पर हिन्दी सामग्री बढ़ रही है। AI अनुवाद टूल्स ने किताबों और व्याख्यानों को तेजी से हिन्दी में लाना आसान बना दिया है । लेकिन यहाँ भी सावधानी जरूरी है, सिर्फ मशीन अनुवाद पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि विषय-विशेषज्ञ संपादन के बिना सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित होती है ।

उच्च शिक्षा में हिन्दी की वर्तमान स्थिति एक मिश्रित चित्र प्रस्तुत करती है । उच्च शिक्षा में हिन्दी की स्थिति एक 'संक्रमण काल' में है । एक ओर नीति, तकनीक और संस्थागत समर्थन के कारण अवसर बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर गुणवत्ता, मानकीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियाँ भी सामने हैं । उच्च शिक्षा में हिन्दी एक व्यवहारिक महत्त्व और सांस्कृतिक पहचान का माध्यम है, परन्तु अंग्रेजी के वैश्विक प्रभुत्व के कारण इसकी वास्तविक पहुँच और प्रभाव सीमित रहा है । तथ्यों और मामलों में यह स्पष्ट है कि नीति-स्तर पर हिन्दी को महत्त्व दिया जा रहा है- प्रवेश परीक्षणों में विकल्प, डिजिटल शिक्षा में सामग्री और अनुवाद टूल्स इत्यादि से । लेकिन इसका असर तभी होगा जब क्रियान्वयन, गुणवत्ता, मानकीकरण और वास्तविक रोजगार संबंधी उपयोगिता सुनिश्चित हो । हिन्दी माध्यम को केवल इतिहास या संस्कृति का प्रतीक न बनाकर, उसे ज्ञान सृजन, समावेशिता और आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण की भाषा बनाने का प्रयास तभी सार्थक हो सकता है जब नीति, संसाधन, संस्थागत इच्छाशक्ति और व्यावहारिक नेतृत्व एक साथ आए। आने वाले दशक में यदि ये प्रयास सही दिशा में हों, तो हिन्दी उच्च शिक्षा में केवल माध्यम नहीं, बल्कि ज्ञान उत्पादन की मजबूत और प्रभावी भाषा बनकर उभर सकती है ।

-अभिषेक तिवारी, शोध छात्र, इतिहास विभाग
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

परिवार में रोपित करें बीज रूप में मातृभाषा का संस्कार

डॉ. प्रदीप उपाध्याय

आधुनिक परिवेश में हम जिस गहरे संकट का सामना कर रहे हैं, वह है घरों से छूट रहा है मातृभाषाओं का संस्कार । यह एक सांस्कृतिक और शैक्षिक संकट है । भाषा केवल संप्रेषण का साधन नहीं, बल्कि मनुष्य की चेतना, सांस्कृतिक स्मृति और सामाजिक पहचान की आधारशिला है । भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा का स्वर है । मातृभाषा विशेष रूप से वह माध्यम है जिसके जरिए व्यक्ति दुनिया को पहली बार समझना शुरू करता है । मातृभाषा तो वह प्रथम स्पर्श है जिससे शिशु संसार को पहचानना शुरू करता है- माँ की लोरी, परिवार की बातचीत, लोककथाओं की सुगंध और घरेलू संबोधनों की ऊष्मा उसी में बसती है। किंतु समय की विडंबना देखिए कि आधुनिकता, बाजारवाद और प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में हमारे घरों से मातृभाषाओं का संस्कार धीरे-धीरे फिसलता जा रहा है । यह केवल भाषा का प्रश्न नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्मृति, पहचान और संवेदनशीलता के क्षरण का संकेत है ।

आज का परिवार अपने बच्चों के भविष्य को लेकर पहले से कहीं अधिक सचेत है । वह चाहता है कि उसका बच्चा वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो । इस आकांक्षा ने विदेशी भाषाओं, विशेषत: अंग्रेजी, को एक अनिवार्य औजार के रूप में स्थापित कर दिया है । समस्या तब जन्म लेती है जब यह औजार धीरे-धीरे मातृभाषा का विकल्प बन बैठता है । कई घरों में मातृभाषा बोलना मानो पिछड़ेपन का प्रतीक समझा जाने लगा है । माता-पिता स्वयं बच्चों से विदेशी भाषा में संवाद करने को उपलब्धि मानते हैं । परिणामस्वरूप बच्चा अपनी जड़ों से अनजाने ही कटने लगता है । वैश्वीकरण, शहरीकरण और बाजारवादी शिक्षा व्यवस्था के दबाव में आज भारतीय घरों से मातृभाषाओं का संस्कार धीरे-धीरे क्षीण होता जा रहा है । यह प्रवृत्ति केवल भाषाई परिवर्तन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर गहरे असर डालने वाली प्रक्रिया है ।

मातृभाषा और संज्ञानात्मक विकास

भाषाविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के अनेक अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होने से बच्चों का बौद्धिक विकास अधिक प्रभावी होता है । कनाडाई भाषाविद् जिम कमिंस का "इंटरडिपेंडेंस हाइपोथीसिस" यह बताता है कि मातृभाषा में विकसित भाषाई दक्षता अन्य भाषाओं को सीखने में भी सहायक होती है । इसी तथ्य की पुष्टि यूनेस्को ने अपनी कई रिपोर्टों में की है, जिनमें मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा को बच्चों के समग्र विकास के लिए अनिवार्य बताया गया है । मातृभाषा में सोचने और अभिव्यक्ति करने वाला बच्चा अवधारणाओं को गहराई से समझ पाता है । जब शिक्षा किसी विदेशी भाषा में आरंभ होती है, तो बच्चा पहले भाषा को समझने में ऊर्जा लगाता है, जिससे विषय की समझ प्रभावित होती है । यही कारण है कि विश्व के अनेक विकसित देशों में प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाती है ।

भारतीय परिप्रेक्ष्य और शिक्षा नीति

भारत जैसे बहुभाषी देश में मातृभाषा का प्रश्न और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है । भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने स्पष्ट रूप से अनुशंसा की है कि कम-से-कम पाँचवीं कक्षा तक, और संभव हो तो आठवीं कक्षा तक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए । नीति दस्तावेज में यह स्वीकार किया गया है कि मातृभाषा में शिक्षा बच्चों की समझ, रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाती है ।

इसके बावजूद सामाजिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम की ओर बढ़ती अंधी दौड़ ने मातृभाषाओं को हाशिए पर धकेल दिया है । कई परिवारों में अंग्रेजी बोलना सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है। अभिभावक स्वयं बच्चों से मातृभाषा में संवाद करने से बचते हैं, जिससे घर का भाषाई वातावरण बदल जाता है । यह प्रवृत्ति शिक्षा नीति के उद्देश्यों के विपरीत है ।

घर: भाषा संस्कार का प्रथम विद्यालय

भाषा का वास्तविक संस्कार विद्यालय से पहले घर में होता है। परिवार वह पहला सामाजिक संस्थान है जहाँ बच्चा शब्दों के माध्यम से संबंधों और भावनाओं को समझता है । संयुक्त परिवारों की परंपरा में दादा-दादी, नाना-नानी की कहानियाँ, लोकगीत और कहावतें मातृभाषा के माध्यम से पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होती रही हैं । एकल परिवारों और व्यस्त जीवनशैली ने इस संवाद को सीमित कर दिया है या यह भी कह सकते हैं कि समाप्त कर दिया है ।

बाल विकास पर कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ के अनुसार, प्रारंभिक वर्षों में समृद्ध भाषाई संवाद बच्चों के भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है । जब घर में मातृभाषा का प्रयोग घटता है, तो यह संवाद भी कमजोर पड़ता है, जिससे बच्चे की सांस्कृतिक जड़ों से दूरी बढ़ती जाती है ।

वैश्वीकरण और भाषाई उपनिवेशवाद

वैश्वीकरण ने अंग्रेजी को एक वैश्विक संपर्क भाषा के रूप में स्थापित किया है । यह तथ्य अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अंग्रेजी ज्ञान और रोजगार के अवसरों से जुड़ी है । समस्या तब उत्पन्न होती है जब यह उपयोगितावाद भाषाई हीनभावना में बदल जाता है । कई समाजशास्त्री इसे "भाषाई उपनिवेशवाद" की संज्ञा देते हैं, जिसमें स्थानीय भाषाएँ स्वयं अपने समाज में ही गौण हो जाती हैं ।

मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और उपभोक्तावादी संस्कृति ने इस प्रवृत्ति को और तीव्र किया है । बच्चों का अधिकतर समय ऐसे डिजिटल कंटेंट के साथ बीतता है जो प्राय: अंग्रेजी या मिश्रित भाषा में होता है । इससे उनकी भाषाई संवेदना बदलती है और मातृभाषा का स्वाभाविक प्रयोग कम होता जाता है ।

सांस्कृतिक विविधता पर प्रभाव

भाषा किसी समुदाय की सामूहिक स्मृति होती है । लोककथाएँ,

लोकगीत, रीति-रिवाज और पारंपरिक ज्ञान भाषा के माध्यम से ही संरक्षित रहते हैं । जब मातृभाषाएँ कमजोर होती हैं, तो सांस्कृतिक विविधता पर भी खतरा मंडराने लगता है । भारत की भाषाई बहुलता उसकी सांस्कृतिक शक्ति है । यदि घरों में मातृभाषाओं का संस्कार समाप्त होता गया, तो यह विविधता धीरे-धीरे क्षीण हो सकती है ।

भारतीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थाएँ भी बहुभाषिक शिक्षा को सांस्कृतिक संरक्षण का महत्त्वपूर्ण माध्यम मानती हैं । उनके अनुसार, स्थानीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने से बच्चों में सांस्कृतिक आत्मगौरव विकसित होता है ।

मनोवैज्ञानिक तथ्य और सामाजिक स्थिति

मातृभाषा केवल संज्ञानात्मक विकास ही नहीं, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा से भी जुड़ी होती है । बच्चा अपने गहरे भावों को मातृभाषा में अधिक सहजता से व्यक्त कर पाता है । जब घर में मातृभाषा का प्रयोग कम होता है, तो पीढ़ियों के बीच संवाद की खाई चौड़ी हो जाती है । दादा-दादी और बच्चों के बीच भाषाई दूरी भावनात्मक दूरी में भी बदल सकती है । समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह स्थिति पहचान संकट को जन्म दे सकती है । युवा पीढ़ी वैश्विक संस्कृति से तो जुड़ जाती है, पर अपनी स्थानीय पहचान से कटने लगती है । इससे सांस्कृतिक अस्मिता कमजोर होती है ।

समाधान की दिशा

इस समस्या का समाधान न तो सरकार के वश में है और न ही किसी एक संस्था के हाथ में, बल्कि परिवार, विद्यालय और समाज की संयुक्त जिम्मेदारी से ही समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है । इस दिशा में अग्रपंक्ति अनुसार पहल की जा सकती है-

1. घरों में मातृभाषा के प्रयोग को सचेत रूप से बढ़ावा देना होगा । माता-पिता बच्चों से मातृभाषा में संवाद करें, लोकसाहित्य से परिचित कराएँ और पढ़ने की आदत विकसित करें ।

2. विद्यालयों में बहुभाषिक शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए । मातृभाषा और वैश्विक भाषाओं के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है ।

3. डिजिटल माध्यमों पर क्षेत्रीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण सामग्री का सृजन बढ़ाया जाए । तकनीक को मातृभाषाओं के संरक्षण का सहयोगी बनाया जा सकता है ।

4. सामाजिक स्तर पर मातृभाषा के प्रति सम्मान और गर्व का भाव विकसित करना होगा । मातृभाषा को पिछड़ेपन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखना आवश्यक है ।

5. स्थानीय लोकगीत और लोकविश्वास के साथ लोक संस्कृति से परिवार में सभी को बाल्यावस्था से ही जोड़ना आवश्यक है, ताकि मातृभाषा से प्रेम की शुरुआत हो सके ।

अंततः निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि घरों से मातृभाषाओं का संस्कार छूटना केवल भाषाई परिवर्तन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक क्षरण का संकेत है । आधुनिकता और वैश्विक संपर्क की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भी अपनी भाषाई जड़ों से जुड़े रहना संभव है । मातृभाषा वह आधार है जिस पर बहुभाषिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है । मातृभाषा का संबंध केवल ज्ञान से नहीं, भावनाओं से भी है । मनुष्य अपने सबसे गहरे सुख-दुख को मातृभाषा में ही सहजता से व्यक्त कर पाता है । जब घर में मातृभाषा का प्रयोग कम होता है, तो पीढ़ियों के बीच संवाद की दूरी बढ़ जाती है । दादा-दादी और बच्चों के बीच भाषाई अंतर कभी-कभी भावनात्मक दूरी में भी बदल जाता है । यह स्थिति परिवार की आत्मीयता को प्रभावित करती है । यह स्वीकार करना होगा कि भाषाएँ स्थिर नहीं होतीं; वे समय के साथ बदलती रहती हैं । नई शब्दावली का प्रवेश और भाषाओं के बीच आदान-प्रदान स्वाभाविक प्रक्रिया है । समस्या परिवर्तन में नहीं, बल्कि उस मानसिकता में है जो अपनी भाषा को हीन समझने लगती है । जब समाज अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान खो देता है, तब वह धीरे-धीरे अपनी सांस्कृतिक पहचान से भी दूर हो जाता है ।

समाधान की शुरुआत घर से ही संभव है । माता-पिता यदि सचेत रूप से बच्चों से मातृभाषा में संवाद करें, उन्हें लोकसाहित्य से परिचित कराएँ और पढ़ने की आदत विकसित करें, तो भाषा का संस्कार स्वाभाविक रूप से पनपेगा। विद्यालयों को भी ऐसी बहुभाषिक व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें मातृभाषा और वैश्विक भाषाएँ परस्पर पूरक बन सकें, प्रतिस्पर्धी नहीं । डिजिटल युग में क्षेत्रीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण सामग्री का सृजन बढ़ाना भी आवश्यक है, ताकि तकनीक भाषा के क्षरण नहीं, संरक्षण का माध्यम बने । सबसे महत्त्वपूर्ण है सामाजिक दृष्टिकोण का परिवर्तन । मातृभाषा को पिछड़ेपन नहीं, सांस्कृतिक समृद्धि और आत्मगौरव के प्रतीक के रूप में देखना होगा । जब परिवार अपनी भाषा पर गर्व करेगा, तभी बच्चा भी उसे सम्मान की दृष्टि से देखेगा । भाषा का संस्कार उपदेश से नहीं, व्यवहार से आता है ।

अंततः प्रश्न केवल भाषा का नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक आत्मा का है । यदि घरों से मातृभाषाओं का संस्कार छूटता गया, तो हम विकास की ऊँचाइयाँ छूते हुए भी भीतर से रिक्त होते जाएँगे । आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन स्थापित करना ही समय की मांग है । विदेशी भाषाओं का ज्ञान हमें विश्व से जोड़ता है, पर मातृभाषा हमें स्वयं से जोड़ती है । घर वह पहली पाठशाला है जहाँ भाषा का बीज बोया जाता है । यदि यह बीज सहेजा जाएगा, तो आने वाली पीढ़ियाँ वैश्विक नागरिक होते हुए भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी रहेंगी । मातृभाषा का संरक्षण किसी एक संस्था का नहीं, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है । इसे निभाना ही हमारे सांस्कृतिक भविष्य की रक्षा करना है । यदि परिवार, शिक्षा व्यवस्था और समाज मिलकर मातृभाषाओं के संरक्षण का प्रयास करें, तो आने वाली पीढ़ियाँ वैश्विक नागरिक होने के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान से भी समृद्ध रहेंगी । घर ही वह पहला विद्यालय है जहाँ भाषा का बीज बोया जाता है। इस बीज की रक्षा करना हमारे सांस्कृतिक भविष्य की रक्षा करना है।

-डॉ. प्रदीप उपाध्याय
16,अंबिका भवन, उपाध्याय नगर
मेंढकी रोड, देवास, म.प्र. 455001

प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी की स्थिति-एक व्यापक विश्लेषण

अनुज पाल 'सार्थक'

भाषा केवल संवाद का साधन नहीं होती, वह समाज की आत्मा होती है। हिन्दी, जो भारतवर्ष की राजभाषा है और करोड़ों नागरिकों की अभिव्यक्ति का माध्यम, आज प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में एक विचित्र दोहरी स्थिति में खड़ी है । एक ओर सरकारी नीतियाँ इसे आगे बढ़ाने की घोषणाएँ करती हैं, दूसरी ओर व्यावहारिक धरातल पर हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है । यह लेख उस वास्तविकता का सम्यक् अन्वेषण करता है, जो संविधान की धाराओं और परीक्षा कक्षों के बीच की खाई में बसती है ।

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : हिन्दी और प्रशासनिक सत्ता

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया, किंतु अंग्रेजी की विरासत इतनी गहरी थी कि प्रशासनिक तंत्र में वह जड़ें जमाए रही । संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक हिन्दी को विशेष स्थान प्राप्त हुआ, परंतु व्यवहार में उच्च पदों पर पहुँचने का मार्ग प्रायः अंग्रेजी से होकर जाता रहा । संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम की उपस्थिति धीरे-धीरे बढ़ी । वर्ष 1979 में जहाँ केवल 11.7 प्रतिशत अभ्यर्थी हिन्दी माध्यम से परीक्षा देते थे, वहीं वर्ष 2007 तक यह संख्या 42.2 प्रतिशत तक पहुँच गई । यह एक ऐसा चरण था जब हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों में आत्मविश्वास का नया संचार हुआ था । किंतु यह उभार स्थाई नहीं रहा । वर्ष 2011 में CSAT (Civil Services Aptitude Test) की शुरुआत और वर्ष 2013 में परीक्षा प्रारूप में किए गए परिवर्तनों ने हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों के सपनों को एक बड़ा झटका दिया । वर्ष 2013 में प्रशिक्षण में शामिल हुए अधिकारियों में 202 में से 84 (लगभग 23.8%) ने UPSC की लिखित परीक्षा हिन्दी में दी थी, जबकि वर्ष 2018 में 270 में से केवल 8 (मात्र 2.2%) ने हिन्दी का चयन किया । यह गिरावट केवल संख्यात्मक नहीं थी, यह एक सांस्कृतिक और शैक्षिक संकट की ओर संकेत करती थी ।

2. वर्तमान स्थिति : नीति और नियम

आज की स्थिति यह है कि संवैधानिक और नीतिगत स्तर पर हिन्दी की उपस्थिति पहले से कहीं अधिक व्यापक है । कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जो पहले केवल हिन्दी और अंग्रेजी में परीक्षाएँ आयोजित करता था, अब 13 भारतीय भाषाओं में परीक्षाएँ संचालित करता है और भविष्य में संविधान की आठवीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में परीक्षाएँ आयोजित करने की योजना है । इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE और चिकित्सा प्रवेश परीक्षा NEET अब 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाती हैं, जिनमें हिन्दी प्रमुख स्थान पर है ।

UPSC की सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा अधिसूचना स्पष्टतः कहती है कि प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निर्धारित किए जाएंगे । अभ्यर्थी सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक प्रश्नपत्रों में आठवीं अनुसूची की किसी भी भाषा को उत्तर माध्यम के रूप में चुन सकते हैं । न्छै में हिन्दी साहित्य एक स्वतंत्र वैकल्पिक विषय के रूप में भी उपलब्ध है । राज्य लोक सेवा आयोगों UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC में तो हिन्दी का एक संपूर्ण प्रश्नपत्र अनिवार्य होता है, जहाँ अच्छे अंक प्राप्त करना चयन में निर्णायक भूमिका निभाता है ।

शिक्षण परीक्षाओं CTET, KVS राज्य TET में हिन्दी व्याकरण और शिक्षण शास्त्र (Pedagogy) का महत्त्वपूर्ण भाग होता है । पुलिस भर्ती, पटवारी, RO/ARO जैसी एकदिवसीय परीक्षाओं में हिन्दी के बिना सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती । SSC GD 2025 की विश्लेषण रिपोर्टों में उल्लेख मिलता है कि हिन्दी/अंग्रेजी भाषा खंड समग्र प्रश्नपत्र का सबसे सरल भाग रहा, जिसमें अधिकतर अभ्यर्थियों ने 18-19 प्रश्न सही किए ।

3. चुनौतियाँ : नीति और यथार्थ के बीच की खाई

हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी पीड़ा उन्हीं के शब्दों में समझी जा सकती है । एक UPSC अभ्यर्थी का कहना है कि 'अंकन योजना में अंग्रेजी माध्यम का पक्ष लिया जाता प्रतीत होता है और सफल अभ्यर्थियों में हिन्दी माध्यम की उपस्थिति नगण्य है ।' एक अन्य अभ्यर्थी ने बताया कि उसने हिन्दी माध्यम में तैयारी शुरू की, किंतु 'गलत अनुवादों वाली पुस्तकों और चर्चा के लिए साथियों के अभाव' में उसे अंग्रेजी की ओर रुख करना पड़ा।

इन चुनौतियों को हम मुख्यतः चार श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं :

(क) अनुवाद की त्रुटियाँ : न्छै जैसी परीक्षाओं में अंग्रेजी के प्रश्नों का हिन्दी अनुवाद प्रायः जटिल, अस्पष्ट और कभी-कभी भ्रामक होता है । यह स्थिति उन अभ्यर्थियों को दोहरे संकट में डालती है जो केवल हिन्दी माध्यम में पढ़े हैं ।

(ख) अध्ययन सामग्री का अभाव : विज्ञान, अर्थशास्त्र, प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे विषयों में गुणवत्तापूर्ण हिन्दी पुस्तकें और कोचिंग सामग्री अत्यंत सीमित हैं । वर्ष 2025 के एक अकादमिक अध्ययन ने पुष्टि की कि हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थी सबसे बड़ी बाधा के रूप में 'क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री की कमी' को इंगित करते हैं ।

(ग) अंग्रेजी का वर्चस्व : बैंकिंग परीक्षाओं (IBPS, SBI) में अंग्रेजी भाषा का अनुभाग अलग से होता है । कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों के अनुसार हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए 'अंग्रेजी सबसे कठिन अखरोट है' क्योंकि GK और हिन्दी को छोड़कर लगभग प्रत्येक अनुभाग में अंग्रेजी का प्रभुत्व होता है ।

(घ) परीक्षा संरचना का पक्षपात : CSAT की शुरुआत के बाद परीक्षा विश्लेषकों ने माना कि इस सुधार ने 'हिन्दी माध्यम विद्यालयों के छात्रों के लिए स्थान को सीमित कर दिया।' तकनीकी शब्दावली, गणितीय अनुप्रयोग और अमूर्त तर्कशक्ति के प्रश्न उन अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से कठिन होते हैं जिनकी शिक्षा हिन्दी माध्यम के सरकारी विद्यालयों में हुई हो ।

4. सफलता की कहानियाँ : हिन्दी माध्यम के सितारे

चुनौतियों के बावजूद हिन्दी माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों की कमी नहीं है । ऐसे कई अधिकारी हैं जिन्होंने सिद्ध किया कि हिन्दी माध्यम से न केवल परीक्षा उत्तीर्ण की जा सकती है, बल्कि शीर्ष स्थान भी प्राप्त किए जा सकते हैं । ये सफलताएँ इस मिथक को तोड़ती हैं कि केवल अंग्रेजी माध्यम से ही प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश संभव है । ऐसे अधिकारियों का अनुभव बताता है कि मातृभाषा में विचारों की अभिव्यक्ति अधिक सटीक, प्रवाहमय और प्रभावशाली होती है । विशेषकर साक्षात्कार के चरण में जहाँ व्यक्तित्व का समग्र मूल्यांकन होता है ।

राज्य सेवाओं में हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है । उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार की राज्य सेवाओं में हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थी न केवल भाग लेते हैं, बल्कि प्राय: उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करते हैं । यहाँ पाठ्यक्रम और परीक्षा संरचना हिन्दी माध्यम के प्रति अधिक संवेदनशील है ।

5. हिन्दी व्याकरण का विशेष महत्त्व : 'सहज हिन्दी' का भ्रम

अनेक अभ्यर्थी यह समझकर भ्रम में पड़ जाते हैं कि हिन्दी उनकी मातृभाषा है, इसलिए इसकी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं । यह धारणा घातक सिद्ध होती है । प्रतियोगी परीक्षाओं में 'शुद्ध व्याकरण सम्मत हिन्दी' की माँग बोलचाल की सामान्य हिन्दी से सर्वथा भिन्न होती है । संधि और विच्छेद, समास, अलंकार, रस, छंद, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये सभी क्षेत्र अभ्यर्थियों का पसीना बहाते हैं ।

UPSC में हिन्दी साहित्य एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने वाले अभ्यर्थियों को आदिकाल से लेकर समकालीन साहित्य तक की गहन जानकारी रखनी होती है । वैदिक साहित्य, अपभ्रंश, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक गद्य-पद्य, इन सभी का समुचित अध्ययन बिना समर्पण के संभव नहीं । CTET और KVS जैसी परीक्षाओं में हिन्दी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न भाषा अर्जन के सिद्धांतों, पठन-पाठन की विधियों और भाषाई मूल्यांकन से संबंधित होते हैं, जो स्नातक स्तर के गहन ज्ञान की माँग करते हैं ।

6. भाषा, रोजगार और अवसर : नीतिगत दृष्टिकोण

भाषा नीति के संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण सत्य यह है कि किसी भी भाषा का विकास तब तक स्थाई नहीं होता जब तक वह रोजगार से नहीं जुड़ती । वर्ष 2025 की एक रिपोर्ट में एक मंत्री के उद्धरण को उद्धृत किया गया है जिसमें कहा गया कि, "सेवा क्षेत्र की भर्ती में अंग्रेजी और हिन्दी दोनों का कार्यसाधक ज्ञान उत्तरोत्तर लाभकारी माना जा रहा है" और "कोई भी भाषा तब तक टिकाऊ विकास नहीं कर सकती, जब तक वह रोजगार से नहीं जुड़ती ।"

इस दृष्टि से सरकार का यह प्रयास सराहनीय है कि परीक्षाओं में बहुभाषी विकल्प उपलब्ध कराए जाएँ । किंतु केवल विकल्प देना पर्याप्त नहीं, उन विकल्पों के साथ समान सुविधाएँ, समान स्तर की सामग्री और समान मूल्यांकन मानदंड भी होने चाहिए। उत्तर-पूर्व भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह और भी महत्त्वपूर्ण है जहाँ ATAL जैसी AI आधारित परियोजनाएँ क्षेत्रीय भाषाओं और हिन्दी के सेतु का कार्य कर रही हैं ।

7. समाधान और सुझाव : आगे का मार्ग

हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों की स्थिति में सुधार के लिए बहु-स्तरीय प्रयासों की आवश्यकता है :

(क) गुणवत्तापूर्ण हिन्दी अध्ययन सामग्री का निर्माण : सभी विषयों, विशेषकर तकनीकी और विज्ञान में मानक हिन्दी पाठ्यपुस्तकें, कोचिंग नोट्स और व्याख्यान उपलब्ध कराए जाएँ । यह वह आवश्यकता है जिसे अभ्यर्थी और शोधकर्ता दोनों सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हैं ।

(ख) सटीक और प्रामाणिक अनुवाद : परीक्षा प्रश्नपत्रों के हिन्दी अनुवाद विशेषज्ञ भाषाविदों द्वारा किए जाएँ, न कि यांत्रिक सॉफ्टवेयर द्वारा । अनुवाद में त्रुटियाँ अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करती हैं । मूल्यांकनकर्ताओं को भी हिन्दी माध्यम के उत्तरों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ।

(ग) डिजिटल शिक्षण संसाधनों का विस्तार % AI और प्रौद्योगिकी के इस युग में हिन्दी में ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वीडियो व्याख्यान और अभ्यास प्रश्न उपलब्ध कराना न केवल संभव है, बल्कि आवश्यक भी है । ATAL AI जैसी परियोजनाएँ इस दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं ।

(घ) परिणामों की नियमित निगरानी : परीक्षा अधिकारियों को भाषा माध्यम के आधार पर प्रदर्शन डेटा का संकलन और विश्लेषण नियमित रूप से करना चाहिए । यदि हिन्दी माध्यम में असमानता बनी रहे, तो अंकन योजना में उचित समायोजन पर विचार किया जाए ।

(ङ) हिन्दी को रोजगार से जोड़ना : सिविल सेवाओं और तकनीकी शिक्षा में हिन्दी के उपयोग को प्रोत्साहन देने से इसका मूल्य स्वत: बढ़ेगा । पदस्थापना और पदोन्नति में हिन्दी दक्षता को पुरस्कृत करने की नीति इस दिशा में सहायक होगी ।

निष्कर्ष: प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी की स्थिति एक जटिल और विरोधाभासी चित्र प्रस्तुत करती है। नीतिगत स्तर पर हिन्दी को आधिकारिक मान्यता, बहुभाषी विकल्प और संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।

शेष पृष्ठ संख्या 35 पर

भूमंडलीकरण और बोली का अस्तित्व संकट

(गढ़वाली बोली के संदर्भ में)

सरोजिनी नौटियाल

भाषा केवल हमारी जरूरत ही नहीं है, हमारी पहचान भी है। यह हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति है । हमारे जीवन व्यवहार के हर पक्ष में इसका दखल है । हमारा इतिहास, हमारा भूगोल, हमारा पर्यावरण, हमारी पृष्ठभूमि, हमारी संस्कृति, हमारा व्यक्तित्व... जाने क्या-क्या समाहित होता है हमारी भाषा-बोली में, हमारे लहजे में । भाषा वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, अर्थ ख़ इन पाँच तत्वों की व्याकरणीय संरचना भर नहीं होती । लोक-जीवन, लोक-दृष्टि, लोक-दर्शन, लोक-कला, लोक स्मृति, लोक अनुभव हमारे मुहावरों, कहावतों, लोकगाथाओं, लोकगीतों, सूक्तियों, निपातों जैसी भाषिक अभिव्यक्तियों में व्यक्त होते हैं, संरक्षित रहते हैं और पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित होते हैं । इसीलिए भाषा को सामाजिक सम्पदा कहते हैं । यह मानव सभ्यता और संस्कृति का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटक है।

भारत बहुभाषिक देश है । बोलने और समझने वालों की संख्या के आधार पर हिन्दी को देश की राजभाषा का दर्जा मिला है । चूँकि हिन्दी एक बड़े भू-भाग की भाषा है, स्वाभाविक है इसके कई परिवर्तों ने आकार ले लिया है । यह सत्रह बोलियों का समुच्चय है जिनमें इसकी पहाड़ी बोलियों ख़ गढ़वाली, कुमायूँनी और जौनसारी के मध्य गढ़वाली उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की बोली है । भाषिक दृष्टिकोण से यद्यपि गढ़वाली हिन्दी की ही एक शैली है तथापि इसका अपना रस है, स्वाद है और अपना वायुमंडल है । जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मैक्समूलर जैसे पाश्चात्य विद्वानों से लेकर डॉ. गोविंद चातक, अबोध बन्धु बहुगुणा, मास्टर जयलाल वर्मा, कुँवर सिंह नेगी 'कर्मठ', डॉ. अचलानंद जखमोला, भगवती प्रसाद नौटियाल, भीष्म कुकरेती जैसे शोधार्थियों और चिंतकों ने गढ़वाली के उद्भव और विकास पर प्रकाश डाला है । गढ़वाली में साहित्य की विभिन्न विधाओं पर साहित्य सर्जना कर इसे लोकप्रिय बनाया है। विद्वानों ने अथक परिश्रम से गढ़वाली के शब्दकोशों का निर्माण किया है । अखिल गढ़वाल सभा जैसी संस्थाएँ भी गढ़वाली बोली और संस्कृति के संरक्षण कार्य में प्रयत्नशील रहती हैं । लेकिन, गढ़वाली कहीं शोध का विषय बन कर ही न रह जाए अथवा केवल लोकगीतों पर इसके अस्तित्व की जिम्मेदारी न डाल दी जाए ख़ यह आज एक ज्वलन्त विमर्श बन गया है । यह जीवित भाषा बनी रहे । इसके शब्द केवल कोश में बंद न रह जाएँ । आम बोलचाल में व्यवहृत हो अपना रंग और अपनी खुशबू बिखेरते रहें - इसके लिए जरूरी है कि जिनकी यह प्रथम भाषा है, वे इसे सही सलामत अपनी अगली पीढ़ी को सौंपना सुनिश्चित करें । कोई भी भाषा या बोली जब तक जनभाषा रहती है, तभी तक वह अस्तित्वमान रहती है ।

स्कन्दपुराण में मध्य हिमालय में स्थित गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड और कुमायूँ क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है । केदारखंड में आज के उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के सात जनपदों का क्षेत्र आता है । इन्हीं सात जनपदों में व्यवहृत होने वाली भाषा गढ़वाली है । हिन्दी और गढ़वाली दोनों आर्यभाषा परिवार की हैं और अन्य भारतीय भाषाओं की भाँति संस्कृत से जन्मी हैं । गढ़वाली और हिन्दी के विकास क्रम में समानता है । लगभग एक हजार साल का इतिहास है दोनों का । ऐतिहासिक कारणों से दोनों में संस्कृत के शब्दों के अतिरिक्त ढेरों अरबी-फारसी के शब्द भी हैं । यही नहीं, गढ़वाली में पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगला आदि कई भाषाओं के भी शब्द शामिल हैं । एक बात ध्यान देने योग्य है कि हिन्दी की एक बोली होने का यह अर्थ नहीं है कि गढ़वाली कोई दोयम दर्जे की भाषा है । यह किसी गठजोड़ से बनी भाषा नहीं है । इसका अपना स्वतन्त्र विकास क्रम है। 11-12वीं सदी से गढ़वाली हिमालय के इस क्षेत्र की एक जीवंत लोकभाषा और राजभाषा रही है । इसका अपना साहित्य है । अपनी अकूत शब्दसम्पदा से यह हिन्दी को समृद्ध बनाने का सामर्थ्य रखती है । बस, हिन्दी की तुलना में बहुत सीमित क्षेत्र होने के कारण और खड़ी बोली के क्षेत्र कुरु जनपद के समीप होने के कारण यह सहजता से हिन्दी की व्यापकता में एक बोली के रूप में समाहित हो गई है । ग्रियर्सन और सुनीति कुमार चटर्जी जैसे भाषा अन्वेषकों ने गढ़वाली को हिन्दी की ही एक बोली माना है ।

लिपि की दृष्टि से गढ़वाली-हिन्दी में कोई अंतर नहीं है । दोनों की लिपि देवनागरी है । लेकिन वाक्य गठन और शब्द सामर्थ्य की दृष्टि से गढ़वाली हिन्दी से भिन्नता रखती है । हिन्दी में जहाँ विभक्ति संज्ञा और सर्वनाम पदों में अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, जैसे मोहन ने, उसने में 'ने', वहाँ गढ़वाली में विभक्ति संज्ञा व सर्वनाम पदों से मिल जाती है । जैसे मोहनन, वेन । कहने का तात्पर्य यह है कि इस मामले में गढ़वाली संस्कृत के अधिक निकट है । यही नहीं, वेन, तेन, कैन- गढ़वाली में ये पद तो जैसे हुबहू संस्कृत के ही हैं । इसके अतिरिक्त वैदिक संस्कृत के कुछ शब्द जैसे षष्ठी के लिए खष्टी, वर्षपूजा के लिए बर्खपूजा गढ़वाली में आम बोलचाल में व्यवहृत होते हैं । गढ़वाली का गोठ संस्कृत के गोष्ठ से रूपान्तरित हुआ है । यही कारण है कि जर्मन विद्वान व भाषाविद् मैक्समूलर ने गढ़वाली को संस्कृत के ही एक अपभ्रंश रूप प्राकृत का परिवर्त कहा है । शब्द सामर्थ्य में तो गढ़वाली हिन्दी से आगे है । हर गंध-अवस्था के लिए एक विशिष्ट शब्द का होना गढ़वाली की शब्द सम्पदा को लेकर अभिभूत करता है । कभी-कभी जिस बात को हिन्दी के दो-तीन वाक्यों में भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया जा सकता, उसे गढ़वाली का मात्र एक शब्द बयाँ कर देता है जैसे, पिपराण (सरसों के तेल के गर्म होने पर आँख-नाक में होने वाली

जलन), कबलाहट (तबीयत खराब होने से जी खराब होने जैसा कुछ), बाछी (गाय की बच्ची), कलौड़ी (जवान होती बछिया, किशोरी), गौड़ी (पूर्ण वयस्क गाय), इसी क्रम में बकरी की तीन अवस्थाएँ-चेनखी, पठोली और बाखरी ख़ हैं। गढ़वाली के पास ऐसे शब्दों की भी अच्छी-खासी संख्या है जिनका हिन्दी में समानार्थी मिलना कठिन हो जाता है, जैसे भकोरना (डाल से तोड़ कर फल को बिना चाकू से काटे साबुत सीधे दाँतों से जल्दी-जल्दी खाना)। ऐसा ही एक शब्द है ख़ लंठ। लंठ माने सरल, उदासीन, किसी से कोई सरोकार न रखने वाला पुरुष। संदर्भानुसार वह शरीफ या बदमाश हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ वर्णों की ध्वनि को लेकर भी भिन्नता है। जैसे ल। हिन्दी में ल दन्त्य है यानी ल के उच्चारण में जिह्वा दाँत का स्पर्श करती है, जबकि गढ़वाली में ल केवल दन्त्य नहीं है। यह मूर्धन्य भी है। उदाहरणार्थ भोल - भोळ (आने वाला कल), ब्यालि- ब्याळि (बीता हुआ कल), गढ़वळि। कहने का तात्पर्य यह है कि हर बोली की अपनी कुछ ऐसी विशिष्टताएँ होती हैं जो उसको स्वायत्तता प्रदान करती है।

स्थान बदलने से हर भाषा में बदलाव आ जाता है। गढ़वाल भौगोलिक दृष्टि से बहुत विषम और सुगम-दुर्गम में विभक्त है। स्वाभाविक है कि हिन्दी की तरह गढ़वाली की भी कई उपबोलियाँ प्रचलन में हैं; जैसे श्रीनगर्या, टिरियाली, नागपुर्या, रवाँल्टी, जोहारी, जौनपुरी, गंगपरिया, टकनौरी, बंगाणी, दशौल्या, बधाणी, सलाणी, चौंदकोटी, लोब्या, राठी, माझ कुमय्या, मार्छा-तोल्छा आदि। व्यापक अर्थों में जौनसारी को भी गढ़वाली की उपबोली माना जाता है। ग्रियर्सन ने इसे पश्चिमी पहाड़ी बोली कहा है। दरअसल भाषा का साम्राज्य बहुत विराट होता है। हर उपबोली की अपनी एक विशिष्ट पृष्ठभूमि होती है, सामाजिकी होती है, भूगोल होता है।

किसी एक शैली या उपबोली के अधिक मान्यता प्राप्त होने के पीछे अनेकानेक ऐतिहासिक और सामाजिक कारकों की भूमिका रहती है। हिन्दी की सत्रह बोलियों, जिनमें अवधी और ब्रजभाषा जैसी साहित्यसिद्ध बोलियाँ भी हैं, में खड़ी बोली को मानक भाषा का दर्जा मिला। लिहाजा यही शासन, शिक्षा, संचार, पत्रकारिता और अदालत की भाषा है।

आमतौर पर राजधानी के आसपास के भाषा रूप को ही मानक भाषा का दर्जा प्राप्त होता है। बदरीनाथ धाम मार्ग पर स्थित प्राचीन नगरी श्रीनगर क्षेत्र लंबे समय तक गढ़राज्य की राजधानी रहा है। फिर ब्रिटिश भारत का हिस्सा हो गया था। शैक्षिक और सांस्कृतिक - दोनों दृष्टियों से अपेक्षाकृत अधिक प्रगतिशील होने के कारण इस क्षेत्र की बोली को गढ़वाल की प्रतिनिधि बोली बनने का स्वाभाविक अवसर मिल गया। गढ़वाली की एक बहुत बड़ी ताकत है उसकी कहावतें। गढ़वाली में इनको औखाणा-पखाणा कहते हैं। कहावतों से गढ़वाली का कोश भरा पड़ा है। प्रसंग की उद्भावना के अनुरूप वाक्य में प्रयुक्त होकर ये पखाणे भाषा में चमत्कार उत्पन्न करते हैं।

कहावतों में हमारे जीवन अनुभव के सूत्र गुँथे रहते हैं। हमारी परंपराएँ, मान्यताएँ, परिवेश, अनुभव, ज्ञान ख़ सब मिल कर लोकोक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। अंग्रेज विद्वान और दार्शनिक फ्रांसिस बेकन ने कहावतों को किसी समाज विशेष के वासियों की प्रतिभा, विदग्धता और अन्तरात्मा का दर्शन बताया है। लोकोक्तियाँ यानी कहावतें भाषा में चमत्कार उत्पन्न करती हैं।

संस्कृत के प्रतिष्ठित वैयाकरण पाणिनि पूर्व यास्क ने भाषा के चार भेद बताए थे ख़ नाम (संज्ञा), आख्यात (क्रिया), उपसर्ग (धातु पूर्व लगने वाले शब्दांश) और निपात (स्वतन्त्र अव्यय)। निपात के अन्तर्गत उपमावाचक पदों और संयोजकों (और या आदि) के अतिरिक्त पादपूरक भी होते हैं। पादपूरक का अपना स्वतन्त्र अर्थ न होते हुए भी ये वाक्य में प्रयुक्त होकर भाषा में विशेष अर्थव्यंजना करते हैं। गढ़वाली में ऐसे पादपूरकों का बाहुल्य है। भाषा की अनेक प्रयोजनमूलक प्रयुक्तियाँ होती हैं। बोलचाल की भाषा से लेकर शासन, शिक्षा, चिकित्सा, कानून, बाजार, साहित्य, यातायात तक कई क्षेत्रों में इसका विस्तार होता है। हर क्षेत्र में इनकी अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है। बोलियाँ इतनी सक्षम नहीं होतीं। ये मुख्यतः बोलचाल की ही रह जाती हैं।

शासन, शिक्षा, अदालत, व्यापार जैसी भाषिक प्रयुक्तियों के लिए तटस्थ, ठोस व्याकरणीय संरचना वाली एक सर्वस्वीकृत भाषा की आवश्यकता होती है, जो हमारे परिदृश्य में हिन्दी है। हिन्दी को विभिन्न क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया है। गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में हिन्दी के परिवर्धन का निरन्तर कार्य होता रहता है। जहाँ तक इस परिप्रेक्ष्य में गढ़वाली की बात है, तो यह हिन्दी की एक सहायक बोली है। इसके व्यवहारकर्ता एक साथ गढ़वाली और हिन्दी का प्रयोग करते हैं। सामर्थ्य और विस्तार को लेकर इसकी सीमाएँ हैं। बोली का स्वरूप मुख्यतः मौखिक होता है। यही कारण है कि गढ़वाल क्षेत्र के रचनाकारों ने अपना अधिकांश लेखन हिन्दी में किया है। गढ़वाली के साथ-साथ हिन्दी भी यहाँ की स्वाभाविक भाषा है। बोलियों का स्वभाव होता है कि व्याकरण के झंझटों से मुक्त होते हुए वह दूसरी भाषाओं के शब्दों को शीघ्रता से अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी चाल में ढाल लेती है। लेकिन सुनिश्चित व्याकरण के अभाव में बोली में बेलगाम देशज शब्दों का प्रवाह अधिक है। उनमें एकरूपता नहीं है। इस संबंध में टिहरी राजपरिवार के कैप्टेन शूरवीर सिंह, जो गढ़वाली भाषा और साहित्य के अन्वेषक-चिंतक और महान पुस्तक प्रेमी रहे, की इन पंक्तियों पर गौर करना होगा- 'कोई भी बोली तब तक भाषा एवं साहित्य का रूप नहीं ले सकती जब तक उसका अपना शब्दकोश और व्याकरण न हो। इसके अभाव में वह बोली आदम अवस्था में ही रहती है और पनप नहीं पाती। यही प्रबल बाधा हमारी गढ़वाली भाषा के साथ है।'

लेकिन आज गढ़वाली की जो प्रमुख चिंता या कमजोरी गढ़वाली चिंतकों को भयभीत कर रही है, वह है गढ़वाली भाषियों के द्वारा अपनी बोली की घोर उपेक्षा । भूमंडलीकरण के पहले से ही पलायन की समस्या से उत्तराखंड जूझ रहा है । राज्य गठन के उपरांत तो इतनी बदहवासी आ गई है कि सारा पहाड़ उतर कर देहरादून और हल्द्वानी में बसने को आतुर हो उठा है । राज्य की संकल्पना में मजबूत साधन-सम्पन्न, आत्मनिर्भर गाँव और आधुनिक कृषि व्यवस्था की जो बात थी, उसका दूर-दूर तक पता नहीं है । गाँव खाली, खेत बंजर, बंदरों का आतंक, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को खतरा, नीचे मैदानों में जनसंख्या की मारामारी- यह है आज का उत्तराखंड, जबकि अपनी बोली में हमारा मौलिक स्वरूप झलकता है ।

यातायात और संचार के साधनों में आशातीत वृद्धि होने से संस्कृतियों का परस्पर विलयन हो रहा है । हम उपबोलियों से एक भाषा - भूमंडल की भाषा की ओर बढ़ रहे हैं । फलस्वरूप उपबोलियों के अस्तित्व पर बात आ गई है । अब तो राष्ट्रीय भाषाओं को भी चुनौती मिलने लगी है । हिन्दी की कितनी पत्रिकाओं को बंद होना पड़ा । समकालीन रचनाकारों के नामों से आज की युवा पीढ़ी परिचित तक नहीं हैं । राज्य की तरफ से कुछ पुरस्कारों की व्यवस्था होना या स्कूली पाठ्यक्रम में स्थानीय बोलियों के कुछ छुटपुट गीत-कविता लगाना पर्याप्त नहीं है गढ़वाली को बचाने के लिए । इसका आयाम बढ़ना चाहिए जैसे सूचनापटों में हिन्दी, अंग्रेजी के साथ गढ़वाली में भी सूचना हो । किसी भाषा या बोली को उसके बोलने वाले जीवित रखते हैं । सरकार के संरक्षण का महत्त्व है । लेकिन भाषा अपने समाज में विकसित होती है, व्यवहृत होती है और संरक्षित रहती है । लोकजिह्वा से वियुक्त होने पर कोई भी भाषा केवल शोध का विषय रह जाती है । मालचंद रमोला, भक्त दर्शन, भजन सिंह, महावीर प्रसाद गैरोला, महन्त नौटियाल, सत्यशरण, रतूड़ी, धर्मानंद उनियाल, शूरवीर सिंह रावत, मोहन लाल नेगी, कुँवर सिंह कर्मठ, वीणापाणि जोशी, अचलानंद जखमोला, हरिदत्त शैलेश, नरेन्द्र सिंह कठैत, त्रिभुवन उनियाल जैसे विद्वानों, गढ़वाली चिंतकों और साहित्यकारों तथा 'गढ़ जागर' व 'रंत-रैबार' जैसे समाचार-पत्रों के नामों से परिचित तक नहीं है गढ़वाल की वर्तमान पीढ़ी । हमें स्मरण रखना होगा कि भाषाएँ न तो एकाएक जन्म लेती हैं और न यकाएक मरती हैं । अभी भी हम अपनी खूबसूरत, प्राणवान बोलियों को बचा सकते हैं एक धरोहर की तरह अगली पीढी को सौंप कर । बोली हमें अपनी जड़ों से विच्छिन्न नहीं होने देती । इस संबंध में आज के प्रसिद्ध कवि और चिंतक अष्टभुजा शुक्ल की इस उक्ति- "हम जैसे-जैसे बोलियों को त्यागते जा रहे हैं, जीवन में कृत्रिमता बढ़ती जा रही है" पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

संदर्भ / आधार पुस्तकें

1. भारतीय समकालीन साहित्य (सित.-अक्तू 2019); संपादक- चंद्रशेखर कंबार; प्रकाशक- साहित्य अकादमी, नई दिल्ली ।

2. भाषा-विज्ञान का रसायन; लेखक- डॉ. कैलाश नाथ पाण्डेय; प्रकाशक- गाजीपुर साहित्य-संसद, गाजीपुर (उ.प्र.) ।

3. राजभाषा भारती (स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, जनवरी 2000) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ।

4. हिन्दी भाषा की संरचना (2011); लेखक- डॉ. भोलानाथ तिवारी; प्रकाशक- वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली ।

5. बाजूबंद; लेखक- मालचंद रमोला ।

6. गढ़वाल का इतिहास; लेखक- हरिकृष्ण रतूड़ी ।

-सरोजिनी नौटियाल
176, आराघर, देहरादून-248001

पृष्ठ संख्या 32 का शेष

किंतु यथार्थ के धरातल पर हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थी अपर्याप्त संसाधनों, त्रुटिपूर्ण अनुवादों और अंग्रेजी के अप्रत्यक्ष वर्चस्व से जूझते रहते हैं । हिन्दी का भविष्य केवल सरकारी घोषणाओं पर नहीं, बल्कि उन ठोस कदमों पर निर्भर करता है जो अभ्यर्थियों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकें । जब ग्रामीण क्षेत्रों का एक अभ्यर्थी हिन्दी माध्यम में पढ़कर UPSC की सूची में अपना नाम दर्ज करा सके, जब तकनीकी विषयों की पाठ्यपुस्तकें हिन्दी में उसी गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हों जैसी अंग्रेजी में होती हैं और जब हिन्दी जानना कैरियर में एक वास्तविक लाभ बने, तब हम कह सकेंगे कि हिन्दी को उसका वास्तविक स्थान मिल गया ।

भाषा केवल शब्दों का समुच्चय नहीं होती । वह एक समाज का स्वाभिमान, एक पीढ़ी का संघर्ष और एक राष्ट्र की पहचान होती है। हिन्दी को प्रतियोगी परीक्षाओं में वह सम्मान दिलाना जिसकी वह हकदार है, यह केवल भाषाई न्याय का प्रश्न नहीं, यह सामाजिक समता और लोकतांत्रिक अवसरों के समान वितरण का प्रश्न है ।

-अनुज पाल 'सार्थक'
ग्राम-आटा, पोस्ट-मौलागढ़
तहसील-चंदौसी, जिला-संभल (उ.प्र.)-244412

विलुप्त होती मातृभाषाएँ

दिनेश प्रताप सिंह 'चित्रेश'

21 फरवरी की तारीख अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मान्य है । जब मातृभाषा की बात की जाती है, तो मुख्य भाषाओं के अलावा उनकी उपभाषाएँ और तमाम बोलियाँ भी केंद्र में रहती हैं । इनमें कई बोलियाँ बहुत छोटे समूह, जाति और समुदाय के बीच बोली जाती हैं । हमारे यहाँ संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएँ सिर्फ 22 हैं, किन्तु मूलत: यह सैकड़ों की संख्या में हैं । सन् 1961 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में बोली जाने वाली कुल भाषाएँ 1652 थीं, जबकि सन् 1991 की जनगणना में इन बोलयों की संख्या घटकर 1576 ही रह गई । यानी तीस साल के अन्दर 76 मातृभाषाएँ समाप्त हो गई ।

पिछली सदी में मातृभाषाओं का तेजी से लुप्त होना, एक वैश्विक समस्या के रूप में भाषाविदों का ध्यान आकर्षित किया था। इसलिए बहुभाषिता और सांस्कृतिक विविधिता के संरक्षण के लिए 17 नवम्बर, 1999 को यूएनओ की महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर 21 फरवरी को 'मातृभाषा दिवस' घोषित किया था, तब से प्रत्येक वर्ष यूनेस्को के तत्वावधान में नई-नई थीम के साथ इसका आयोजन होता है । यूनेस्को समय-समय पर 'एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर' जारी करता है । इसके अलावा भाषाओं की निगरानी, अभिलेखीकरण और पुनरुद्धार के लिए नीतिगत और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराता है । हालिया जारी एटलस के अनुसार, विश्व की 576 भाषाओं पर विलुप्ति का खतरा है । इनमें सर्वाधिक 197 संकटग्रस्त बोलियाँ भारत की हैं, जो दुनिया में किसी भी देश से अधिक हैं ।

सन् 2013 में बड़ोदरा के एनजीओ 'लैंग्वेज रिसर्च एण्ड पब्लिकेशन सेंटर' ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की थी । रिपोर्ट की यह जानकारी अत्यंत खेदजनक है कि पिछले पचास साल के बीच करीब 250 भाषाएँ अपना अस्तित्व खो चुकी हैं । समय रहते प्रयास किया जाता तो इनमें से कुछ भाषाएँ बचाई जा सकती थीं । भाषाओं को बचाया जाना महज इसलिए जरूरी नहीं है कि उससे भावात्मक लगाव होता है, बल्कि एक क्षेत्र विशेष की भाषा का जन संवेदना से जो सम्बन्ध होता है, वह किसी अन्य भाषा से नहीं हो सकता है । भाषा में अपने क्षेत्र की पूरी संस्कृति और ज्ञान सम्पदा होती है । एक मायने में देश में बोली जाने वाली भाषाएँ उस देश की संपत्ति होती हैं । जैसे जैव विविधता का महत्त्व अब समझा जाने लगा है, ठीक उसी स्तर पर भाषाई विविधता को समझ जाना चाहिए । एक जीव का गुम होना प्रकृति के पूरे इको सिस्टम के समक्ष संकट पैदा कर देता है, वनस्पति की कोई प्रजाति किसी नई दवा का निमित्त बन सकती है । वैसे ही छोटे-से-छोटे जन समुदाय के बीच प्रचलित भाषा के लोकगीत, मुहावरा, कहावत, कहकूत, लोकवैद्यों के निघंटु में उपस्थित ज्ञान या अवधारणा सम्पूर्ण मानव जाति के लिए हितकर हो सकती है । घाघ, भडडरी, डंक, घाघिनी, वैद्य कविराज के लोकसाहित्य में मौसम विज्ञान, ऋतु जैविकी, स्वास्थ्य, वाणिज्य, लोक व्यवहार और पशु की विशेषताओं सम्बन्धी ज्ञान का अकूत खजाना इसका प्रमाण है ।

आज की तारीख में भाषा सूचना प्रद्योगिकी की बुनियाद है। यही भविष्य की टेक्नोलॉजी है, इसलिए भाषा को आर्थिक पूंजी या संपदा की तरह देखा जाना चाहिए । आज संचार माध्यमों ने हमें 'ग्लोबल विलेज' की अवधारणा के बीच ला खड़ा किया है । इस सिलसिले में तमाम भाषिक समीकरण गड़बड़ाते जा रहे हैं । खासकर जो भाषा छोटे समुदाय में बोली जाती है, उसके समक्ष विलोपन की बड़ी चुनौती है । सभी लोगों को अपनी मातृभाषा के लिए संवेदनशील होना होगा । वास्तव में मातृभाषा ही है, जिसमें हम सूक्ष्म अनुभूतियों की यथावत अभिव्यक्ति कर सकते हैं ।

अब यह बात समझ में आ चुकी है कि भाषा की विविधता मानव विरासत के लिए आवश्यक है । भाषाओं का वैविध्य और सांस्कृतिक स्मृति का बचा रहना, आने वाले कल के लिए जरूरी है । इस संदर्भ में कुछ समय पहले केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, भारत सरकार लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण के लिए 'स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एण्ड प्रिजर्वेशन ऑफ एनडैंजर्ड लैंग्वेजेज' का संचालन कर रही है । जिसके अंतर्गत मातृभाषाओं का अस्तित्व सुरक्षित रखने के लिए यूजीसी के तत्वावधान में विशेष अकादमियों का गठन विचाराधीन है । भाषा केन्द्र बड़ौदा (यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत) गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिसा, बंगाल की कई लुप्त होती भाषाओं-बोलियों के दस्तावेजीकरण पर काम कर रहा है । 'अंजास' जैसी स्वयंसेवी संस्था भी डिजिटल माध्यम से भाषाओं और संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास कर रही है ।

पूर्वोत्तर के राज्यों असम, मेघालय, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा में छोटे समूहों में प्रचलित 130 भाषाओं के अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं । हिमाचल प्रदेश की पंगवाली, भोटी और मंचद अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं । उत्तराखंड की जाड़, रवांल्टी और जौनसारी बोलने वाले लगातार कम हो रहे हैं । गढ़वाली और कुमायुंनी के गिरते जनाधार से चिंतित उत्तराखंड की सरकार इन्हें भी दूसरी राजभाषा का दर्जा देने का विचार कर रही है । अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ग्यारह स्थानीय भाषाएँ और बोलियाँ भी खतरे में हैं । जम्मू-कश्मीर की सिराजी, पोंगली, पडरी के जानकार नगण्य हैं । केरल की मधिका, पनिया और कर्नाटक की हक्की-पिक्की, सिद्दी जैसी बोलियाँ चलन से बाहर हो चुकी है। उत्तर भारत में थाली, घाटी, धरावाड़ी, धुँधारी (राजस्थान); पोठवारी, सरायकी, हिंदकों (पंजाब); राठौरी, मलहम,

अहीरी (उत्तर प्रदेश); थारू, सूरजापुरी (बिहार) यूनेस्को की अति गम्भीर खतरे वाली सूची में हैं । छत्तीसगढ़ की गोंडी, हल्वी, तुरी और विलोर के संरक्षण के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, विलासपुर इनका दस्तावेजीकरण कर रही है ।

भाषाविदों के अनुसार, भाषाओं की विलुप्ति एक स्वभाविक प्रक्रिया है । भाषाई विविधता पिछड़े समाज की निशानी है । उन्नत समाज में भाषाएँ कम ही रहती हैं । किन्तु इसे तभी स्वीकार करना संभव है, जब हम भाषा को केवल सम्प्रेषण का यांत्रिक माध्यम मानें । मगर यह पूर्ण सत्य नहीं है । भाषा केवल अभिव्यक्त नहीं करती, बल्कि वह रचती और सहेजती भी है । क्षेत्रीय भाषाएँ उस क्षेत्र की संस्कृति और पर्यावरण से जुड़ने का माध्यम होती हैं । उसके बिना लोग अपनी ही जमीन पर अजनबी बनकर रह जाते हैं । इसलिए हर भाषा महत्त्वपूर्ण है और उसे बचा भी रहना चाहिए । इस दृष्टि से देश की वे भाषाएँ जिनके बोलने वाले केवल दस हजार तक सीमित हो चुके हैं, उनके संरक्षण और संवर्द्धन के लिए 'सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज, मैसूर शब्दकोश का संचयन कर रहा है ।

भाषाओं के खत्म होने की वजहें बहुत स्पष्ट हैं । बड़ा कारण आर्थिक होता है । ग्रामीण क्षेत्रों से लोग काम की तलाश में शहरों और दूसरे प्रदेशों की तरफ जाते हैं । यहाँ वह सम्पर्क के लिए हिन्दी अपनाते हैं । धीरे-धीरे उनके बाल-बच्चे स्थानीय भाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं और मातृभाषा से पूरी तरह कट जाते हैं । स्कूल में बच्चों को हिन्दी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में सम्प्रेषण के लिए प्रेरित किया जाता है । घर में अपनी बोली में जब बच्चा कुछ कहना चाहता है, तो माता-पिता उसे 'शुद्ध' भाषा में अपनी बात कहने को बोलते हैं । इसके पीछे अभिभावक की मंशा यह होती है कि उनका बच्चा स्कूल में अपनी बोली के कारण उपहास का पात्र न बनें । किन्तु इस क्रम में अनायास ही वह अपनी भाषा को 'अशुद्ध' घोषित कर देते हैं और बच्चा बड़ा होने पर मातृभाषा बोलने में शर्म या झिझक महसूस करता है ।

इंटरनेट और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में हिन्दी और राज्य की मुख्य भाषाओं का दबदबा बढ़ा है, जिससे लोकभाषा का प्रयोग कम होने लगा है । मूलतः भाषाएँ संकटग्रस्त होती ही इसलिए हैं, क्योंकि संचार माध्यम की चमक-दमक, शहरीकरण और आधुनिकता की दौड़ में नई पीढ़ी अपनी मूल भाषा को छोड़ देती है । आधुनिकता के नाम पर लोकपर्व, विवाह, पूजा-पाठ, परम्पराएं फिल्मों व टीवी धारावाहिक से अनुप्रेरित हो रहे हैं, जिससे लोक जीवन की सामूहिकता और अवसर के अनुकूल लोकगीत गायन का चलन समाप्त हो रहा है । बोलियों के लुप्त होने का यह भी एक कारण है ।

यूनेस्को ने सन् 2026 के 'अन्तरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' की जो थीम घोषित की है, वह है- 'बहुभाषी शिक्षा के भविष्य को आकार देने में युवाओं की भूमिका'! युवा पीढ़ी ही लोकभाषाओं से दूरी बना रही थी । ऐसी स्थिति में युवाओं को अपनी मातृभाषा के संरक्षण की प्रेरणा का संदेश भले ही देर से उठाया गया हो, मगर यह एक सार्थक पहल है ।

-दिनेश प्रताप सिंह 'चित्रेश'
ग्राम-पोस्टः जासापारा, वायाः गोसाईगंज-228119
जनपदः सुलतानपुर (उ.प्र.)

विशेष सूचना

'हिन्दुस्तानी भाषा भारती' त्रैमासिक पत्रिका के आगामी अंक हेतु लेख आमंत्रित हैं ।

'हिन्दुस्तानी भाषा भारती' पत्रिका के आगामी अंक हेतु हिन्दी भाषा से सम्बंधित विविध विषयों पर लेख/आलेख, निबंध एवं शोध सामग्री भेजें। पत्रिका के स्थायी स्तम्भ 'साक्षात्कार' में वरिष्ठ साहित्यकारों, पत्रकारों, भाषाविदों, शिक्षाविदों, सरकारी कार्यालयों के उच्चाधिकारियों, प्रशासनिक सेवा अधिकारियों, विभिन्न देशों के राजनयिकों आदि के भाषा पर केंद्रित साक्षात्कारों को सम्मिलित किया जाता है । इसी तरह 'लोक भाषाओं का चमत्कार' स्तम्भ में किसी एक भारतीय भाषा/उपभाषा एवं बोलियों पर केंद्रित लेखों को सम्मिलित किया जाता है जिसे विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जाता है । अब तक बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, कुमाऊंनी, भोजपुरी, पंजाबी, अवधि, नेपाली, मैथिली, डोगरी, संस्कृत, संथाली, तमिल, कश्मीरी, मालवी, बघेली, हरियाणवी, बंगाली, कोंकड़ी, पवारी, गुजराती, तेलुगु, उड़िया एवं पूर्वोत्तर भारत के भाषाओं के विशेषांक प्रकाशित हो चुके हैं । 'युवा मत' स्तम्भ में देश के विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत शोधार्थियों एवं युवा लेखकों के भाषा पर केंद्रित शोधपरक लेखों को सम्मिलित किया जाता है । पत्रिका के 'आगामी अंक' हेतु हिन्दी भाषा पर केन्द्रित लेख/निबंध आमंत्रित हैं।

1. 'समाचार पत्रों एवं संचार माध्यमों में हिन्दी की स्थिति
2. हिन्दी की राष्ट्रीय स्वीकार्यताः समस्या एवं संभावनाएँ
3. संयुक्त राष्ट्र महासभा तक हिन्दी का विकासक्रम
4. साहित्य और सिनेमा से इतर भी हो हिन्दी का उत्थान
5. शिक्षा और शोध के रूप में हिन्दी की दशा और दिशा आदि

से सम्बंधित सारगर्भित लेख नीचे दिए गए ई-मेल पर भेजें।

E-mail : hindustanibhashabharati@gmail.com

बंबइया हिन्दी का इतिहास और बॉलीवुड पर प्रभाव

विजय नगरकर

बंबइया हिन्दी, जिसे मुंबई की बोली भी कहा जाता है, मुंबई शहर में विकसित एक विशिष्ट हिन्दी बोली है । यह बोली स्थानीय संस्कृति, भाषाओं और बॉलीवुड के प्रभाव से समृद्ध है । इसे न केवल मुंबई के निवासियों के बीच, बल्कि पूरे भारत में व्यापक रूप से समझा और उपयोग किया जाता है ।

बंबइया हिन्दी का इतिहास

बंबइया हिन्दी का विकास 19वीं और 20वीं सदी में हुआ जब मुंबई (तब बंबई) भारत का व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र बना । शहर की बहुभाषी आबादी ने विभिन्न भाषाओं और बोलियों का मिश्रण किया, जिसमें मुख्य रूप से मराठी, गुजराती, हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी शामिल थे । इस मिश्रण से बंबइया हिन्दी का जन्म हुआ ।

मुंबई के बंदरगाह शहर होने के कारण यहाँ विभिन्न समुदायों के लोगों का आगमन हुआ । व्यापारियों, मजदूरों और कामगारों की विभिन्न भाषाओं के संयोग से बंबइया हिन्दी का निर्माण हुआ ।

बॉलीवुड का उदय: 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय फिल्म उद्योग का केंद्र मुंबई में स्थापित हुआ । फिल्मों में संवादों की सरलता और दर्शकों की समझ को ध्यान में रखते हुए बंबइया हिन्दी का उपयोग किया जाने लगा । इससे यह बोली और अधिक लोकप्रिय हो गई ।

बंबइया हिन्दी की विशेषताएँ

बंबइया हिन्दी में विभिन्न भाषाओं और बोलियों का मिश्रण होता है । यह बोली खासकर मुंबई के क्षेत्रीय और सांस्कृतिक प्रभावों से समृद्ध है ।

1. मराठी का प्रभाव: बंबइया हिन्दी में मराठी शब्दों और उच्चारण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । जैसे 'आरे बापरे' (ओह माय गॉड), 'कायरे' (क्या रे) आदि ।

2. गुजराती और अंग्रेजी शब्दों का मिश्रण: बंबइया हिन्दी में गुजराती और अंग्रेजी शब्दों का उपयोग भी होता है । जैसे 'अपुन' (मैं), 'झकास' (शानदार), 'लफड़ा' (समस्या) आदि ।

3. संक्षिप्त और सरल भाषा: बंबइया हिन्दी की भाषा सरल और संक्षिप्त होती है, जिससे संवाद की सहजता बढ़ती है । इसमें छोटे वाक्यों और मिश्रित शब्दों का उपयोग अधिक होता है ।

बॉलीवुड पर बंबइया हिन्दी का प्रभाव

बॉलीवुड फिल्मों ने बंबइया हिन्दी को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया है । फिल्में समाज के एक बड़े हिस्से पर प्रभाव डालती हैं, और बंबइया हिन्दी का उपयोग फिल्मों में इसे जन-जन तक पहुँचाने में मददगार रहा है । बॉलीवुड फिल्मों में बंबइया हिन्दी के संवादों का उपयोग किया जाता है, जो किरदारों को अधिक प्रभावी और वास्तविक बनाता है । यह भाषा दर्शकों को सहज और अपनी जैसी लगती है, जिससे वे फिल्म से जुड़ाव महसूस करते हैं । बॉलीवुड के गीतों में भी बंबइया हिन्दी का प्रयोग होता है, जिससे गीतों की लोकप्रियता बढ़ती है। जैसे "अपुन बोलता है" (फिल्म 'खलनायक), "बंबई से आया मेरा दोस्त" (फिल्म 'अमर अकबर एंथनी') आदि ।

बंबइया हिन्दी का उपयोग कॉमेडी और मनोरंजन के क्षेत्र में भी होता है । यह भाषा हास्य का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बन गई है, जो दर्शकों को हँसाने और मनोरंजन करने में सफल होती है । बॉलीवुड फिल्मों के कई गाने हैं जिनमें बंबइया हिन्दी का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । ये गाने अपने विशेष शब्दावली और अनूठी शैली के कारण जनता में बेहद लोकप्रिय हुए हैं । यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं:

1. अपुन बोला - फिल्म: 'जोश' (2000)

- यह गाना शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया है, जिसमें बंबइया हिन्दी का स्पष्ट प्रयोग किया गया है। "अपुन बोला" जैसे शब्द बंबइया हिन्दी के प्रतिनिधि हैं ।

2. ए भाई, जरा देख के चलो - फिल्म: 'मेरा नाम जोकर' (1970)

- यह गाना राज कपूर पर फिल्माया गया है और इसमें बंबइया हिन्दी के शब्दों का उपयोग किया गया है ।

3. भाग डी के बॉस - फिल्म: 'पीपली लाइव' (2010)

- इस गाने में बंबइया हिन्दी के अनूठे शब्द और शैली का उपयोग किया गया है, जो इसे और अधिक रोचक बनाते हैं।

4. बंबई से आया मेरा दोस्त-फिल्म: 'अमर अकबर एंथनी' (1977)

- यह गाना अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया है और इसमें बंबइया हिन्दी का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

5. पक्का मुंबईकर - फिल्म: 'तुम मिलो तो सही' (2010)

- इस गाने में बंबइया हिन्दी के शब्दों का उपयोग किया गया है जो मुंबई की विशेष बोली को दर्शाते हैं ।

6. तुम तो ठहरे परदेशी - गायक: अल्ताफ राजा (1997)

- यह एक गैर-फिल्मी गाना है, लेकिन इसमें बंबइया हिन्दी का स्पष्ट प्रभाव है । इस गाने में मुंबई की स्थानीय बोली का इस्तेमाल किया गया है ।

7. लव मेला हिट - फिल्म: "बॉम्बे टू गोआ" (1972)

- इस गाने में बंबइया हिन्दी के शब्दों और शैली का उपयोग किया गया है, जो इसे और भी मजेदार बनाते हैं ।

ये गाने बंबइया हिन्दी के विशेषताओं और उसके प्रभाव को दर्शाते हैं । बंबइया हिन्दी की अनूठी शैली और शब्दावली ने बॉलीवुड के गानों को और भी रंगीन और रोचक बना दिया है, जिससे वे दर्शकों के दिलों में बस गए हैं ।

बंबइया हिन्दी का सांस्कृतिक महत्त्व

बंबइया हिन्दी न केवल भाषा का एक रूप है, बल्कि यह मुंबई की संस्कृति और जीवनशैली का प्रतीक भी है । यह बोली मुंबई की धड़कन को प्रकट करती है और वहाँ की विविधता और सामंजस्य को दर्शाती है । बंबइया हिन्दी मुंबई की बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक समाज का प्रतीक है । यह भाषा विभिन्न समुदायों के लोगों को एकजुट करती है और उनके बीच संवाद का माध्यम बनती है । बंबइया हिन्दी मुंबई के लोगों के बीच सामाजिक संपर्क का महत्त्वपूर्ण साधन है । यह भाषा उन्हें एक-दूसरे से जोड़ती है और उनके जीवन को सरल और सहज बनाती है । बंबइया हिन्दी समानता और सौहार्द का प्रतीक है । यह भाषा बिना भेदभाव के सभी समुदायों के लोगों के बीच संवाद का माध्यम बनती है और उन्हें एक-दूसरे के करीब लाती है ।

धारावी झुग्गी-झोपड़ी की बहुभाषिकता में हिन्दी का स्थान

मराठी भाषी श्रीमती राज्यश्री जयराम ने धारावी झोपड़पट्टी स्थित बहु भाषिक समुदाय की संपर्क भाषा हिन्दी का सर्वे किया था । केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने प्रकाशित किया है ।

(An Ethno& linguistic survey of Dharavi 1986 published by CIIL Mysore)

राज्यश्री सुब्बैया (राज्यश्री जयराम) द्वारा लिखित "एथ्नोलिंग्विस्टिक सर्वे" धारावी के भीतर की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है । यहाँ इसकी सामग्री का संक्षिप्त सारांश है:

1. धारावी का परिचय-

पुस्तक धारावी का एक अवलोकन प्रस्तुत करती है, जिसमें इसकी जनसांख्यिकीय संरचना, सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ और निवासियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ शामिल हैं ।

2. एथ्नोलिंग्विस्टिक विविधता-

यह धारावी में निवास करने वाले विभिन्न जातीय समूहों का दस्तावेजीकरण करती है, उनकी भाषाओं, बोलियों और सांस्कृतिक प्रथाओं का वर्णन करती है । सर्वेक्षण प्रमुख भाषाई समुदायों की पहचान करता है और यह बताता है कि वे स्लम के भीतर कैसे सह-अस्तित्व और बातचीत करते हैं ।

3. भाषा का उपयोग और बहुभाषावाद

अध्ययन धारावी के निवासियों के बीच भाषा उपयोग के पैटर्न की जाँच करता है, विशेष रूप से बहुभाषावाद और विभिन्न संदर्भों में भाषा चयन को प्रभावित करने वाले कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि घर, काम और सामाजिक बातचीत ।

4. सामाजिक गतिशीलता और पहचान

पुस्तक यह बताती है कि धारावी में सामाजिक पहचान और समुदाय की गतिशीलता को भाषा और जातीयता कैसे आकार देती है । यह सामाजिक स्तरीकरण, अंतर-समूह संबंधों और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने में भाषा की भूमिका पर चर्चा करती है ।

5. चुनौतियाँ और सिफारिशें

सर्वेक्षण धारावी में भाषाई समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर चर्चा के साथ समाप्त होता है, जिसमें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक एकीकरण से संबंधित मुद्दे शामिल हैं । यह इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीति और योजना के लिए सिफारिशें भी प्रदान करता है ।

सारांश में पुस्तक का सार प्रस्तुत करता है कि धारावी की समृद्ध भाषाई विविधता और जटिल सामाजिक गतिशीलता में संपर्क भाषा हिन्दी कितनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है । उन्होंने मुंबई के धारावी झुग्गी-झोपड़ी के उन बच्चों की भाषा पर अनुसंधान किया था, जिनके परिवार देश के विभिन्न राज्यों के बहुभाषिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं । श्रमिक वर्ग के साधारण परिवार की जीवन शैली, उनके श्रम और उनकी भाषा भारत के बहुसांस्कृतिक, धार्मिक वर्ग का विशेष जनसमूह की आपसी संपर्क भाषा हिन्दी है । उनके बच्चे बगैर हिन्दी की प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हुए भी एक-दूसरे के साथ हिन्दी माध्यम से जुड़े थे । उनके संवाद, खेल की भाषा हिन्दी है । जीवन संघर्ष, विस्थापन भी हमें भाषा सिखाती है ।

निष्कर्ष: बंबइया हिन्दी का इतिहास और बॉलीवुड पर प्रभाव बताता है कि कैसे एक बोली-भाषा एक बड़े समाज का हिस्सा बन सकती है और उसकी संस्कृति, जीवनशैली और पहचान को प्रभावित कर सकती है । बंबइया हिन्दी न केवल मुंबई की धड़कन है, बल्कि यह भाषा पूरे भारत में लोकप्रिय हो गई है और अपने सहजता और सादगी के कारण लोगों के दिलों में बसी हुई है । बॉलीवुड फिल्मों ने बंबइया हिन्दी को एक नई पहचान दी है और इसे जन-जन तक पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है । इस प्रकार, बंबइया हिन्दी न केवल भाषा का एक रूप है, बल्कि यह मुंबई की आत्मा और संस्कृति का प्रतीक भी है ।

संदर्भ: 1.राजभाषा हिन्दी विवेचन और प्रयुक्ति लेखक। किशोर वासवानी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली

2. An Ethno& Linguistic survey of Dharavi 1986 published by CIIL Mysore, राज्यश्री सुब्बाराव

3. पारख जवरीमल्ल, 'साझा संस्कृति, साम्प्रदायिक आतंकवाद और हिन्दी सिनेमा' (2012), 'वाणी प्रकाशन' दरियागंज, नई दिल्ली

-विजय नगरकर
पूर्व राजभाषा अधिकारी
बीएसएनल अहिल्यानगर, महाराष्ट्र

वैश्वीकरण के दौर में मातृभाषाओं का अस्तित्व

प्राचीन काल में जब शिक्षा का प्रचार-प्रसार नहीं के बराबर था, तब संपर्क या संप्रेषण का मुख्य आधार मातृभाषा ही होता था । मातृभाषा स्थानीय स्तर पर प्रभावी होती थी । स्वतंत्र भारत में आंचलिक बोली और भाषा में एकरूपता लाने के लिए संवैधानिक रूप से बहुभाषी राज्यों में एक विशेष भाषा को मान्यता देने के लिए राजभाषा का दर्जा हिन्दी को मिला । भारतवर्ष में राष्ट्रभाषा अस्तित्व में नहीं है । राजभाषा के रूप में ही सभी राज्य की क्षेत्रीय भाषा मान्य किए गए हैं, जहाँ राजकाज की भाषा क्षेत्रीय स्तर पर निर्धारित होते हैं । स्वतंत्र भारत के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी कई क्षेत्रीय भाषा को आठवीं अनुसूची में स्थान नहीं मिल पाया है । इस कारण इन बोली-भाषा पर निर्भर रहने वालों को भाषा के आधार पर जो सुविधाएं और मान्यता मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल सका है । इस कारण भाषाई विकास में कमी देखी जा रही है तथा इन्हें राजभाषा हिन्दी पर निर्भर रहना पड़ता है।

आजादी के पहले राज्यों में कामकाज, पढ़ाई-लिखाई मातृभाषा में ही होती थी । आजादी के पूर्व अंग्रेजों ने हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी को महत्त्व देना आरंभ किया । इसका परिणाम यह हुआ कि आज अंग्रेजी का प्रभाव पूरी तरह पैठ बना चुका है । अंग्रेजी शान की भाषा बन चुकी है । सबसे अधिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल का खुलना और छात्रों का प्रवेश दर अधिक होना इस बात को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है । अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहाँ राजभाषा हिन्दी को स्वीकार ही नहीं किया जाता । यहाँ तक सार्वजनिक स्थानों पर भी विज्ञापन और आवश्यक सूचनाएं भी अंग्रेजी में लिखे देखे जा सकते हैं।

वैश्वीकरण के प्रभाव से किसी भी राज्य की बोली और भाषा की मानों अब खिचड़ी पक रही है । संस्कृत भाषा वैदिक काल से भारत में प्रभावी रही है । इस कारण संस्कृत से संस्कार और संस्कृति ने जन्म लिया । यह एक व्यवस्था के रूप में पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होती रही । यही कारण है कि भारतीय संस्कृति और परम्परा प्रगाढ़ होती चली गई । चाहे वैदिक काल हो, रामायणकालीन या महाभारतकालीन इतिहास हो । अंग्रेजों के शासन काल के समय से भारत में संवैधानिक रूप से संस्कार और संस्कृति में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होता गया। कारण यह कि अंग्रेजों ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को अटूट मानते हुए इसे तोड़ने हेतु प्रयास किए । काफी हद तक सफल भी हुए । इतिहास को खंगालने पर पता चलता है कि मुगल शासकों ने भी यही किया । परिणामस्वरूप हमने अपनी शिक्षा के साथ संस्कृति और संस्कार में बदलाव को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया । गुरुकुल परंपरा के साथ ही गुरु-शिष्य परंपरा भी ध्वस्त होती गई । इतना कुचक्र प्रयास होने के बाद भी अखंड भारत की अस्मिता बची है तो वह यहाँ की सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत के कारण ही संभव हो सका है ।

भारतवर्ष के शिक्षा नीति में पाठ्यक्रमों में संस्कारिक ज्ञान के अभाव के साथ ही तकनीकी शिक्षा व्यवस्था और व्यवसायिक शिक्षा का विस्तार होता चला गया । इसका परिणाम यह हो रहा है विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं तथा तकनीकी शिक्षा के कारण भौतिक सुख-सुविधाओं में निरंतर तरक्की कर रहे हैं । व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से व्यवसाय के क्षेत्र में आर्थिक उन्नति भी कर रहे हैं । अब जीवन का आधार यही व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा बन गया है । गाँव हो या शहर, सभी जगह शिक्षा के स्तर और शिक्षित होने के स्तर में लगातार बढ़ोतरी का पैमाना अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा का होना है । इससे पारंपरिक और संस्कारिक शिक्षा व्यवस्था का ह्रास होना स्वाभाविक है ।

नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की बात की गई है । अब देखना यह है कि व्यवहारिक रूप से अमल में लाया जा रहा है या नहीं । टीवी चौनलों, विज्ञापनों और हिन्दी के समाचार-पत्रों के साथ ही शिक्षा जगत में अंग्रेजी शब्दों के बढ़ते चलन, लोक को मातृभाषा से दूर करने के लिए प्रभावी होते जा रहे हैं । मातृभाषा को त्याग कर हम मकड़ी की जाल की तरह अंग्रेजी को अपनाते जा रहे हैं । हम अंग्रेजी से दूर होने के बजाय उसमें ही उलझते जा रहे हैं । ऐसे में मातृभाषा के स्तर का स्वत: मूल्यांकन हो जाता है । यह भी देखने में आ रहा है कि घरों में बोली जाने वाली मातृभाषा के स्थान पर अंग्रेजी के शब्दों को व्यवहार में लाया जा रहा है । नतीजन घरों में मातृभाषा के पारंपरिक शब्द बोलचाल से दूर होते जा रहे हैं । यह भी देखा जा रहा है कि मातृभाषा के ठेठ शब्द अब चलन से बाहर होते जा रहे हैं । बड़े-बुजुर्ग यदि ठेठ शब्द को बोलचाल में लाते हैं तो आज की पीढ़ी समझ ही नहीं पाती । घर में अभिभावक ही अपने बच्चों को मातृभाषा की उपयोगिता पर जोर देने के बजाय अंग्रेजी को अपनाने पर ध्यान देते हैं । हम खुद ही अपनी जड़ों को कमजोर करने में लगे हैं । इसमें किसी का कोई दोष नहीं है । किसी भी प्रश्न पत्र में अंग्रेजी के शब्दों का अधिक-से-अधिक उपयोग, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र अंग्रेजी में, भर्ती विज्ञापन अंग्रेजी में, सामान्य कामकाजी में भी अंग्रेजी के शब्दों के उपयोग ने अंग्रेजी के प्रति लगाव को बढ़ावा और महत्त्व देने का ही काम किया है ।

ऐसी स्थिति में विद्यालयों में मातृभाषा में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, खेल-खेल में मातृभाषा के शब्दों का उपयोग, क्षेत्रीय महापुरुषों की जीवनी, खान-पान, तीज-त्योहारों पर नाटकीय मंचन, कहावत, मुहावरा, खेलकूद जैसे कई माध्यम से मातृभाषा के शब्दों के उपयोग से इसके अस्तित्व को बचाया जा सकता है । आवश्यकता है स्थानीय स्तर पर ईमानदारी के साथ मातृभाषा पर आधारित क्रियाकलापों को बढ़ावा देने की । शासन के अलावा स्वयंसेवी संगठनों को भी मातृभाषा के प्रति बढ़ रहे संकट को दूर करने के लिए आगे आना होगा । हर माता-पिता की इच्छा है कि उसका बच्चा अंग्रेजी लिखे, पढ़े और बोले । अब तो ऐसा भी हो रहा है कि दूर-दराज के सुविधाविहीन ग्राम, जहाँ हिन्दी माध्यम के स्कूल भी नहीं हैं; वैसे स्थान में निवास करने वाले लोग बस या अन्य वाहन किराए पर उपलब्ध कर कोसो दूर अंग्रेजी स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने लगे हैं । हिन्दी माध्यम के स्कूलों में भी अब गिनती के शब्द भी शिक्षकों द्वारा अंग्रेजी में लिखे और पढ़ाए जा रहे हैं । रुचिकर तो यह है कि शिक्षक स्वयं हिन्दी में गिनती के शब्द याद नहीं रखते । ऐसे में हमारी नींव समझे जाने वाले बच्चों से क्या अपेक्षा की जा सकती है । भविष्य की यह कल्पना मातृभाषा अपने अस्तित्व को किस तरह बचा पाएगी, यह भी सोचनीय होती जा रही है।

-डॉ. दीनदयाल साहू
प्लॉट नं 429, सड़क नं 07, मॉडल टाऊन, पो.-नेहरू नगर, भिलाई
जिला-दुर्ग (छ.ग.)-490020

रुहेलखण्ड की बोली में हिन्दी-उर्दू-ब्रजभाषा का मिश्रण: एक भाषिक मानचित्र

(बच्चों में मातृभाषाओं का हस्तांतरण)

रुहेलखण्ड की भाषिक संस्कृति हिन्दी, उर्दू और ब्रजभाषा के स्वाभाविक संगम से निर्मित एक अनोखी 'हिन्दुस्तानी' पहचान प्रस्तुत करती है । यह मिश्रण केवल वयस्कों की बोलचाल तक सीमित नहीं, बल्कि बच्चों के भाषिक समाजीकरण अर्थात् मातृभाषा हस्तांतरण को भी गहराई से प्रभावित करता है । प्रस्तुत शोध पत्र इस त्रिभाषिक मिश्रण का भाषिक मानचित्र प्रस्तुत करता है और यह विश्लेषण करता है कि बदलते सामाजिक शैक्षिक परिवेश में बच्चों तक यह विरासत किस प्रकार पहुँच रही है, कहाँ टूट रही है, और किन परिस्थितियों में पुनर्जीवित हो सकती है ।

1. प्रस्तावना : रुहेलखण्ड क्षेत्र में बरेली, बदायूँ, रामपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, बिजनौर और ज्योतिबा फुले नगर (अमरोहा) जनपद सम्मिलित हैं । यह हिन्दीभाषी खण्ड शताब्दियों से एक बहुभाषी संपर्क क्षेत्र रहा है जहाँ ब्रज संस्कृति, देशज उर्दू और मानक हिन्दी की संरचना एक साथ विकसित हुई है ।

बदायूँ की बेटी इस्मत चुगताई (21 अगस्त, 1915 - 24 अक्टूबर, 1991) ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि घर परिवार और मोहल्लों की भाषा में देसीपन, उर्दू की नजाकत और ब्रज की मिठास एक साथ घुली रहती थी । उनकी अपनी लेखन शैली भी इस मिश्रण का प्रमाण हैख़ सीधी, बोलचाल की, और स्थानीय रंग से भरी । हिन्दी के इस स्थानीय स्वरूप और इसके सांस्कृतिक-साहित्यिक परिवेश के संरक्षण-संवर्धन के लिए नई पीढ़ी के बच्चों के साथ संवाद जारी रखना महत्त्वपूर्ण है ।

2. रुहेलखण्ड की बोलियों का भाषिक परिदृश्य

2.1 ध्वन्यात्मक विशेषताएँ

• ब्रजभाषा की लयात्मक ध्वनियाँ- 'रयो', 'गइयो', यथा, 'अइयो जरा जे गठरी तौ उठइयो' जैसे वाक्य आज भी रुहेलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवित हैं ।

• उर्दू की नर्म ध्वनियाँ जैसे 'ज', 'फ', 'ख' भी नगरीय क्षेत्रों में, विशेषकर मुस्लिम परिवारों में स्वाभाविक रूप से मौजूद हैं । उर्दू की लिपिगत सीमाओं के कारण मानक उच्चारण के स्थानीय वैकल्पिक रूप भी मिलते हैं । उदाहरण के लिए 'लेने हैं' के लिए 'लैने हैं' का प्रयोग भी अक्सर सुनाई दे जाता है ।

• हिन्दी की मानक ध्वनियाँ, चाहे वे श, ष, क्ष, ज्ञ जैसी जटिल हों, रुहेलखण्ड के शिक्षित वर्ग में सहज रूप से बोली जाती हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में इनके सहज तद्भव स्वरूप भी प्रचलित हैं । शुक्ल को सुकुल, मिश्र को मिसिर, पाण्डेय को पाँडे, रुपये को रुपल्ली, और बल्ब को बलफ सुनना जहाँ कुछ दशक पहले तक सामान्य था, अब लुप्तप्राय होता जा रहा है । कुछ क्षेत्रीय तद्भव जैसे सरीकत (नकल), हिरस (ईर्ष्या) आदि आज भी धडल्ले से प्रयुक्त होते हैं ।

• ष और श को स कहने की जो आलसी प्रवृत्ति समस्त भारत में दिखती है, रुहेलखण्ड उससे सामान्यत: बचा रहा है, यद्यपि कुछ शब्दों में ष के ख होने के उदाहरण भी मिलते हैं ।

2.2 शब्दावली का मिश्रण

रुहेलखण्ड की भाषा में ब्रज, उर्दू और खड़ी बोली अच्छी तरह घुल-मिल गए हैं । यहाँ की उर्दू में देशी रस बहुत है, अरबी की मिलावट न के बराबर ।

• ब्रज से: 'लइकन', 'कछु', 'द्यो'

• उर्दू से: 'मिजाज', 'तालीम', 'गुरबत', 'फजीता'

• हिन्दी से: 'संस्कार', 'शिक्षा', 'परिवार'

• अज्ञात: उल्ले, पल्ले, पल्लंग को, तले, झाँप

बदायूँ में जन्मे फानी बदायूँनी (1879 - 1941) की निम्न पंक्तियों में गाहक, जग जैसे तद्भव शब्दों के साथ शय, और दुनिया जैसे शब्द कैसी सहजता से मिल गये हैं:

जान सी शय बिक जाती है एक नजर के बदले में,
आगे मर्जी गाहक की इन दामों तो सस्ती है
जग सूना है तेरे बगैर आँखों का क्या हाल हुआ,
जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है

बदायूँ के ही शकील बदायूँनी (1916 - 1970) की एक छोटी, अनुमत पंक्ति इस उर्दू देसी मिश्रण की आत्मा को छूती है:

"दिल की दुनिया बसाई है, तुम ही तुम हो तो क्या कमी है ।" उन्हीं की पंक्तियाँ एक फिल्मी गीत से: निर्धन का घर लूटने वालो लूट लो दिल का प्यार-प्यार वो धन है जिस के आगे सब धन है बेकार उनकी भाषा में उर्दू की नजाकत और देसी भावनात्मकता दोनों मिलते हैं ।

2.3 वाक्य संरचना

रुहेलखण्डी हिन्दी में खड़ी बोली की वाक्य संरचना में ब्रज, उर्दू, संस्कृत, तत्सम, तद्भव शब्दों के साथ अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी आ समाये हैं । ठेठ रुहेलखण्डी हिन्दी के कुछ उदाहरण-

अपनो झाड़ू-पंजा लै के पल्लंग को हो ल्यो ।
कड़ुआ तेल लेन चले गये, पढ़ाई कौ दीदा नाँय लचत हैं ।

3. मातृभाषा हस्तांतरण का सिद्धान्त

मातृभाषा हस्तांतरण केवल भाषा का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्मृति का भी हस्तांतरण है । रुहेलखण्ड के संदर्भ में यह हस्तांतरण एकल भाषा का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का है ।

इब्ने इंशा की सरल, देसी उर्दू, जो रुहेलखंडी हिन्दी से

बहुत मेल खाती है, इस मिश्रण की आत्मा को पकड़ती है:

"फर्ज करो यह जी की विपदा, जी से जोड़ सुनाई हो,
फर्ज करो अभी और हो इतनी आधी हमने छुपाई हो ।"

यहाँ उर्दू की मिठास और देशज लय एक साथ बहती है । शायरों की भीड़ में इब्ने इंशा की भाषा रुहेलखण्डी हिन्दी के निकटतम है ।

4. रुहेलखण्ड में बच्चों का भाषिक समाजीकरण

4.1 घर का वातावरण

दादा दादी की बोली में ब्रज की लय और देसीपन आज भी बच्चों के भाषिक संस्कार का आधार है । राधेश्याम रामायण के लिए प्रख्यात बरेली के पण्डित राधेश्याम कथावाचक (25 नवम्बर, 1890 - 26 अगस्त, 1963) की ब्रज रस से भरी पंक्तियाँ इसी घरेलू वातावरण की जीवंतता को दर्शाती हैं:

"घूँघट को उलट झपट नटखट,
घुड़की झुड़की बतलाय गयो ।
झट झंझट कर दई एक डपट,
ऐसो ये निपट इतराय गयो ।।"

— राधेश्याम कथावाचक

यह शैली बच्चों के लिए भाषा को केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि नाटकीय, जीवंत, और भावनात्मक अनुभव बनाती है ।

4.2 लोकगीत, कहानियाँ और किस्सागोई

बच्चों के भाषिक समाजीकरण में धार्मिक नैतिक कथाएँ भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ।

राधेश्याम कथावाचक की एक और प्रसिद्ध दोहा शैली की सीख बच्चों के भाषिक नैतिक संस्कार का प्रतिनिधित्व करती है:

"रोक बुरी बातों से दिल को, राम नाम का सुमरन कर ।
रख भागवत की याद नहीं तो, मरेगा रो रोकर रे खर ।।"

— राधेश्याम कथावाचक

यहाँ ब्रज की लय, देसी हिन्दी की सादगी और धार्मिक नैतिक चेतावनी-तीनों मिलकर एक विशिष्ट रुहेलखंडी भाषिक वातावरण बनाते हैं।

4.3 ऐतिहासिक गौरव का साहित्य

शाहजहाँपुर में जन्मे पण्डित रामप्रसाद बिस्मिल (11 जून, 1897-19 दिसम्बर, 1927) स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ-साथ अनुवादक, कवि, लेखक और सम्पादक भी थे । उनके प्रसिद्ध गीतों, भजनों, और गजलों की पंक्तियाँ रुहेलखण्ड की भाषा के विस्तृत फलक को चित्रित करती हैं-

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ।
मेरा रंग दे बसंती चोला । माँ ये रंग दे बसंती चोला ।
जगदीश ! यह विनय है, जब प्राण तन से निकलें,
"प्रिय देश! देश!" रटते, यह प्राण तन से निकलें ।

और यह प्रार्थना -

ईश्वर! दया हो हम पर, अब वलवला नहीं है
दुख और जो उठावें, वह दम रहा नहीं है।
बरसें हजारों बीतीं दुख सहते सहते हमको
क्या भाग्य में हमारे, अब सुख बदा नहीं है।
हम गिर गए हैं इतने, हस्ती मिटी हमारी
पर हाथ क्यों दया का, अब तक उठा नहीं है।
तुमने हमें बिसारा हे नाथ! क्या किया यह
हमने तो तुमको अब तक, दिल से तजा नहीं है।

4.4 बाजार और सामाजिक जीवन

एक ही वाक्य में भिन्न परम्पराओं का मिश्रण-

"भइया, जरा जल्दी कर द्यो, बच्चा विद्यालय को लेट हो रयो है ।"

यहाँ "द्यो" ब्रज, "जरा" उर्दू, विद्यालय हिन्दी, और लेट वाक्य संरचना अंग्रेजी की है ।

मिश्रित भाषा का एक और उदाहरण-

"जरा लल्ली ताई आधे किलो दे दियो तनिक ।"

5. मातृभाषा हस्तांतरण में आधुनिक चुनौतियाँ

5.1 अंग्रेजी माध्यम का प्रभाव

निजी विद्यालयों में अंग्रेजी को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानने से बच्चे घर की मिश्रित भाषा से दूर हो रहे हैं ।

5.2 डिजिटल संस्कृति

मोबाइल इंटरनेट की भाषा मानक हिन्दी या अंग्रेजी होने से स्थानीय बोलियों का संपर्क कम हो रहा है ।

5.3 परिवार संरचना में परिवर्तन

संयुक्त परिवारों के टूटने से स्थानीय भाषा की बच्चों तक पहुँच टूटी है ।

5.4 साहित्यिक दूरी और पीढ़ियों का अंतर

इस्मत चुगताई ने अपने संस्मरणों में यह स्वीकार किया है कि नई पीढ़ी अक्सर अपने घर की साहित्यिक विरासत से कट जाती है । उनका निम्न अंश इस टूटन को सटीक रूप से पकड़ता है:

"जब तक कॉलेज सर पर सवार रहा और सबसे ज्यादा बेकार किताबें जो नजर आई, वो अजीमबेग चगताई की । 'घर की मुर्गी दाल बराबर' वाली बात!"

यह उद्धरण बताता है कि पीढ़ियों के बीच साहित्यिक दूरी कैसे मातृभाषा और स्थानीय भाषिक परम्पराओं के हस्तांतरण को प्रभावित करती है- बच्चे अपने ही घर की भाषा संस्कृति को बासी या नीरस समझने लगते हैं ।

5.5 सांस्कृतिक भावनात्मक दूरी

पाठ्यक्रम की बेरुखी के चलते समय के साथ बच्चे अपने इतिहास से भी कट जाते हैं ।

6. रुहेलखण्ड की मिश्रित भाषा का भाषिक मानचित्र

भाषिक स्रोत	बच्चों तक पहुँचने वाले तत्व	माध्यम
ब्रजभाषा	लय, मुहावरे, संबोधन	दादा दादी, लोकगीत
उर्दू	नर्म ध्वनियाँ, मजहबी शब्द	माता पिता,बाजार,दीन-ईमान
हिन्दी	व्याकरणिक संरचना तथा शब्द	पोथी, पुस्तक, देश, विदेश

7. मातृभाषा हस्तांतरण को सुदृढ़ करने के उपाय

वर्षों के विदेशी शासन के कारण भारत का विकास बाधित हुआ । इसी के एक पार्श्व प्रभाव के रूप में अनेक भारतीय आज भी अपनी भाषा, संस्कृति या परम्परा को हीन समझने की भूल करते हैं । हीनता ग्रंथि से छूटने का प्रयास मातृभाषा के गौरव से आरम्भ किया जा सकता है ।

7.1 घर में मिश्रित बोलचाल को सम्मान

बच्चों को यह बताया जाना चाहिए कि उनकी भाषा और उसका क्षेत्रीय स्वरूप किसी अन्य भाषा से कमतर नहीं है । भाषा का मानकीकरण किए जाने से उसके वैकल्पिक स्वरूपों, या क्षेत्रीय बोलियों का महत्त्व या मूल्य कम नहीं होता है ।

7.2 विद्यालयों में स्थानीय भाषिक अध्ययन

पाठ्यक्रम में हिन्दी के स्थानीय पक्ष को उचित स्थान मिलना चाहिए जिससे छात्रों का सम्पर्क स्थानीय बोली के साथ बना रहे ।

• स्थानीय शब्दावली का संरक्षण और शिक्षण । बरनी को बोट, अरुवी को घुइया, शिमला मिर्च को पहाड़ी मिर्च, सर्वस्व को सरबस, पंजीरी को कसार और लौकी को घीया कहना रुहेलखण्ड में आम है। ऐसे अनेक शब्द और भी हैं, जिन्हें अर्थ, उदाहरण और व्याख्या संकलित किया जाना चाहिए ।

• हिन्दी और उर्दू की प्रचलित कहावतों के साथ-साथ ब्रज उर्दू हिन्दी मिश्रित स्थानीय मुहावरे और कहावतें, यथा बदाऊँ के लल्ला, भी यहाँ प्रचलित हैं ।

• स्थानीय साहित्यकारों की रचनाएँ, प्रसंग तथा जीवनियाँ आदि। पंडित राधेश्याम कथावाचक, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, फानी बदायूँनी, शकील बदायूँनी, इस्मत चुगताई, कवि उर्मिलेश, साहित्यकार मधुरेश, वसीम बरेलवी, धीरेंद्र वर्मा, किशन सरोज, पंडित जानकी नाथ मदन, निरंकार देव सेवक, भगवान शरण भारद्वाज और सुरेश बाबू मिश्र जैसे प्रख्यात नामों के अतिरिक्त अनेक समकालीन साहित्यकार हिन्दी और उर्दू में नाम कमा चुके हैं जिन्हें पाठ्यपुस्तकों में स्थान मिलना चाहिए ।

7.3 डिजिटल सामग्री का निर्माण

घुसकुल्ला बी की बोधकथाएँ और टेसू के गीत जैसी लोक सांस्कृतिक सामग्री में बच्चे रुचि दिखा सकते हैं । इसे संरक्षित करना और सामने लाना एक अच्छा कदम होगा । आधुनिक दृश्य-श्रव्य माध्यमों द्वारा बच्चों को कहानियाँ, गीत, एनिमेशन, लघु फिल्मों आदि के द्वारा बच्चों और बड़ों को इस स्थानीय भाषिक विरासत से परिचित कराया जा सकता है ।

7.4 सामुदायिक कार्यक्रम

मेले, मुशायरे, ब्रज रस कार्यक्रम बच्चों को जड़ों से जोड़ते हैं । पुराने समय में दशहरे-दीवाली पर कई दिनों तक मेले लगते थे जिनमें रामलीला और ऐतिहासिक-सामाजिक नाटकों के मंचन के अलावा कवि सम्मेलन भी हुआ करते थे । इस प्रकार के साहित्यिक ।

8. निष्कर्ष

रुहेलखण्ड की बोली केवल एक भाषा नहीं, बल्कि एक साझा सांस्कृतिक स्मृति हैं । हिन्दी, उर्दू और ब्रजभाषा का यह संगम रुहेलखण्ड के निवासियों को एक अनोखी भाषिक पहचान देता है । आधुनिक शिक्षा, डिजिटल संस्कृति और सामाजिक परिवर्तनों के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होने वाला यह हस्तांतरण कमजोर होता जा रहा है । यदि परिवार, समुदाय और शिक्षा व्यवस्था मिलकर प्रयास करें, तो यह अनूठी भाषाई विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सशक्त सांस्कृतिक आधार बन सकती है ।

संदर्भ सूची:

सिंह, रमेश. उत्तर भारत की बोलियाँ और उनका विकास. नई दिल्ली: भारतीय भाषा परिषद

शर्मा, ओमप्रकाश. ब्रजभाषा का भाषिक अध्ययन. आगरा: ब्रज साहित्य मंडल

फारूकी, शम्सुर्रहमान. उर्दू की तहजीबी विरासत. दिल्ली: रजा पब्लिकेशन

चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद. हिन्दी का इतिहास. प्रयाग: लोकभारती

इस्मत चुगताई. कागजी है पैरहन (संस्मरण)

शकील बदायूँनी. कुल्लियात ए शकील, तथा फिल्मी गीत

राधेश्याम कथावाचक. कथावाचन पर व्याख्यान संग्रह

रामप्रसाद बिस्मिल. काव्य संग्रह एवं सरफरोशी की तमन्ना

इब्ने इंशा. इब्ने इंशा की नज़्में और गजलें

UNESCO- Mother Tongue Transmission Reports

-अनुराग शर्मा
मुख्य संपादक, सेतु
(पिट्सबर्ग, अमेरिका)

नारायणी बहुभाषी संग्रहालय

(भाषा-बोलियों को सहेजने का उपक्रम)

छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में श्री राजेन्द्र ओझा जी द्वारा स्थापित 'नारायणी बहुभाषी संग्रहालय' विभिन्न भाषा- बोलियों को सहेजने का एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम है । यह सर्वविदित है कि हमारे देश भारत की ही नहीं, अपितु विश्व की अनेक बोलियाँ जो एक समय बोली और समझी जाती थी आज खत्म हो चुकी है । बोलियों के खत्म होने में जहाँ बहुत बड़ा कारण उसके बोलने और समझने वालों की कमी होना है, वहीं उन बोलियों को सहेजने का प्रयास न करना भी एक महत्त्वपूर्ण कारक है जिसने उन बोलियों को खत्म किया । विस्थापन भी भाषा-बोलियों को बहुत हद तक नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह बसने को मजबूर लोगों को नई जगह पर अपनी भाषा-बोली बोलने वाले लोग नहीं मिलते और धीरे-धीरे मुख्य बोली या तो किसी अपभ्रंश का रूप ले लेती है या फिर वह अपना अस्तित्व ही खो देती है ।

'नारायणी बहुभाषी संग्रहालय' की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही है कि विभिन्न भाषा-बोलियों की सामग्री एकत्रित कर उसे एक जगह संकलित किया जाए । वर्ष 2022 के अंतिम एक-दो माह में जब यह विचार आया कि बहुत से लोग जहाँ सिक्के, स्टाम्प, पत्र-कतरन, त्रुटिपूर्ण या विशेष सिरिज-नंबर के नोट एकत्रित करते हैं, तो क्यों न इस दिशा में कुछ अलग किया जाए और सबसे पहले जो ध्यान में आया वह यह था कि जो भी किया जाए वह शैक्षणिक क्षेत्र में किया जाए ।

शिक्षा की शुरुआत वर्णमाला से होती है और विभिन्न भाषाओं की वर्णमाला एकत्रित करने का कार्य प्रारंभ किया गया । हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती, उर्दू, मराठी आदि जैसी भाषाओं की वर्णमाला मिलना आसान इस संदर्भ में था कि इन भाषाओं को बोलनेवाले लोग प्राय: मिल ही जाते हैं, लेकिन राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, गोवा, दक्षिण एवं पूर्वोत्तर के राज्यों के लोग यदि आपके आसपास मिल भी जाए तो इनकी भाषाओं की वर्णमाला इनके पास मिलना संभव इसलिए नहीं होता, क्योंकि अभी वे जहाँ रह रहें हैं, वहाँ उस भाषा में शिक्षा नहीं दी जा रही है । ऐसी अनेक भाषाओं की वर्णमाला के लिए लगातार प्रयास किए गए । सबसे अधिक प्रयास राजस्थानी भाषा की वर्णमाला के लिए किया गया । किसी साहित्यकार-शिक्षाविद् से इस बारे में संपर्क किया गया तो उसने दूसरे का संदर्भ दे दिया, दूसरे ने तीसरे का और एक लंबा समय इसमें लगते रहा । अंतत: राजस्थानी वर्णमाला की पुस्तक लिखने वाली डॉ. जेबा रशीद मैडम से संपर्क हुआ और लगभग 80 वर्ष की उम्र के बाद भी भाषा-बोलियों के लिए किए जा रहे इस काम की सराहना करते हुए पुस्तक पोस्ट करने वे खुद पोस्ट ऑफिस गई ।

20-22 भाषाओं की वर्णमाला एकत्रित हो जाने के बाद विभिन्न भाषा-बोलियों की पुस्तकें आदि एकत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया । यह बहुत कठिन और समय की मांग करने वाला काम था, साथ ही यह धैर्य की ही नहीं लगन और प्रतिबद्धता की भी परीक्षा का समय था । छत्तीसगढ़ को यदि उदाहरण के रूप में लिया जाए तो यहाँ छत्तीसगढ़ी के अतिरिक्त हल्बी, गोंडी, भथरी, सरगुजिहा, दोरली, धुर्वी आदि बोलियाँ बोली जाती हैं और इन बोलियों के लेखक भी हैं । छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोंडी तो बहुप्रचलित भाषा है, लेकिन अन्य भाषाएँ इस श्रेणी की नहीं हैं । धुर्वी भाषा जानने वाले लोग ज्यादा नहीं है और इस भाषा के एक लेखक ने एक-डेढ़ साल के बाद यह कह दिया कि उनकी डायरी नहीं मिल रही है । उनके सुझाए दूसरे लेखक का सहयोग भी शून्य रहा । लेकिन हमारे अनवरत प्रयास से इसकी सामग्री भी मिल गई ।

दादा जोकाल, बस्तर क्षेत्र में बोली जाने वाली 'दोरली' भाषा के संभवतया एकमात्र लेखक है और इनकी कुछ कविताएं हमारे संग्रहालय में है । दोरली भाषा में और लेखक यदि सामने नहीं आए, तो एक दिन यह भाषा भी विलुप्त हो जाएगी । वैसे ही उत्तराखंड में 'जौनसारी' भाषा बोली जाती है और श्री सुरेश कुमार श्मनमौजीश जी इस भाषा को बचाए रखने में लगे हुए हैं । वे भी इस भाषा के गिने-चुने लेखकों में एक हैं और स्थिति ऐसी ही बनी रही, तो इस भाषा को भी खुद को बचाने कितना संघर्ष करना पड़ेगा, यह विचारणीय है ।

नारायणी बहुभाषी संग्रहालय में गुजरात की गुजराती सहित चामठी, भांतु, नायकिनी, गरहाईया भीली, पंचमहाली भीली, देहवाली भीली, पावरी भीली, डुंगरी भीली, राठवी, बारेली, मदारी, तडवी, सुरती, धोडिया, कुंकणा, कच्छी, चौधरी, वणझारी, पालनपुरी, काठियावाड़ी, वारली आदि 20 से अधिक भाषाओं की पुस्तकें

शेष पृष्ठ संख्या 46 पर

रिपोर्ट

हंसराज महाविद्यालय में 'अपने संविधान को जानें' परिचर्चा का आयोजन सम्पन्न

ध्रुव शिवहरे

बुधवार, 25 फरवरी 2026, दिल्ली । डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी एवं हंसराज महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्त्वावधान में भारत सरकार द्वारा घोषित 'हमारा संविधान - हमारा स्वाभिमान' अभियान के अंतर्गत 'अपने संविधान को जानें' विषय पर एक दिवसीय परिचर्चा, निबंध लेखन तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हंसराज महाविद्यालय के सभागार में सम्पन्न हुआ । इस कार्यक्रम ने युवा पीढ़ी को भारतीय संविधान की मूल भावना, नागरिक अधिकारों तथा कर्तव्यों से जोड़ने का सफल प्रयास किया । सभागार में छात्रों, शोधार्थियों, शिक्षकों तथा गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को उत्साहपूर्ण वातावरण प्रदान किया ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता हंसराज महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर (डॉ.) रमा ने की । मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग के पूर्व संयुक्त निदेशक डॉ. मोहम्मद अमीन, मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निदेशक आकाश पाटील तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष सुधाकर पाठक उपस्थित रहे । कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक रूप से दीप प्रज्ज्वलन तथा स्वागत-सम्मान के साथ हुआ ।

सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग) डॉ. राजवीर सिंह मीणा ने कार्यक्रम की पृष्ठभूमि और रूपरेखा पर केंद्रित स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत किया । उन्होंने बताया कि 'हमारा संविधान - हमारा स्वाभिमान' अभियान भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को संविधान की प्रासंगिकता समझाना तथा उन्हें इसके प्रति गर्व एवं जागरूक बनाना है । उन्होंने इस आयोजन को युवाओं में संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने का एक प्रभावी माध्यम बताया । इसके उपरांत निबंध लेखन प्रतियोगिता के चयनित प्रतिभागियों ने अपने आलेख प्रस्तुत किए । शोधार्थियों ने संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार व्यक्त किए, जिसमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, सामाजिक न्याय तथा समकालीन चुनौतियाँ शामिल थीं ।

परिचर्चा की प्रस्तावना और उसके उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक ने कहा कि संविधान के बारे में जानना प्रत्येक भारतीय का नैतिक दायित्व है । उन्होंने जोर दिया कि भाषा के माध्यम से ही संवैधानिक मूल्यों का प्रचार-प्रसार संभव है और हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है । उन्होंने उपस्थित छात्रों से अपील की कि वे इस परिचर्चा को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित न रखें, बल्कि अपने दैनिक जीवन में संविधान के सिद्धांतों को भी अपनाएं । मुख्य वक्ता डॉ. मोहम्मद अमीन ने अपने विस्तृत व्याख्यान में भारतीय संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों पर विशेष प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि 'हम भारत के लोग' यह शब्द संविधान की आत्मा है । यह बताता है कि सत्ता का स्रोत जनता है, न कि कोई व्यक्ति या संस्था । उन्होंने निर्वाचन आयोग के अपने अनुभव भी साझा किए । मुख्य अतिथि श्री आकाश पाटील ने वैश्विक पटल पर भारतीय संविधान की गरिमा को रेखांकित किया । उन्होंने कहा कि हर भारतीय नागरिक को अपने संविधान पर गर्व होना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका रही । निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने गहन चिंतन एवं शोधपूर्ण लेखन का परिचय दिया । प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भी प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बनता था। निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रतीक शर्मा, अखिल जायसवाल, पवन मैरुथा ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया । प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मणिकेश्वर यादव, द्वितीय स्थान पर शशांक और सूरज, तृतीय स्थान दीपक यादव ने प्राप्त किया ।

इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की 150 से अधिक छात्राओं, आचार्यों व अन्य आमंत्रित अतिथियों की उपस्थिति थी । कार्यक्रम के समापन पर निबंध लेखन में चयनित 3 छात्रों को सहभागिता प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया तथा अन्य सभी छात्रों को भी सहभागिता प्रमाण-पत्र भेंट किए गए । हिन्दी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. विजय कुमार मिश्र ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन न केवल ज्ञानवर्धक हैं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने में भी सहायक हैं । उन्होंने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों, आयोजक संस्थाओं का आभार व्यक्त किया । प्राचार्या प्रो. (डॉ.) शर्मा ने भी कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता जताई और भविष्य में ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखने की बात कही ।

-ध्रुव शिवहरे

पृष्ठ संख्या 44 का शेष

संकलित की गई है । इसी तरह मध्य प्रदेश की बघेली, मालवी, बुन्देली, निमाड़ी, मणिपुर की मणिपुरी सहित बिष्णुप्रिया, बिहार की मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका, मगही, झारखंड की कुड़माली, खड़िया, नागपुरी, मुंडारी, संताली (देवनागरी एवं ओलचिकि लिपि दोनों में), हो, पंचपरगनिया, कुडुख, खोरठा, राजस्थान की मेवाड़ी, वागड़ी, बागड़ी, असम की असमिया सहित बोडो, राभा, मिसिंग, देवरी, तीवा, ओडिशा की ओड़िया, संबलपुरी, सोरा, कर्नाटक की कन्नड़, कोडवा, तुलु, कोंकणी, बंजारा, महाराष्ट्र की मराठी, चंदगड़ी, लेवगण, कोरकू, गोरमाटी, तडवी, पावरी, मालवणी, उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी, रवाल्टी, जौनसारी, सिक्किम की लिम्बु, लेप्चा, शेरपा, गुरुंग, सुनुवार मुखिया, तमांग, किरात राई, मंगर, तिब्बतन भोटी, भुटिया । 'गोरखा पत्र' नेपाल का सरकारी समाचार-पत्र है और इस समाचार-पत्र की विशेषता है कि इसके मध्य के दो पृष्ठ वहाँ की किन्हीं दो स्थानीय भाषा में प्रकाशित होते हैं । इसका एक लाभ तो यह है कि ये भाषाएँ सदा जिवित रहेंगी और दूसरा यह कि इस भाषा को नए-नए लेखक भी मिलते रहेंगे । ये पृष्ठ मेचे, बराम, बझाडी, गुरुड, उरांव, चेपाड, ल्होमी, बाहिड, दराई, थारु, मगर, जिरेल, अछामि, ह्योल्मो, डोट्याली, चाम्लिड राई, दनुवार, कुमाल, नेवारी आदि भाषाओं में प्रकाशित होते हैं । खास बात यह है कि तामाड और मुगाल भाषा की अपनी लिपि भी है । जम्मू-कश्मीर की कश्मिरी, डोगरी, पहाड़ी, गोजरी, हिमाचल प्रदेश की कुलुवी, कांगड़ी, मण्डयाली, महासुबी, बघाटी, सिरमौरी, खंडूरी, आदि मिलाकर 100-150 से अधिक भाषाओं की कोई-ना-कोई सामग्री हमारे संग्रहालय में संग्रहीत की गई है ।

70-75 भाषाओं के 200 से अधिक कैलेंडर, 25-30 भाषाओं की 200-250 पत्रिकाएं एवं छत्तीसगढ़ी, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, कोंकणी , हरियाणवी , असमिया , बोडो, पंजाबी , मराठी , सिंधी, ओड़िया, पंजाबी, मलयाली भाषा के समाचार-पत्रों सहित चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका, दुबई, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फिलिपिंस आदि देशों के समाचार पत्र भी संग्रहालय में देखने को मिलेंगे ।

यहाँ यह बात रेखांकित करने योग्य है कि राजेंद्र ओझा जी ने विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, मित्रों-परिचितों से प्राप्त संदर्भ के आधार पर विभिन्न भाषा-बोलियों के लेखकों, विभिन्न पत्रिकाओं के संपादकों को फोन और संदेश के माध्यम से अपने संग्रहालय के बारे में जानकारी दी और लोगों ने इस प्रयास को न केवल अनूठा, अपितु भाषा-बोलियों को जीवित रखने का एक महत्त्वपूर्ण प्रयास मानते हुए स्वप्रेरणा से सहयोग भी किया। ये और ऐसे ही लोग जो चिंता कर रहे हैं, वे ही वास्तव में नींव के पत्थर हैं और इन्हीं की बदौलत बहुत सी भाषा-बोलियाँ लुप्तप्राय होने से बची रहेंगी ।

-डॉ. मृणालिका ओझा
पहाड़ी तालाब के सामने, बंजारी मंदिर के पास
वामन राव लाखे वार्ड-66, कुशालपुर, रायपुर (छ.गढ़)-492001

रिपोर्ट

राजधानी महाविद्यालय में 'अपने संविधन को जानें' परिचर्चा का आयोजन सम्पन्न

शुक्रवार, 27 फरवरी, 2026 को हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी, डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र एवं राजधानी महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्त्वावधान में राजधानी महाविद्यालय के सभागार में भारत सरकार द्वारा घोषित 'हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान' अभियान के अंतर्गत 'अपने संविधान को जानें' विषय पर महत्त्वपूर्ण परिचर्चा का सफल आयोजन सम्पन्न हुआ । इस परिचर्चा की अध्यक्षता राजधानी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर (डॉ.) दर्शन पाण्डेय ने की । कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में कॉर्पोरेट अटॉर्नी एवं संविधान विशेषज्ञ श्री नवोदित मेहरा, मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निदेशक श्री आकाश पाटील और विशिष्ट अतिथि के रूप में हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष, श्री सुधाकर पाठक मंचासीन रहे ।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन, अतिथियों के सम्मान तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलगीत की मधुर प्रस्तुति के साथ हुआ । अपने स्वागत उद्‌बोधन में प्रो. राजेश कुमार झा, विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग ने कार्यक्रम की पृष्ठभूमि स्पष्ट करते हुए परिचर्चा का औपचारिक शुभारंभ किया । प्राचार्य प्रो. दर्शन पाण्डेय ने अपने उद्‌बोधन में भारतीय संविधान की गरिमा, इसकी मूल भावना तथा 'हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान' अभियान के उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए सभागार में उपस्थित छात्रों और अतिथियों को संबोधित किया । हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष, श्री सुधाकर पाठक ने परिचर्चा को नई दिशा प्रदान करते हुए कहा कि हमारी भाषाएँ सुरक्षित रहेंगी तो हमारे संस्कार जीवित रहेंगे और इन संस्कारों की जड़ें हमारे संविधान से गहराई से जुड़ी हैं । उन्होंने युवा पीढ़ी में संविधान के माध्यम से नैतिक मूल्यों को स्थापित करने तथा संस्कारवान समाज के निर्माण पर विशेष बल दिया ।

मुख्य वक्ता कॉर्पोरेट अटॉर्नी एवं संविधान विशेषज्ञ श्री नवोदित मेहरा ने संविधान के एतिहासिक परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश में बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव लाने में संविधान की महत्ती भूमिका रही है और आज यह राष्ट्रीय चेतना का मजबूत प्रतीक बन चुका है । मुख्य अतिथि आकाश पाटिल ने वैश्विक पटल पर भारतीय संविधान के महत्त्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह हमारे संविधान की ताकत ही है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम विश्व के सम्मुख पूर्ण दृढ़ता से खड़े हैं । इसलिए हर भारतीय को अपने संविधान पर गर्व होना चाहिए । उन्होंने पड़ोसी देशों में व्याप्त अस्थिरता का उदाहरण देते हुए संविधान के प्रति सम्मान एवं जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया ।

विजय कुमार शर्मा

कार्यक्रम में महाविद्यालय के 150 से अधिक छात्रों, आचार्यों व अन्य आमंत्रित अतिथियों की उपस्थिति थी । कार्यक्रम में चयनित 3 छात्रों ने अपने शोधपत्र भी प्रस्तुत किए, जो संविधान के विभिन्न पहलुओं पर आधारित थे ।

इसके अतिरिक्त, एक रोचक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों एवं शोधार्थियों ने सक्रिय सहभागिता की । कार्यक्रम के समापन पर शोध-पत्र प्रस्तुत करने वाले चयनित 3 छात्रों को सहभागिता प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया तथा अन्य सभी छात्रों को सहभागिता प्रमाण-पत्र भेंट किए गए ।

कार्यक्रम का समापन हिन्दी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. जसवीर त्यागी के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ । इस कार्यक्रम के आयोजन समिति में प्रो. राजेश कुमार झा, विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान विभाग), प्रो. जसवीर त्यागी, विभागाध्यक्ष (हिन्दी विभाग), डॉ. सुशांत कुमार झा (राजनीति विज्ञान विभाग), प्रो. महेन्द्र सिंह समन्वयक (राजनीति विज्ञान विभाग) और डॉ. उमेश कुमार समन्वयक (बी.ए. प्रोग्राम) का विशेष सहयोग रहा । हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के पदाधिकारियों में श्री विनोद पाराशर, श्री विजय शर्मा, श्री विनीत पाण्डेय और श्री ध्रुव शिवहरे की विशेष उपस्थिति रही ।

-विजय कुमार शर्मा
प्रबंध सम्पादक, हिन्दुस्तानी भाषा भारती

राजधानी महाविद्यालय में 'अपने संविधान को जानें' परिचर्चा के कुछ चित्र

रिपोर्ट

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' पर परिचर्चा, सरस कवयित्री सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन संपन्न

8 मार्च, 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रोहिणी स्थित हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के सभा-कक्ष में एक भव्य, सार्थक और प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन सम्पन्न हुआ । यह कार्यक्रम दो सत्रों में सम्पन्न हुआ, जिसमें पहले सत्र में 'नारी: घर की नींव से राष्ट्र की धुरी तक' विषय पर परिचर्चा तथा दूसरे सत्र में सरस कवयित्री सम्मेलन आयोजित किया गया । पूरे कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमियों, कवयित्रियों और विद्वानों की उपस्थिति रही, जिससे सभा-कक्ष का वातावरण उत्साह और ऊर्जा से भरा रहा ।

डॉ. वनिता शर्मा

दीप प्रज्ज्वलन एवं अतिथियों के सम्मान के साथ कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुभारम्भ किया गया। हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक ने अपने स्वागत उद्‌बोधन में कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और जब साहित्य में महिलाओं की आवाज मुखर होती है, तब समाज के वास्तविक अनुभव और संवेदनाएँ सामने आती हैं ।

परिचर्चा सत्र में वक्ताओं ने भाषा, साहित्य, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका पर विस्तार से अपने विचार रखे । मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉ. साधना शर्मा, पूर्व प्राचार्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि नारी केवल परिवार की आधारशिला ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति की भी मजबूत कड़ी है । उन्होंने कहा कि जब महिलाएँ शिक्षा, साहित्य और सामाजिक जीवन में सक्रिय भागीदारी निभाती हैं, तब समाज में सकारात्मक परिवर्तन की गति और भी तेज हो जाती है ।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में डॉ. तारा गुप्ता, निदेशक, गंधर्व संगीत महाविद्यालय, गाजियाबाद, डॉ. नीतू सिंह राय, वैश्विक अध्यक्ष, महिला काव्य मंच तथा सुश्री रंजीता सिंह 'फलक', संपादक, कवि कुंभ की उपस्थिति रहीं । सभी वक्ताओं ने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और साहित्य के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता पर बल दिया । परिचर्चा सत्र का कुशल संचालन डॉ. विभा नायक, सहायक आचार्य, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया गया ।

कार्यक्रम के दूसरे सत्र में आयोजित 'सरस कवयित्री सम्मेलन' कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा । इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिष्ठित कवयित्री सुश्री मधुबाला लबाना ने की । दिल्ली-एनसीआर सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे लगभग 30 कवयित्रियों ने अपनी भावपूर्ण, मार्मिक और हृदयस्पर्शी कविताओं के माध्यम से महिला जीवन के विभिन्न पक्षों को अत्यंत संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया । अकादमी द्वारा सभी कवयित्रियों को अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया । इस सत्र का भावपूर्ण संचालन सुश्री अर्चना त्यागी ने किया ।

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी लंबे समय से हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं, साहित्य, कला, संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर कार्य करती आ रही है । अकादमी द्वारा समय-समय पर आयोजित इस प्रकार के साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम न केवल रचनाकारों को मंच प्रदान करते हैं, बल्कि समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता को भी बढ़ावा देते हैं । हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी हमेशा से एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ कार्य करती रही है । अकादमी जहाँ एक ओर अनुभवी साहित्यकारों के योगदान को सम्मान देती है, वहीं दूसरी ओर नवोदित रचनाकारों को भी अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करती है ।

कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों और प्रतिभागियों ने इस आयोजन को अत्यंत सफल, प्रेरणादायी और यादगार बताया । निस्संदेह, इस प्रकार के आयोजन महिला सशक्तिकरण की भावना को सुदृढ़ करते हैं तथा साहित्य और समाज दोनों को नई दिशा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ । कार्यक्रम के सफल आयोजन में अकादमी के कार्यकारिणी सदस्य श्री विनोद पाराशर, श्री राजकुमार श्रेष्ठ, श्री विजय शर्मा, सुश्री सरोज शर्मा, सुश्री प्रकाश कंवर, डॉ. वनिता शर्मा, डॉ. सोनिया अरोड़ा का कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्त्वपूर्ण और बहुमूल्य योगदान रहा ।

-डॉ. वनिता शर्मा
उप सम्पादक, हिन्दुस्तानी भाषा भारती

रिपोर्ट

हिन्दी संस्कार की भाषा है

"हिन्दी भारतीय संस्कृति की वाहक होने के कारण संस्कार की भाषा है। यह विद्यार्थियों को एक सच्चा-अच्छा मनुष्य बनाने का प्रयास करती हैद्य श्री राम कॉलेज की हिन्दी साहित्य सभा स्पंदन जैसे आयोजनों के माध्यम से वर्षों से यही कार्य कर रही है।" ये शब्द हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक ने स्पंदन 2026 के पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कहे। समारोह के विशिष्ट अतिथि हिन्दी अकादमी के पूर्व उपसचिव श्री ऋषि कुमार शर्मा ने विद्यार्थियों के इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए सभी पुरस्कार विजेताओं को शुभकामनाएँ दीं।

श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी वर्ष में कॉलेज की हिन्दी साहित्य सभा के वार्षिक उत्सव स्पंदन 2026 का आयोजन बहुत धूमधाम से किया गया। दो दिवसीय इस आयोजन के प्रथम दिवस में तीन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिताएँ थीं- 'बोलिए जनाब एक मिनट' (आशु भाषण प्रतियोगिता), 'नहले पे दहला' (वाद विवाद प्रतियोगिता) और रचनात्मक लेखन प्रतियोगिताद्य दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने इन प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लिया और इसके माध्यम से सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया। दूसरे दिन 'कवि के बोल' (स्वरचित कविता प्रतियोगिता) का आयोजन कॉलेज सभागार में किया गया। इन प्रतियोगिताओं के निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में डॉ. सुधा शर्मा 'पुष्प' (वरिष्ठ शिक्षाविद), डॉ. रेखा चंदोला (राजभाषा अधिकारी), श्री सत्येंद्र राठी (सहायक निदेशक, राजभाषा), डॉ. राजकुमारी शर्मा, श्रीमती तरुणा पुंडीर 'तरुनिल', सुश्री सोनी मिश्र, श्री युद्धवीर सिंह सूद उपस्थित थे। कार्यक्रम के द्वितीय दिवस वक्ता सत्र, कवि सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।

श्री राम कॉलेज में 'स्पंदन 2026' का भव्य आयोजन

इस वार्षिक उत्सव की शुरुआत 'नहले पे दहला' से हुई। यह वाद विवाद प्रतियोगिता दो चरणों में करवाई गई। इसके विजेता दल थे- हिंदू कॉलेज (वैभव, सुधांशु एवं लवीशा) एवं द्वितीय स्थान पर रहा- गार्गी कॉलेज का दल (हर्षिता, अदिशा एवं सौम्या)। 'बोलिए जनाब एक मिनट' प्रतियोगिता के विजेता थे- वैभव मालावत (हिंदू कॉलेज), अनुराग शुक्ल (रामजस कॉलेज) एवं मोहम्मद जीशान (देशबंधु कॉलेज)। रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के विजेता थे- करण कुमार (दयाल सिंह कॉलेज), ऋतेश डोंगरे एवं अंकित तोमर (रामजस कॉलेज)। 'कवि के बोल' प्रतियोगिता के विजेता थे- अमर झा (पी.जी. डी.ए.वी. कॉलेज), शुभांगी पांडेय (दौलत राम कॉलेज) एवं रागम गुप्ता (रामजस कॉलेज)।

स्पंदन 26 के दूसरे दिन अंतर महाविद्यालय स्वरचित कविता प्रतियोगिता के उपरांत वक्ता सत्र, कवि सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। वक्ता सत्र के अंतर्गत टाइम्स नाउ चैनल के श्री सुमित अवस्थी ने विद्यार्थियों को शुद्ध हिन्दी का प्रयोग करने और हिन्दी के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए प्रेरित किया। सत्र के दूसरे भाग में वरिष्ठ आई.ए.एस. श्री आशुतोष अग्निहोत्री के नवीनतम काव्य संग्रह- "मैं बूँद स्वयं खुद सागर हूँ' पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक श्री आलोक अविरल ने सरस संवाद एवं परिचर्चा की। कवि के मुख से उनकी रचना प्रक्रिया एवं कविताओं को सुनकर सभागार में उपस्थित श्रोता समूह आह्लादित हुआ । अगले सत्र में कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें आमंत्रित कविगण थे । वरिष्ठ कवि सर्वश्री आलोक अविरल (अध्यक्षता), जुबैर अली ताबिश, तनोज दाधीच (संचालन), अंकित मौर्य, सत्यम त्रिपाठी एवं रागिनी झा धृति। इन कवियों ने अपनी सुमधुर रचनाओं से श्रोताओं को झूमने पर विवश कर दिया । पुरस्कार वितरण के पश्चात् श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष प्रो. रवि शर्मा 'मधुप' ने स्पंदन 2026 के सफल आयोजन के लिए सभा की पूरी टीम के अथक प्रयासों को तथा डॉ. राजकुमारी शर्मा, डॉ. सुनीत कुमार एवं श्री अभिलाष के मार्गदर्शन की मुक्त कंठ से सराहना की तथा सभी निर्णायकों एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

आयोजन की सफलता में प्रायोजकों काव्यपीडिया, इंडियन ऑयल कारपोरेशन, दैनिक जागरण, यूबोन, फ्रेस्का, इवपेपर आदि का उल्लेखनीय सहयोग रहा।

-प्रो, रवि शर्मा 'मधुप'
शिक्षक प्रभारी, हिन्दी साहित्य सभा,
श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स

'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' पर परिचर्चा के कुछ चित्र

RNI No. : DELHIN/2017/73904

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित संस्था)

पंजीकृत कार्यालय : म.नं. 3675, राजा पार्क, शकूरबस्ती, दिल्ली-110034

दूरभाष : 09873556781, 09968097816

E-mail : info@hindustanibhashaakadami.com
hindustanibhashabharati@gmail.com
Website : www.hindustanibhashaakadami.com